



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2022-23



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

2022-23

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
• विषय सूची	i - ii
• प्रस्तावना	iii
• विनियोग लेखे का सारांश	iv - xviii
• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xix - xxi
विनियोग लेखे -	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1 - 43
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	44 - 62
3. भवन निर्माण विभाग	63 - 69
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	70 - 72
5. राज्यपाल सचिवालय	73 - 74
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	75
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	76
8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	77 - 80
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	81 - 90
10. ऊर्जा विभाग	91 - 95
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	96 - 97
12. वित्त विभाग	98 - 103
13. ब्याज संदाय	104 - 108
14. ऋण की वापसी/अदायगी	109 - 112
15. पेंशन	113 - 117
16. वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	118
17. वाणिज्यकर विभाग	119 - 120
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	121 - 138
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	139 - 152
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	153 - 172
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	173 - 179
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	180 - 191
23. उद्योग विभाग	192 - 200
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	201 - 205
25. वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)	206
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	207 - 220
27. विधि विभाग	221 - 223
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	224
29. खान एवं भूतत्व विभाग	225 - 227

30. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	228 - 233
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	234
32. विधान सभा	235 - 237
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	238 - 240
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	241
35. योजना एवं विकास विभाग	242 - 247
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	248 - 252
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	253
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	254 - 255
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	256 - 266
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	267 - 272
41. पथ निर्माण विभाग	273 - 281
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	282 - 297
43. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	298 - 303
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	304
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	305 - 312
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	313 - 316
47. परिवहन विभाग	317 - 322
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	323 - 333
49. जल संसाधन विभाग	334 - 339
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	340 - 344
51. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	345 - 365
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	366 - 374
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	375 - 384
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	385 - 390
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	391 - 402
56. पंचायती राज विभाग	403 - 412
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	413
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	414 - 423
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	424 - 430
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	431 - 456
• परिशिष्ट	457 - 461

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखाओं में :

- ‘मूल’ मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
- ‘अनुपूरक’ अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
- ‘पुनर्वि०’ सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण का द्योतक होता है।
प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)				
दत्तमत	30,97,25,04	4,85,10,00	11,98,93,38	4,71,18,02
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)				
दत्तमत	2,81,17,81	22,70,00	2,14,70,63	9,28,72
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,13,09,02	6,35,70,00	80,65,88	5,45,64,95
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)				
दत्तमत	85,21,52	00	66,94,42	00
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	15,49,20	00	11,55,52	00
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग				
दत्तमत	1,44,83,06	00	1,36,67,35	00
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)				
दत्तमत	44,11,03	00	39,96,93	00
8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)				
दत्तमत	41,80,03	66,60,00	36,46,49	54,80,75
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)				
दत्तमत	5,41,97,14	2,67,99,00	4,87,57,18	1,16,04,01
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	40,68,42,34	43,53,65,00	40,28,74,92	42,11,67,00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

18,98,31,66	13,91,98	00	00
-------------	----------	----	----

66,47,18	13,41,28	00	00
----------	----------	----	----

32,43,14	90,05,05	00	00
----------	----------	----	----

18,27,10	00	00	00
----------	----	----	----

3,93,68	00	00	00
---------	----	----	----

8,15,71	00	00	00
---------	----	----	----

4,14,10	00	00	00
---------	----	----	----

5,33,54	11,79,25	00	00
---------	----------	----	----

54,39,96	1,51,94,99	00	00
----------	------------	----	----

39,67,42	1,41,98,00	00	00
----------	------------	----	----

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	79,74,05	10,50,00	74,61,93	6,21,57
12. वित्त विभाग				
दत्तमत	68,13,56	94,13,26	46,73,45	44,26,74
13. ब्याज संदाय				
प्रभारित	66,63,16,80	00	62,38,31,39	00
14. ऋण की वापसी/अदायगी				
प्रभारित	5,45,00,00	67,13,53,03	5,00,00,00	67,29,45,49
15. पेंशन				
दत्तमत	84,47,88,03	00	78,03,17,20	00
16. वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)				
दत्तमत	2,61,71	00	2,03,54	00
17. वाणिज्यकर विभाग				
दत्तमत	1,41,18,91	00	1,21,11,43	00
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग				
दत्तमत	27,27,39,76	62,50,00	14,48,05,94	41,18,27
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	12,65,37,12	00	10,24,80,97	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

5,12,12	4,28,43	00	00
21,40,11	49,86,52	00	00
4,24,85,41	00	00	00
45,00,00	00	00	15,92,46 (15,92,46,443)
6,44,70,83	00	00	00
58,17	00	00	00
20,07,48	00	00	00
12,79,33,82	21,31,73	00	00
2,40,56,15	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग				
दत्तमत	61,32,27,26	7,14,26,82	46,74,15,11	6,24,56,15
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	17,79,73,94	00	15,66,17,90	00
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)				
दत्तमत	68,77,94,38	7,09,44,44	63,29,50,56	3,79,67,98
23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	3,34,17,09	1,30,04,00	2,74,96,77	1,10,99,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग				
दत्तमत	2,26,01,08	12,00	2,11,73,19	4,74
25. वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)				
दत्तमत	66,25	68,10	58,55	68,10
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग				
दत्तमत	7,75,86,91	65,38,02	5,32,32,36	38,53,63
27. विधि विभाग				
दत्तमत	5,82,25,03	00	4,68,44,20	00
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय				
प्रभारित	1,68,40,89	00	1,42,86,87	00
29. खान एवं भूतत्व विभाग				
दत्तमत	71,00,86	60,00	42,01,47	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

14,58,12,15	89,70,67	00	00
-------------	----------	----	----

2,13,56,04	00	00	00
------------	----	----	----

5,48,43,82	3,29,76,46	00	00
------------	------------	----	----

59,20,32	19,05,00	00	00
----------	----------	----	----

14,27,89	7,26	00	00
----------	------	----	----

7,70	00	00	00
------	----	----	----

2,43,54,55	26,84,39	00	00
------------	----------	----	----

1,13,80,83	00	00	00
------------	----	----	----

25,54,02	00	00	00
----------	----	----	----

28,99,39	60,00	00	00
----------	-------	----	----

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
30. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	1,73,32	3,67,93,62	1,21,25	2,82,19,91
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	1,47,62	00	1,19,74	00
32. विधान सभा				
दत्तमत	1,33,02,42	00	1,24,64,05	00
प्रभारित	71,80	00	54,53	00
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	47,49,25	20,67,02	41,06,68	16,82,51
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	31,75,53	00	15,20,27	00
35. योजना एवं विकास विभाग				
दत्तमत	2,67,41,62	50,00	2,12,18,80	00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग				
दत्तमत	5,84,67,69	35,03,04,30	3,00,29,92	18,40,08,14
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)				
दत्तमत	25,52,17	00	23,12,34	00
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)				
दत्तमत	34,59,94	00	20,30,70	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

52,07	85,73,71	00	00
27,88	00	00	00
8,38,37	00	00	00
17,27	00	00	00
6,42,57	3,84,51	00	00
16,55,26	00	00	00
55,22,82	50,00	00	00
2,84,37,77	16,62,96,16	00	00
2,39,83	00	00	00
14,29,24	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)				
दत्तमत	17,70,43,66	00	8,54,86,99	00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	9,12,48,20	29,00,04	7,00,70,72	14,36,08
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	5,54,71,75	37,65,00,00	3,85,00,95	33,52,84,84
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)				
दत्तमत	77,61,38,63	6,69,87,26	43,60,55,40	6,08,40,07
43. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	2,85,37,65	1,41,60,00	2,40,80,26	37,31,69
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
दत्तमत	6,72,34	00	6,12,35	00
45. सूचना प्रावैधिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग				
दत्तमत	3,36,65,02	1,04,35,00	1,60,29,43	86,61,20
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)				
दत्तमत	82,47,33	80,00,00	66,62,44	78,13,46
47. परिवहन विभाग				
दत्तमत	2,05,62,83	71,99,00	1,87,71,62	31,85,64

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

9,15,56,67	00	00	00
2,11,77,48	14,63,96	00	00
1,69,70,80	4,12,15,16	00	00
34,00,83,23	61,47,19	00	00
44,57,39	1,04,28,31	00	00
59,99	00	00	00
1,76,35,59	17,73,80	00	00
15,84,89	1,86,54	00	00
17,91,21	40,13,36	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)				
दत्तमत	29,60,63,18	9,67,42,30	19,69,21,96	7,23,79,64
49. जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	3,96,21,93	14,01,87,00	3,14,57,92	11,20,93,42
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)				
दत्तमत	1,02,16,26	3,35,05,00	72,85,77	2,57,77,81
51. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	32,81,85,14	6,36,69,64	24,60,38,89	5,66,14,11
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	1,33,89,77	62,10,00	92,60,52	35,66,92
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)				
दत्तमत	1,43,82,94	29,90,00	1,13,68,97	16,72,02
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)				
दत्तमत	1,26,90,71	1,00,00	92,12,31	63,22

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

9,91,41,22	2,43,62,66	00	00
81,64,01	2,80,93,58	00	00
29,30,49	77,27,19	00	00
8,21,46,25	70,55,53	00	00
41,29,25	26,43,08	00	00
30,13,97	13,17,98	00	00
34,78,40	36,78	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	3,14,88,28	27,72,70,00	1,29,36,65	16,11,18,29
56. पंचायती राज विभाग				
दत्तमत	27,36,96,67	6,00,00	17,64,89,54	2,74,83
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)				
दत्तमत	11,50,53	00	10,70,26	00
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	23,71,28,94	8,15,00,00	20,59,52,25	7,63,90,44
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	88,37,41,23	90,00,00	75,92,79,10	88,28,46
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग				
दत्तमत	75,10,67,87	1,18,36,47	58,41,17,77	42,60,00
कुल दत्तमत	7,98,70,17,82	2,36,09,47,29	6,11,11,77,30	1,82,33,82,33
कुल प्रभारित	74,24,54,22	67,13,53,03	69,08,48,58	67,29,45,49
कुल जोड़	8,72,94,72,04	3,03,23,00,32	6,80,20,25,88	2,49,63,27,82

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1,85,51,63	11,61,51,71	00	00
9,72,07,13	3,25,17	00	00
80,27	00	00	00
3,11,76,69	51,09,56	00	00
12,44,62,13	1,71,54	00	00
16,69,50,10	75,76,47	00	00
1,87,58,40,52	53,75,64,96	00	00
5,16,05,64	00	00	15,92,46
1,92,74,46,16	53,75,64,96	00	15,92,46

विनियोग लेखे का सारांश-क्रमांत

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है:

पूँजी प्रभाग:

14. ऋण की वापसी/अदायगी

विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिमों के रूप में व्यय की गई वह राशि शामिल नहीं है, जिसे वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि में प्रतिपूरित नहीं किया गया हो। व्यय का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की राशि, जो वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक अप्रतिपूरित रहा।
	शून्य	(₹ हजार में)

चूँकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है, जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है :

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	6,11,11,77,30	1,82,33,82,33	69,08,48,58	67,29,45,49
घटाएँ - कुल वसूलियाँ	13,38,59,76	7,09,45	3,10	00
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।	5,97,73,17,54	1,82,26,72,88	69,08,45,48	67,29,45,49

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

झारखंड सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए झारखंड सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही झारखंड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे झारखंड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए झारखंड के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत झारखंड के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और झारखंड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्त्व

मैं,

- 1) वर्ष 2022-23 के दौरान कुल अनुदान अथवा विनियोग तथा किये गये व्यय के मध्य महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, जिसके परिणामस्वरूप दस अनुदानों (1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग), 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग), 55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग), 56-पंचायती राज विभाग, 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) तथा 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) के अन्तर्गत ₹ 16,719.36 करोड़ की बचत हुई, जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, इन अनुदानों के अन्तर्गत विगत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक में ₹ 10,231.12 करोड़ से ₹ 14,762.53 करोड़ तक की निरंतर बचत हुई थी।

[अनुदान संख्या 1, 18, 20, 36, 42, 48, 55, 56, 59 एवं 60]

- 2) वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 15.92 करोड़ की राशि का अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण किया गया था। ₹ 3,761.96 करोड़ की राशि, जो कि वर्ष 2001-02 से 2021-22 तक से सम्बन्धित है, को अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण किया गया, का राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना शेष है।

[विनियोग लेखे का सारांश]

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

‘मामले के महत्त्व’ खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।



दिनांक : 17 /NOV/ 2023

स्थान : नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं, 4401-फसल कृषि - कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,53,22,39	30,97,25,04	11,98,93,38	(-) 18,98,31,66
अनुपूरक	4,44,02,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

16,44,32,41

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,77,00,00	4,85,10,00	4,71,18,02	(-) 13,91,98
अनुपूरक	8,10,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) ₹1,89,831.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2022 (₹28,183.17 लाख), दिसम्बर 2022 (₹14,929.09 लाख) एवं मार्च 2023 (₹1,290.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹44,402.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,64,432.41 लाख), अंतिम बचत (₹1,89,831.66 लाख) से ₹25,399.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2402-00.102.04 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना व्यय) एवं 2415-80.796.04- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹122.85 लाख एवं ₹115.31 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,293.60 लाख एवं ₹7,706.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	313.06	407.06	363.86	(-)43.20	₹43.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	94.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	386.80	37.50	37.50	0.00	₹ 349.30 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)349.30				
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	178.40	25.00	25.00	0.00	₹ 153.40 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)153.40				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,384.00	1,495.76	348.87	(-)1,146.89	₹2,035.13 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)888.24				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,073.60	673.60	338.48	(-)335.12	₹400.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹335.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)400.00				
2401-00.102.B1- कृषक ऋण माफी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	27,475.80	22,427.40	22,427.40	0.00	₹5,048.40 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के आंशिक क्रियान्वयन के कारण हुई थी (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,048.40				
2401-00.102.BR- बिरसा बीज उत्पादन, विनियमन, वितरण एवं फसल विस्तार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,800.00	2,400.00	2,203.86	(-)196.14	₹1,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹196.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,400.00				
	पुनर्वि.	(-)1,800.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2401-00.102.BS- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	629.00	42.78	21.39	(-)21.39	₹1,215.22 लाख की प्रत्याशित बचत (i) उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और ईकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं होने (₹629.00 लाख), (ii) योजना की स्वीकृति नहीं होने (₹128.32 लाख) एवं (iii) मृदा स्वास्थ्य पेस्ट एवं रिफिल योजना तथा ओरिलिक मृदा रिफॉर्मस एवं मृदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन नहीं होने (₹457.90 लाख) के कारण हुई थी। ₹21.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	629.00				
	पुनर्वि.	(-1,215.22)				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.BT- राज्य उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,990.00	5,350.00	4,451.95	(-)898.05	₹4,410.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और ईकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं होने (₹3,990.00 लाख) तथा इस योजना के अंतर्गत गोधन न्याय एवं मधुमक्खी पालन उपयोजना का क्रियान्वयन नहीं होने (₹420.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹898.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,770.00				
	पुनर्वि.	(-)4,410.00				
2401-00.102.BV- कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन सह पोस्ट हारवेस्ट आधारभूत संरचना का विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	750.00	750.00	0.00	₹750.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और ईकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	750.00				
	पुनर्वि.	(-)750.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.BX- कृषि स्मार्ट ग्राम योजना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	300.00	300.00	0.00	₹900.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹600.00 लाख की बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और ईकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹300.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	600.00				
	पुनर्वि.	(-)900.00				
2401-00.103.01- बीज संवर्धन फार्म (स्थापना व्यय)	मूल	430.37	461.87	361.15	(-)100.72	₹100.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	31.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.104.BP- समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला (राज्य स्कीम)	मूल	2,700.00	900.00	900.00	0.00	₹1,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना का आंशिक क्रियान्वयन किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,800.00				
2401-00.108.02- ईख की खेती (स्थापना व्यय)	मूल	125.90	181.90	128.17	(-)53.73	₹53.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	56.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.109.01- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	8,097.24	8,397.24	6,991.96	(-)1,405.28	₹1,405.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	300.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.08- क्षेत्र परिक्षणात्मक सेवा की योजना (स्थापना व्यय)	मूल	114.82	114.82	66.72	(-)48.10	₹48.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,646.00	1,519.40	630.00	(-)889.40	₹1,126.60 लाख की प्रत्याशित बचत एस.एम.ए.ई. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹889.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,126.60				
2401-00.109.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,281.60	1,281.60	475.88	(-)805.72	₹805.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,514.40	750.00	750.00	0.00	₹3,764.40 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹3,014.40 लाख की बचत पी.एम.के. एस.वाई. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹750.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,764.40				
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,512.40	1,326.00	1,325.54	(-)0.46	₹4,186.40 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹2,861.38 लाख की बचत पी.एम.के. एस.वाई. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹1,325.02 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,186.40				
2401.00.109.AX- कृषि मेला, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	251.08	(-)48.92	₹48.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,065.20	1,065.20	260.85	(-)804.35	₹804.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	378.00	378.00	173.90	(-)204.10	₹204.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.113.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,250.00	2,052.00	1,703.17	(-)348.83	₹198.00 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत सोलर पम्प सेट का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹348.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)198.00				
2401-00.119.01- उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	497.34	497.34	409.23	(-)88.11	₹88.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.119.05- सब्जी विकास योजना (रोग मुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (स्थापना व्यय)	मूल	268.17	268.17	168.39	(-)99.78	₹99.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2401-00.789.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एवं तकनीक (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	661.50	531.70	420.00	(-)111.70	₹129.80 लाख की प्रत्याशित बचत एस.एम.ए.ई. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹111.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)129.80				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	96.70	12.50	12.50	0.00	₹84.20 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.20				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	44.60	8.33	8.33	0.00	₹36.27 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.27				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	596.00	373.94	143.43	(-)230.51	₹452.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)222.06				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	268.40	168.40	112.83	(-)55.57	₹100.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹55.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2401-00.789.AG- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,128.60	250.00	250.00	0.00	₹878.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹628.60 लाख की बचत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹250.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)878.60				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AG- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,378.10	442.00	441.84	(-)0.16	₹936.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹494.42 लाख की बचत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹441.68 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)936.10				
2401-00.789.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	266.30	266.30	88.51	(-)179.79	₹179.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.789.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	94.50	94.50	57.67	(-)36.83	₹36.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.789.AX- कृषि, मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	63.96	(-)36.04	₹36.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	705.00	610.00	(-)95.00	₹45.00 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत सोलर पम्प सेट का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹95.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				
2401-00.789.BP- समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	300.00	300.00	0.00	₹600.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना का आंशिक क्रियान्वयन किये जाने के कारण हुई थी। (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				
2401-00.789.BR- बिरसा बीज उत्पादन, विनियमन, वितरण एवं फसल विस्तार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	308.82	(-)291.18	₹600.00 लाख की बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹291.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	600.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2401-00.789.BS- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	210.00	15.22	6.47	(-)8.75	₹404.78 लाख की प्रत्याशित बचत (i) उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹210.00 लाख), (ii) मृदा स्वास्थ्य पेस्ट एवं रिफिल योजना तथा ओरिलिक मृदा रिफॉर्मस एवं मृदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹149.10 लाख) तथा (iii) योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹45.68 लाख) के कारण हुई थी। ₹8.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	210.00				
	पुनर्वि.	(-)404.78				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.BT- राज्य उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,470.00	1,330.00	856.62	(-)473.38	₹1,610.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹1,417.00 लाख) एवं गोधन न्याय एवं मधुमक्खी पालन उप योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹140.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹473.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,470.00				
	पुनर्वि.	(-)1,610.00				
2401-00.789.BV- कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन सह पोस्ट हारवेस्ट आधारभूत संरचना का विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	250.00	0.00	₹250.00 लाख की बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	250.00				
	पुनर्वि.	(-)250.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.BX- कृषि स्मार्ट ग्राम योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	100.00	100.00	0.00	₹300.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹200.00 लाख की बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹100.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	200.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एवं तकनीक (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,307.50	1,898.00	1,050.00	(-)848.00	₹1,409.50 लाख की प्रत्याशित बचत एस.एम.ए.ई. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹848.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,409.50				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एवं तकनीक (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,602.00	1,527.83	793.14	(-)734.69	₹74.17 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-अन्य इंटरवेंशन के अंतर्गत भारत सरकार को योजना वापस किये जाने के कारण हुई थी। ₹734.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.17				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	483.50	75.00	75.00	0.00	₹408.50 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)408.50				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	223.00	50.00	50.00	0.00	₹173.00 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)173.00				
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,980.00	1,869.70	1,200.17	(-)669.53	₹1,779.83 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,110.30				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,342.00	842.00	676.96	(-)165.04	500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹165.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2401-00.796.AG- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,643.00	1,500.00	1,500.00	0.00	₹4,143.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹2,643.00 लाख की बचत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹1,500.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,143.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AG- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,890.50	2,651.00	2,651.00	0.00	₹4,239.50 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,588.46 लाख की बचत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹2,651.04 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,239.50				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,331.50	1,331.50	521.04	(-)810.46	₹810.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	472.50	472.50	347.36	(-)125.14	₹125.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.796.AX- कृषि मेला, कार्यशाला, प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	250.43	(-)349.57	₹349.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.796.AY- कृषि मिशन, एजेंसी एवं मिशन को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,350.00	1,350.00	1,000.00	(-)350.00	₹350.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.B3- इन्टरेस्ट सब्सेन्सन (राज्य स्कीम)	मूल	180.00	180.00	128.40	(-)51.60	₹51.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.796.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,500.00	4,277.70	3,926.71	(-)350.99	₹222.30 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत सोलर पम्प सेट का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹350.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)222.30				
2401-00.796.BP- समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला (राज्य स्कीम)	मूल	5,400.00	1,800.00	1,800.00	0.00	₹3,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना का आंशिक क्रियान्वयन के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,600.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.BR- बिरसा बीज उत्पादन, विनियमन, वितरण एवं फसल विस्तार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	3,000.00	2,332.79	(-) 667.21	₹4,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹3,600.00 लाख) एवं ओ.एस.पी. के अंतर्गत निधि की आवश्यकता (₹600.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹667.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,600.00				
	पुनर्वि.	(-)4,200.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2401-00.796.BS- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,260.00	203.00	82.39	(-)120.61	₹2,317.00 लाख की प्रत्याशित बचत (i) उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹1,260.00 लाख), (ii) मृदा स्वास्थ्य पेस्ट एवं रिफिल योजना तथा ओरिलिक मृदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹883.00 लाख) एवं (iii) योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹174.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹120.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,260.00				
	पुनर्वि.	(-)2,317.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.BT- राज्य उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,240.00	6,620.00	5,314.57	(-)1,305.43	₹11,860.00 लाख की प्रत्याशित बचत (i) उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹9,240.00 लाख), (ii) ओ.एस. पी. जिलों के लिए निधि का प्रावधान किये जाने (₹1,780.00 लाख) एवं (iii) गोधन न्याय तथा मधु मक्खी पालन उप-योजना का क्रियान्वयन नहीं होने (₹840.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹1,305.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	9,240.00				
	पुनर्वि.	(-)11,860.00				
2401-00.796.BV- कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन सह पोस्ट हारवेस्ट आधारभूत संरचना का विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	₹1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	1,500.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.BX- कृषि स्मार्ट ग्राम योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	600.00	600.00	0.00	₹1,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,200.00 लाख की बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹600.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,200.00				
	पुनर्वि.	(-1,800.00)				
2415-01.277.02- प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	174.83	210.33	141.74	(-)68.59	₹68.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	35.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2415-01.277.04- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	5,400.00	5,820.00	5,820.00	0.00	₹1,784.00 लाख की प्रत्याशित बचत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची से सूचना/ रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	2,204.00				
	पुनर्वि.	(-1,784.00)				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,019.60	1,019.60	0.00	(-)1,019.60	₹1,019.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.102.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	469.60	469.60	0.00	(-)469.60	₹469.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.102.BJ- गन्ना विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.BU- झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी एवं चैम्बर ऑफ फारमर्स (राज्य स्कीम)	मूल	123.00	63.00	0.00	(-)63.00	₹183.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और ईकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹123.00 लाख) एवं झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी का क्रियान्वयन नहीं होने (₹60.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹63.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	123.00				
	पुनर्वि.	(-)183.00				
2401-00.102.BW- विभाग अन्तर्गत आई.टी. एवं परामर्शी सेवाओं की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	उपयुक्त विस्तृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹120.00 लाख) एवं योजना का क्रियान्वयन नहीं होने (₹120.00 लाख) के कारण ₹240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	120.00				
	पुनर्वि.	(-)240.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.103.C1- सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	240.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)240.00				
2401-00.103.C1- सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	160.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹160.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)160.00				
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,470.40	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,470.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹92.97 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹1,377.43 लाख का शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,470.40				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	677.20	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)677.20			
2401-00.108.AY- कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	0.00			
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,902.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)2,902.00			

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,336.80	0.00	0.00	0.00	एन.एच.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उद्ध्यय की कम स्वीकृति (₹711.80 लाख) एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹625.00 लाख) के कारण ₹1,336.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,336.80				
2401-00.114.C0- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	120.00	60.00	0.00	(-)60.00	₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2401-00.114.C0- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹40.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹40.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.115.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,139.60	750.00	0.00	(-)750.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹6,139.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹450.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹5,689.60 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,389.60				
2401-00.115.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,673.60	750.00	0.00	(-)750.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹2,673.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹450.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹2,223.60 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,923.60				
2401-00.115.BO- किसान समृद्धि योजना (राज्य स्कीम)	मूल	195.00	0.00	0.00	0.00	किसान समृद्धि योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹195.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)195.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.195.B3- इन्टरेस्ट सबवेन्सन (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	90.00	0.00	(-)90.00	₹90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	725.50	0.00	0.00	0.00	एन.एच.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उद्ध्यय की कम स्वीकृति (₹410.50 लाख) एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹315.00 लाख) के कारण ₹725.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)725.50				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	334.20	0.00	0.00	0.00	एन.एच.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उद्ध्यय की कम स्वीकृति (₹124.20 लाख) एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹210.00 लाख) के कारण ₹334.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)334.20				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,534.90	250.00	0.00	(-)250.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,534.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹150.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹1,384.90 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,284.90				
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	668.40	250.00	0.00	(-)250.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹668.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹150.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹518.40 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)418.40				
2401-00.789.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	254.90	254.90	0.00	(-)254.90	₹254.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	117.40	117.40	0.00	(-)117.40	₹117.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	367.60	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹367.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹30.99 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹336.61 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)367.60				
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	169.30	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹169.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹20.66 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹148.64 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)169.30				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.B3- इन्टरेस्ट सबवेन्सन (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2401-00.789.BJ- गन्ना विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.789.BO- किसान समृद्धि योजना (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	किसान समृद्धि योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.BU- झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी एवं चैम्बर ऑफ फारमर्स (राज्य स्कीम)	मूल	41.00	21.00	0.00	(-)21.00	₹61.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष एवं इकाई शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने (₹41.00 लाख) तथा झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी उप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने (₹20.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹21.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	41.00				
	पुनर्वि.	(-)61.00				
2401-00.789.BW- विभाग अन्तर्गत आई.टी. एवं परामर्शी सेवाओं की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	उपयुक्त विस्तृत शीर्ष एवं इकाई शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने (₹40.00 लाख) तथा योजना की स्वीकृति नहीं होने (₹40.00 लाख) के कारण ₹80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	40.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.C0- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	15.00	0.00	(-)15.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2401-00.789.C1- सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	60.00	00.00	00.00	00.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2401-00.789.C1- सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40.00	00.00	00.00	00.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,627.50	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹1,900.00 लाख) एवं एन.एच. एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति (₹1,727.50 लाख) के कारण ₹3,627.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,627.50				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,671.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने (₹1,250.00 लाख) एवं एन.एच. एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उद्व्यय की कम स्वीकृति (₹421.00 लाख) के कारण ₹1,671.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,671.00				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,674.50	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹6,174.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹900.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹5,274.50 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,174.50				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,342.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹3,342.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹900.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹2,442.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,842.00				
2401-00.796.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,274.50	1,274.50	0.00	(-)1,274.50	₹1,274.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2401-00.796.AS- परम्परागत कृषि विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	587.00	587.00	0.00	(-)587.00	₹587.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,838.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,838.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹185.94 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹1,652.06 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,838.00				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेन्ट ऑफ सॉयल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	846.50	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹846.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹123.96 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹722.54 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)846.50				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.BI- कृषक ऋण माफी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	54,951.60	0.00	0.00	0.00	एक परिवार से एक सदस्य के ऋण माफी योजना, जैसा कि कृषि निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है, के अन्तर्गत प्रावधान होने के कारण बैंकों के पास वेलिड डाटा समाप्त होने (₹30,000.00 लाख) एवं योजना का क्रियान्वयन नहीं होने (₹24,951.60 लाख) के कारण ₹54,951.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54,951.60				
2401-00.796.BJ- गन्ना विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2401-00.796.BO- किसान समृद्धि योजना (राज्य स्कीम)	मूल	390.00	0.00	0.00	0.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹390.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)390.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.BU- झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी एवं चैम्बर ऑफ फारमर्स (राज्य स्कीम)	मूल	246.00	126.00	0.00	(-)126.00	₹366.00 लाख की प्रत्याशित बचत, उपयुक्त विसृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹246.00 लाख) एवं झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी उप योजना की स्थापना का क्रियान्वयन नहीं होने (₹120.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹126.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	246.00				
	पुनर्वि.	(-)366.00				
2401-00.796.BW- विभाग अन्तर्गत आई.टी. एवं परामर्शी सेवाओं की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	0.00	0.00	0.00	उपयुक्त विसृत शीर्ष और इकाई शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने (₹240.00 लाख) एवं योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने (₹240.00 लाख) के कारण ₹480.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	240.00				
	पुनर्वि.	(-)480.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.796.C0- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	150.00	75.00	0.00	(-)75.00	₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2401-00.796.C0- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	100.00	50.00	0.00	(-)50.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹50.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹50.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.796.C1- सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2401-00.796.C1- सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण ₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमांत

पूँजी:

- (5) ₹1,391.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹810.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (7) शीर्ष 4402-00.102.03- मृदा तथा जल संरक्षण योजना (राज्य स्कीम), 4402-00.789.03- मृदा तथा जल संरक्षण योजना (राज्य स्कीम) एवं 4402-00.796.03- मृदा तथा जल संरक्षण योजना (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹154.44 लाख, ₹167.91 लाख एवं ₹1,062.29 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹14,100.00 लाख, ₹4,700.00 लाख एवं ₹28,200.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2403 पशुपालन, 3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,76,20,72	2,81,17,81	2,14,70,63	(-) 66,47,18
अनुपूरक	4,97,09			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

36,46,39

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	20,20,00	22,70,00	9,28,72	(-)13,41,28
अनुपूरक	2,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

7,25,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹6,647.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹40.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹155.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹302.09 लाख) में प्राप्त किया गया ₹497.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,646.39 लाख), अंतिम बचत (₹6,647.18 लाख) से ₹3,000.79 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2403-00.001.01- अधीक्षण-जिला प्रभार (स्थापना व्यय) एवं 2403-00.102.06- पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित सांदों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तर प्रखंडों में वितरण सहित) (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹103.87 लाख एवं ₹202.48 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,861.38 लाख एवं ₹2,208.18 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.001. A9- निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	165.00	165.00	125.93	(-)39.07	₹39.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.101.03- अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	7,824.57	7,427.92	6,877.64	(-)550.28	₹396.00 लाख की प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति/ हस्तान्तरण/ पदास्थापन होने के कारण हुई थी। ₹0.65 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं ₹550.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)396.65				
2403-00.101.24- अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,075.00	950.00	694.94	(-)255.06	₹125.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹255.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)125.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.30- इपीडेमिओलौजिकल एवं अनुश्रवण कोषांग (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	134.66	52.66	(-)82.00	₹15.34 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹82.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.34				
2403-00.101.47- पेट क्लीनिक (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	20.00	11.41	(-)8.59	₹30.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹8.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2403-00.101.A8- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	18.10	(-)21.90	₹21.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.102.05- पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (स्थापना व्यय)	मूल	553.99	553.99	475.62	(-)78.37	₹78.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.102.AB- झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर कैटल एवं बुफैलो डेवलपमेंट हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	120.00	72.85	72.85	0.00	₹47.15 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग (₹24.03 लाख) एवं योजना की स्वीकृति (₹23.12 लाख) नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-47.15)				
2403-00.105.13- सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र (स्थापना व्यय)	मूल	736.14	736.14	624.85	(-)111.29	₹111.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.106.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	290.00	282.10	226.04	(-)56.06	₹27.90 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹56.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-27.90)				
2403-00.109.34- प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	40.00	17.48	(-)22.52	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत पशुधन सहायक के लिए एक वर्ष प्रशिक्षण की योजना पूरी नहीं हाने के कारण हुई थी। ₹22.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-50.00)				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.109.86- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	49.37	(-)100.63	₹100.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.24- अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,225.00	1,073.00	878.96	(-)194.04	₹152.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹194.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)152.00				
2403-00.796.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	360.00	338.00	247.59	(-)90.41	₹22.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹90.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.00				
2403-00.796.86- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	130.00	130.00	60.85	(-)69.15	₹69.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.A0- विशेष पशु चिकित्सा शिविर (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	350.00	238.52	(-)111.48	₹111.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.A8- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	13.26	(-)26.74	₹26.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.A9- निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	146.00	146.00	117.44	(-)28.56	₹28.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.A1- जोड़ा बैल वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	20.00	19.80	(-)0.20	₹20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	252.00	60.00	0.00	(-)60.00	₹192.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹156.00 लाख की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति की कम संभावना के कारण हुई थी। ₹36.00 लाख की शेष बचत एवं ₹60.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)192.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2403-00.101.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	168.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹128.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹104.00 लाख की बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति की कम संभावना के कारण हुई थी। ₹24.00 लाख की शेष बचत एवं ₹40.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)128.00				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी. आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	100.20	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹100.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.20				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी. आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	66.80	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹66.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.80				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.101.A5- आधुनिक जाँच एवं अन्त्य परीक्षण प्रयोगशाला-सह- पशु एम्बुलेन्स सुविधा (राज्य स्कीम)	मूल	110.00	110.00	0.00	(-)110.00	₹110.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.101.AG- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) चालू योजना (के.से.स्कीम)	मूल	96.00	96.00	0.00	(-)96.00	₹96.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.101.AG- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) चालू योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	64.00	64.00	0.00	(-)64.00	₹64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.101.AK- क्लासिकल सूकर ज्वर रोग नियंत्रण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2403-00.101.AK- क्लासिकल सूकर ज्वर रोग नियंत्रण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹48.00 लख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403.00.101.AL- उभरते एवं बाहर से आने वाले पशु एवं पक्षी के रोगों का नियंत्रण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	ए.एस.सी.ए.डी. के अन्तर्गत योजना संस्वीकृत रहने के फलस्वरूप अतिरिक्त बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
2403.00.102.32- परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2403.00.102.33- पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय की मंजूरी प्रक्रियाधीन होने तथा मंत्रिपरिषद् से मंजूरी प्राप्त होने की आंशिक संभावना के कारण ₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2403.00.102.36- जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	130.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)130.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403.00.102.AH- फ़ोजेन सीमेन बैंक-चालू योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2403.00.103.97- इनोवेटिव पौल्टरी प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोइलर्स (आई. पी.पी.पी.फॉर ब्रोइलर्स) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	24.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.00				
2403.00.106.08- गो सेवा आयोग को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				
2403-00.106.29- गो मुक्ति धाम की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	गो मुक्ति धाम का निर्माण प्रक्रियाधीन होने के कारण ₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2403-00.109.33- पाराभेट-प्रशिक्षण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं होने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.111.84- बेकन फैक्ट्री (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)200.00			
2403-00.789.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	168.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रप्ति की संभावना कम होने के कारण ₹168.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹138.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹30.00 लाख के शेष प्रावधान के उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)168.00			

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.27- पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	112.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रप्ति की संभावना कम होने के कारण ₹112.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹92.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹20.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)112.00				
2403-00.789.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी. आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	66.80	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹66.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.80				
2403-00.789.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी. आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	35.20	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹35.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.20				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.97- इनोवेटिव पौल्टरी प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोइलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोइलर्स) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				
2403-00.789.97- इनोवेटिव पौल्टरी प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोइलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोइलर्स) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	24.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति की संभावना कम होने के कारण ₹24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.00				
2403-00.789.AG- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका)- चालू योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	144.00	24.00	0.00	(-)24.00	₹144.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				
2403-00.789.AG- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका)- चालू योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	96.00	16.00	0.00	(-)16.00	₹80.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति की संभावना कम होने के कारण हुई थी। ₹16.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.789.AK- क्लासिकल सूकर ज्वर रोग नियंत्रण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.AK- क्लासिकल सूकर ज्वर रोग नियंत्रण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान से योजना का संचालन होने के कारण ₹32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.789.AL- उभरते एवं बाहर से आने वाले पशु एवं पक्षी के रोगों का नियंत्रण (के.से.स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	ए.एस.सी.ए.डी के अन्तर्गत योजना संस्वीकृत होने के फलस्वरूप अतिरिक्त बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2403-00.796.29- गो मुक्ति धाम की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	गो मुक्ति धाम का निर्माण प्रक्रियाधीन होने के कारण ₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.A5- आधुनिक जाँच एवं अन्त्य परीक्षण प्रयोगशाला-सह- पशु एम्बुलेन्स सुविधा (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	140.00	0.00	(-)140.00	₹140.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2403-00.796.AA- इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवेलपमेंट (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	अनुबन्ध पूरा नहीं होने के कारण ₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
3454-01.001.03- पशु गणना (के.से.स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण ₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

पूँजी:

- (5) ₹1,341.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹250.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹725.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,341.28 लाख) से ₹616.28 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

(7) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.101.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	275.00	225.00	167.54	(-)57.46	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹57.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4403-00.106.06- पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	70.00	49.91	(-)20.09	₹230.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹200.00 लाख की बचत समीक्षा बैठक में मरम्मत के स्थान पर निर्माण का परामर्श दिये जाने (₹50.00 लाख) तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, चतरा में आवश्यक निर्माण के प्रस्ताव (₹150.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹30.00 लाख की शेष बचत एवं ₹20.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)230.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.109.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	270.00	170.00	69.99	(-)100.01	₹100.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹50.00 लाख की बचत निर्माण पर कम खर्च होने की संभावना के कारण हुई थी। ₹50.00 लाख की शेष बचत एवं ₹100.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
4403-00.796.06- पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	325.00	298.13	(-)26.87	₹125.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹25.00 लाख की बचत निर्माण पर कम खर्च होने की संभावना के कारण हुई थी। ₹100.00 लाख की शेष बचत एवं ₹26.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	200.00				
	पुनर्वि.	(-)125.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.796.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	325.00	325.00	96.56	(-)228.44	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹228.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4403-00.796.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	370.00	300.00	246.58	(-)53.42	₹70.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की मांग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹53.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.109.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.796.23- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
4403-00.796.28- पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, कांके, राँची का टीका औषधि उत्पादन हेतु मानक पद्धति प्रयोगशाला के तहत सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 3 - भवन निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2059 - लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4059 - लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,12,36,02	1,13,09,02	80,65,88	(-)32,43,14
अनुपूरक	73,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

23,00

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,55,70,00	6,35,70,00	5,45,64,95	(-) 90,05,05
अनुपूरक	1,80,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

49,30,84

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹3,243.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹23.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹73.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹23.00 लाख), अंतिम बचत (₹3,243.14 लाख) से ₹3,220.14 लाख से कम था।

अनुदान संख्या - 3 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2059-80.053.13- गैर-आवासीय भवनों की मरम्मत एवं संधारण (राज्य स्कीम) एवं 2216-05.053.04- लोक निर्माण-आवासीय भवनों की मरम्मत एवं संधारण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹130.37 लाख एवं ₹90.42 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹2,000.00 लाख एवं ₹1,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.20- भवन निर्माण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	204.01	204.01	135.53	(-)68.48	₹68.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2059-80.001.01- निर्देशन (स्थापना व्यय)	मूल	582.81	632.81	386.07	(-)246.74	₹246.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2059-80.001.02- वास्तुकला (स्थापना व्यय)	मूल	75.19	75.19	43.50	(-)31.69	₹31.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2059-80.001.03- भवन निर्माण- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	602.72	602.72	469.71	(-)133.01	₹133.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 3 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2059-80.001.04- भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (स्थपना व्यय)	मूल	5,199.75	5,176.75	3,370.82	(-)1,805.93	₹23.00 लाख की प्रत्याशित बचत सेवा निवृत्त अभियंता के बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,805.93 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.00				
2059-80.001.11- निदेशन-उद्यान संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	322.79	(-)177.21	₹177.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2059-80.001.12- बाह्यस्रोत से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक झाड़ूकश, रात्री प्रहरी इत्यादि/ संविदा पर नियुक्त अभियंतागण (राज्य स्कीम)	मूल	563.50	563.50	330.44	(-)233.06	₹233.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 3 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.17- निदेशन-एच.ई. सी. से लिए गये सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	90.60	(-)209.40	₹209.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.053.06- नगर निगम एवं नगर पालिका कर (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी :

- (5) ₹9,005.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹8,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹10,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹18,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,930.84 लाख), अंतिम बचत (₹9,005.05 लाख) से ₹4,074.21 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 3 क्रमशः

- (7) शीर्ष 4059-01.051.58- कार्यालय भवन/परिसदन भवन (राज्य स्कीम) एवं 4059-01.796.58- कार्यालय भवन/परिसदन भवन (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹710.76 लाख एवं ₹157.26 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹10,500.00 लाख एवं ₹12,100.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश - 75: राज्यांश-25) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,100.00	1,269.16	1,269.16	0.00	₹1,830.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,830.84				
4059-01.051.39- कोर्ट भवन / आवासीय भवन / कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश - 75: राज्यांश-25) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,570.00	1,570.00	833.00	(-)737.00	₹737.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4059-01.796.48- प्रशिक्षण/ निरूपण/ गुण नियंत्रण प्रयोगशाला परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	199.00	199.00	124.22	(-)74.78	₹74.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 3 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4216-01.700.14- सरकारी आवासीय भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	1,900.00	1,828.83	(-)71.17	₹1,100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी, गुमला में नई परिसदन भवन तथा विभिन्न सरकारी आवासों के नवीकरण के लिए विपत्रों के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹71.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,100.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4059-01.796.39- कोर्ट भवन / आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,100.00	0.00	0.00	0.00	₹3,100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,100.00				

अनुदान संख्या - 3 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.796.39- कोर्ट भवन / आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश-75: राज्यांश-25) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	₹2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4216-01.106.03- लोक निर्माण-राज्य में भवन संबंधी लघु निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 4 – मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2013- मंत्रिपरिषद्, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2205 - कला एवं संस्कृति)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	59,38,47	85,21,52	66,94,42	(-)18,27,10
अनुपूरक	25,83,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹11,827.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹356.92 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,930.13 लाख) एवं मार्च 2023 (₹296.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,583.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2013-00.101.01- मंत्रिगण (स्थापना व्यय)	मूल	1,574.32	1,583.09	1,336.06	(-)247.03
	अनुपूरक	15.00			
	पुनर्वि.	(-)6.23			
₹6.23 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹247.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					

अनुदान संख्या - 4 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2013-00.108.01- मंत्रिगण का यात्रा व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	200.00	200.00	49.41	(-)150.59	₹150.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.090.01- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	638.82	763.82	568.64	(-)195.18	₹195.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	125.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.090.24- मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (स्थापना व्यय)	मूल	579.19	1,477.98	1,093.52	(-)384.46	₹384.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	897.92				
	पुनर्वि.	0.87				
2052-00.090.25- मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	273.24	273.24	198.68	(-)74.56	₹74.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.115.02- झारखण्ड भवन-स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	877.71	1,120.71	766.90	(-)353.81	₹353.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	243.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.800.04- पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को देय सुविधाएँ (स्थापना व्यय)	मूल	339.29	339.29	282.44	(-)56.85	₹56.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 4 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.800.14- दिवस एवं समारोह (स्थापना व्यय)	मूल	200.00	1,392.13	1,139.49	(-)252.64	₹252.64लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,192.13				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 5 - राज्यपाल सचिवालय

(मुख्य शीर्ष - 2012- राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,81,68	15,49,20	11,55,52	(-) 3,93,68
अनुपूरक	67,52			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

3,93,67

टीका और टिप्पणियाँ:

- ₹393.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹30.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹37.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹0.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹67.52 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.090.01- सचिवालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	865.35	643.72	643.72	0.00
	अनुपूरक	67.52			
	पुनर्वि.	(-)289.15			
₹289.15 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹249.44 लाख) एवं विपत्रों के प्राप्त नहीं होने (₹39.71 लाख) के कारण हुई थी।					

विनियोग संख्या - 5 क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2012-03.103.02- राज्यपाल का सैन्य सचिव एवं परिसहाय (स्थापना व्यय)	मूल	70.83	42.95	42.94	(-)0.01	₹27.88 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹9.77 लाख की बचत विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹18.11 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.88				
2012-03.103.05- बाग एवं उद्यान (स्थापना व्यय)	मूल	74.96	48.97	48.97	0.00	₹25.99 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹15.71 लाख) एवं विपत्रों के प्राप्त नहीं होने (₹10.28 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.99				
2012-03.105.01- अन्य प्रभार (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति) (स्थापना व्यय)	मूल	43.81	21.40	21.40	0.00	₹22.41 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त रहने (₹19.36 लाख) एवं विपत्रों के प्राप्त नहीं होने (₹3.05 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.41				

अनुदान संख्या 6 - मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

(मुख्य शीर्ष -2015-निर्वाचन)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	96,45,34	1,44,83,06	1,36,67,35	(-) 8,15,71
अनुपूरक	48,37,72			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 3,71,43

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹815.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹511.08 लाख), दिसम्बर 2022 (₹2,159.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹2,167.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,837.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹371.43 लाख), अंतिम बचत (₹815.71 लाख) से ₹444.28 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2015-00.106.03- राज्य विधान सभा का उपनिर्वाचन (स्थापना व्यय) एवं 2015-00.108.02-मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹68.21 लाख एवं ₹107.83 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,644.10 लाख एवं ₹2,714.73 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2015-00.102.01- मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	3,626.78	3,529.10	3,094.48	(-)434.62	₹604.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	72.14				
	पुनर्वि.	(-)169.82				

**अनुदान संख्या 7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	43,84,03	44,11,03	39,96,93	(-) 4,14,10
अनुपूरक	27,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

4,14,25

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹414.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹20.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹7.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹27.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) शीर्ष 2070-00.104.04- अनुसंधान ब्यूरो (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹360.21 लाख की बचत, जो कि ₹3,879.71 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.104.03 तकनीकी परीक्षक कोषांग (स्थापना व्यय)	मूल	218.78	192.64	192.64	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)26.14			

₹26.14 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या 8 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(नागर विमानन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 3053-नागर विमान, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	32,40,03	41,80,03	36,46,49	(-)5,33,54
अनुपूरक	9,40,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

5,20,74

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	41,60,00	66,60,00	54,80,75	(-)11,79,25
अनुपूरक	25,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

11,79,25

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹ 533.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹2.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹938.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 940.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 8 क्रमशः

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 520.74 लाख), अंतिम बचत (₹ 533.54 लाख) से ₹12.80 लाख कम था।

(3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3053-02.102.07- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी. एस.) एवं हवाई अड्डों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	50.00	50.00	0.00	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 50.00				
3053-80.003.07- सी.पी.एल. ग्लाइडिंग तथा एयरो मॉडलिंग (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	45.55	45.55	0.00	₹94.45 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 94.45				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3053-80.001.09- एयर अम्बुलेंस सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 300.00				

पूँजी :

(5) ₹1,179.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 में प्राप्त किया गया ₹2,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 8 क्रमशः

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5053-02.102.05- विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में रनवे का निर्माण एवं विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	65.31	65.31	0.00	₹184.69 लाख की प्रत्याशित बचत के टोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)184.69				
5053-02.102.10- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी. एस.) एवं हवाई अड्डों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	14.08	14.08	0.00	₹35.92 लाख की प्रत्याशित बचत के टोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.92				
5053-80.003.05- सी.पी.एल., ग्लाइडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	4.94	4.94	0.00	₹195.06 लाख की प्रत्याशित बचत के टोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)195.06				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5053-02.102.11- झारखण्ड में हेलीपैड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के टोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				

अनुदान संख्या - 8 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.796.03- राँची हवाई अड्डे पर राजकीय एयरबेस के निर्माण हेतु निधि का आवंटन (राज्य स्कीम)	मूल	550.00	0.00	0.00	0.00	₹550.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)550.00				
5053-02.796.11- झारखण्ड में हेलीपैड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 50.00				

अनुदान संख्या 9 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2425- सहकारिता, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,22,34,90	5,41,97,14	4,87,57,18	(-)54,39,96
अनुपूरक	4,19,62,24			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

32,26,00

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,42,99,00	2,67,99,00	1,16,04,01	(-)1,51,94,99
अनुपूरक	25,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

80,80,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹5,439.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹40.44 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹41,921.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹41,962.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,226.00 लाख), अंतिम बचत (₹5,439.96 लाख) से ₹2,213.96 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

(3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	140.47	100.47	86.43	(-)14.04	₹40.00 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति एवं पदोन्नति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹14.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2425-00.001.02- अधीक्षण एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सहकारी समितियों का विकास एवं संगठन (स्थापना व्यय)	मूल	4,189.39	3,989.39	3,636.49	(-)352.90	₹200.00 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹352.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2425-00.003.01- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	171.72	131.72	117.06	(-)14.66	₹40.00 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति एवं पदोन्नति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹14.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.101.01- अंकेक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,998.75	1,848.75	1,672.46	(-)176.29	₹150.00 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹176.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				
2425-00.108.01- विशेष सहकारी समितियों का संगठन एवं पर्यवेक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	626.21	501.71	447.30	(-)54.41	₹125.00 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति एवं पदोन्नति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹54.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.50				
	पुनर्वि.	(-)125.00				
2425-00.108.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	1,010.00	839.09	(-)170.91	₹170.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	950.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.108.75- पी.ए.सी.एस. का कम्प्यूटरीकरण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	534.60	329.70	(-)204.90	₹300.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य ही राज्य योजना की स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹204.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	834.60				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2425-00.108.75- पी.ए.सी.एस. का कम्प्यूटरीकरण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	356.70	219.80	(-)136.90	₹199.80 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य ही राज्य योजना की स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹136.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	556.50				
	पुनर्वि.	(-)199.80				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.789.75- पी.ए.सी.एस. का कम्प्यूटरीकरण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	356.40	219.80	(-)136.60	₹200.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य ही राज्य योजना की स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹136.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	556.40				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2425-00.789.75- पी.ए.सी.एस. का कम्प्यूटरीकरण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	237.80	146.54	(-)91.26	₹133.20 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य ही राज्य योजना की स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹91.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	371.00				
	पुनर्वि.	(-)133.20				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.796.75- पी.ए.सी.एस. का कम्प्यूटरीकरण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	891.00	549.50	(-)341.50	₹500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य ही राज्य योजना की स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹341.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,391.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2425-00.796.75- पी.ए.सी.एस. का कम्प्यूटरीकरण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	594.50	366.34	(-)228.16	₹333.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से विमुक्त केन्द्रांश के समतुल्य ही राज्य योजना की स्वीकृति के कारण हुई थी। ₹228.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	927.50				
	पुनर्वि.	(-)333.00				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.108.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्प्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-) 300.00			
2425-00.789.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्प्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)200.00			
2425-00.796.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्प्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)500.00			

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

पूँजी:

- (5) ₹15,194.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹1,500.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹1,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,080.00 लाख), अंतिम बचत (₹15,194.99 लाख) से ₹7,114.99 लाख कम था।
- (7) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4425-00.108.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	3,089.70	2,729.70	2,077.45	(-)652.25	₹360.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित प्रक्रिया से अनुपालन में विलम्ब के कारण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹652.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)360.00				
4425-00.789.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	2,059.80	1,819.80	1,047.12	(-) 772.68	₹240.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित प्रक्रिया से अनुपालन में विलम्ब के कारण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹772.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 240.00				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4425-00.796.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	5,149.50	4,549.50	3,479.44	(-)1,070.06	₹600.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित प्रक्रिया से अनुपालन में विलम्ब के कारण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,070.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
6425-00.108.19- एन.सी.डी.सी. सम्पोषित योजना अंतर्गत ऋण, हिस्सा पूंजी एवं अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	210.00	0.00	(-)210.00	₹3,240.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित प्रक्रिया से अनुपालन में विलम्ब के कारण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹210.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	450.00				
	पुनर्वि.	(-)3,240.00				

अनुदान संख्या - 9 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6425-00.789.19- एन.सी.डी.सी. सम्पोषित योजना अंतर्गत ऋण, हिस्सा पूँजी एवं अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,260.00	0.00	(-)1,260.00	₹1,040.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित प्रक्रिया से अनुपालन में विलम्ब के कारण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,260.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	300.00				
	पुनर्वि.	(-)1,040.00				
6425-00.796.19- एन.सी.डी.सी. सम्पोषित योजना अंतर्गत ऋण, हिस्सा पूँजी एवं अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	3,150.00	0.00	(-)3,150.00	₹2,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्धारित प्रक्रिया से अनुपालन में विलम्ब के कारण योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹3,150.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	750.00				
	पुनर्वि.	(-)2,600.00				

अनुदान संख्या 10 - ऊर्जा विभाग

(मुख्य शीर्ष-2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2801- बिजली, 2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,89,96,18	40,68,42,34	40,28,74,92	(-)39,67,42
अनुपूरक	6,78,46,16			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

23,44,75

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,64,98,00	43,53,65,00	42,11,67,00	(-)1,41,98,00
अनुपूरक	28,88,67,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

1,41,98,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹3,967.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹4.85 लाख), दिसम्बर 2022 (₹15,826.81 लाख) एवं मार्च 2023 (₹52,014.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹67,846.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,344.75 लाख), अंतिम बचत (₹3,967.42 लाख) से ₹1,622.67 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2059-80.001.10- विद्युत कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹187.62 लाख की बचत, जो कि ₹4,889.03 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2801-06.052.11- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे. वाई.) (राज्य स्कीम)	मूल	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	₹1,447.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,447.70				
	पुनर्वि.	(-)1,447.70				
2801-06.789.11- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे. वाई.) (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	₹280.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	280.20				
	पुनर्वि.	(-)280.20				
2801-06.796.11- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे. वाई.) (राज्य स्कीम)	मूल	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	₹607.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	607.10				
	पुनर्वि.	(-)607.10				
2801-80.004.16- विद्युतीकरण के लिए परामर्शी सेवा, अंकेक्षण शुल्क, प्रचार/प्रसार/सेमिनार एवं गोष्ठी तथा एस.एल.डी.सी. एवं अन्य को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	21.21	(-) 978.79	₹978.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2801-80.101.02- झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अनुदान (स्थापना)	मूल	406.18	406.18	0.00	(-) 406.18	₹406.18 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

(5) ₹14,198.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹18,878.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹2,57,489.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹12,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,88,867.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(6) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
6801-00.205.37- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचारण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	31,000.00	16,207.42	16,207.42	0.00	₹25,851.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	11,058.94				
	पुनर्वि.	(-)25,851.52				
6801-00.205.39- झारखण्ड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	4,650.00	4,340.00	4,340.00	0.00	₹1,985.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,675.86				
	पुनर्वि.	(-)1,985.86				

अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.205.42- विश्व बैंक सम्पोषित संचरण परियोजनाओं के लिए ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	18,600.00	25,234.00	25,234.00	0.00	₹10,850.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	17,484.00				
	पुनर्वि.	(-)10,850.00				
6801-00.789.37- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचारण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	3,136.92	3,136.92	0.00	₹5,003.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,140.44				
	पुनर्वि.	(-)5,003.52				
6801-00.789.39- झारखण्ड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	840.00	840.00	0.00	₹384.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	324.36				
	पुनर्वि.	(-)384.36				
6801-00.789.42- विश्व बैंक सम्पोषित संचरण परियोजनाओं के लिए ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	4,884.00	4,884.00	0.00	₹2,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,384.00				
	पुनर्वि.	(-)2,100.00				
6801-00.796.37- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को संचारण ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	13,000.00	6,796.66	6,796.66	0.00	₹10,840.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,637.62				
	पुनर्वि.	(-)10,840.96				

अनुदान संख्या - 10 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
6801-00.796.39- झारखण्ड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,950.00	1,820.00	1,820.00	0.00	₹832.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	702.78				
	पुनर्वि.	(-832.78)				
6801-00.796.42- विश्व बैंक सम्पोषित संचरण परियोजनाओं के लिए ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	7,800.00	10,582.00	10,582.00	0.00	₹4,550.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	7,332.00				
	पुनर्वि.	(-4,550.00)				

अनुदान संख्या 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2039 राज्य उत्पाद शुल्क, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	36,46,05	79,74,05	74,61,93	(-)5,12,12
अनुपूरक	43,28,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

30,00

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,50,00	10,50,00	6,21,57	(-)4,28,43
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹512.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2022 (₹4,300.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹28.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,328.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹30.00 लाख), अंतिम बचत (₹512.12 लाख) से ₹482.12 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 11 क्रमांत

- (3) शीर्ष 2039-00.001.04-अधीक्षण (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹71.56 लाख की बचत, जो कि ₹4,592.69 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2039-00.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	3,096.15	3,066.15	2,684.00	(-)382.15	₹412.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

पूँजी:

- (4) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (5) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4047-00.039.07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	350.00	125.69	(-)224.31	₹224.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4047-00.796.07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	700.00	495.88	(-)204.12	₹204.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 12 - वित्त विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2075-विविध सामान्य सेवाएँ, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय एवं 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	65,05,82	68,13,56	46,73,45	(-) 21,40,11
अनुपूरक	3,07,74			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

14,16,60

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	87,13,26	94,13,26	44,26,74	(-) 49,86,52
अनुपूरक	7,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

17,28,41

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹2,140.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹169.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹132.27 लाख) एवं मार्च 2023 (₹6.47 लाख) में प्राप्त किया गया ₹307.74 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,416.60 लाख), अंतिम बचत (₹2,140.11 लाख) से ₹723.51 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 12 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2052-00.090.08- वित्त विभाग (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹123.45 लाख की बचत, जो कि ₹1,548.98 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.10- भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना व्यय)	मूल	128.01	68.70	68.70	0.00	₹60.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)60.31				
2052-00.090.34- वित्त (वित्तीय नीति एवं विश्लेषण कोषांग) विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	111.73	181.73	163.07	(-)18.66	₹22.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	74.00				
	पुनर्वि.	(-)4.00				
2052-00.090.39- भविष्य निधि- अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय)	मूल	300.00	148.56	148.56	0.00	₹151.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)151.44				
2052-00.092.05- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना- मुख्यालय प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	297.43	151.95	151.95	0.00	₹146.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)146.48				
2052-00.092.06- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	734.86	619.60	619.60	0.00	₹115.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)115.26				

अनुदान संख्या - 12 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2054-00.095.01- भविष्य निधि लेखा का संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	310.43	290.74	290.65	(-)0.09	₹40.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	20.84				
	पुनर्वि.	(-)40.53				
2054-00.097.01- कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (स्थापना व्यय)	मूल	1,351.28	1,243.57	1,212.38	(-)31.19	₹207.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	69.00				
	पुनर्वि.	(-)176.71				
2058-00.103.02- झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (स्थापना व्यय)	मूल	236.39	164.03	164.02	(-)0.01	₹72.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.36				
2070-00.800.08- विविध तथा आकस्मिक व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	352.00	351.92	(-)0.08	जेम (GEM) के माध्यम से वाहनों के क्रय हेतु विपत्रों के भुगतान के कारण ₹30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹618.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)648.00				

अनुदान संख्या - 12 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.800.13- असंगत शीर्ष के अन्तर्गत कटौती/ सुसंगत शीर्ष में अधिक कटौती की गई राशि की वापसी (स्थापन व्यय)	मूल	15.00	4.12	4.11	(-)0.01	₹20.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)20.88				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2075-00.791.02- राज्य सरकार पर बकाया के समतुल्य रुपये का समायोजन (स्थापना व्यय)	मूल	550.00	550.00	0.00	(-)550.00	₹550.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (5) ₹4,986.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹700.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,728.41 लाख), अंतिम बचत (₹4,986.52 लाख) से ₹3,258.11 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 12 क्रमशः

(7) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4070-00.003.85- आई.एफ.एम.एस. - भर्सन 2.0 (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	371.59	371.59	0.00	₹1,728.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	700.00				
	पुनर्वि.	(-),728.41				
7610-00.201.01- सरकारी सेवकों को गृह-निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	4,500.00	4,500.00	3,652.18	(-)847.82	₹847.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
7610-00.201.03- मंत्रियों/विधान मंडल के सदस्यों को गृह- निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	500.00	500.00	95.00	(-)405.00	₹405.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
7610-00.202.01- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	700.00	700.00	214.83	(-) 485.17	₹485.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
7610-00.202.04- विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	600.00	600.00	93.14	(-)506.86	₹506.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 12 क्रमांत

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4070-00.003.86- वित्त पी.एम.यू. की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	313.26	313.26	0.00	(-)313.26	₹313.26 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
7610-00.201.02- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह-निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
7610-00.202.02- सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
7610-00.202.03- मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 13- ब्याज संदाय

(मुख्य शीर्ष - 2049-ब्याज अदायगियाँ)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	66,61,56,80	66,63,16,80	62,38,31,39	(-)4,24,85,41
अनुपूरक	1,60,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

2,46,71,50

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹42,485.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹160.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹24,671.50 लाख), अंतिम बचत (₹42,485.41 लाख) से ₹17,813.91 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2049-01.101.01- राज्य विकास ऋण ब्याज (देय) (स्थापना व्यय) और 2049-03.104.01- साधारण भविष्य निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹15,905.35 लाख एवं ₹266.13 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹4,45,030.00 लाख एवं ₹26,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2049-01.200.02- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	50,000.00	30,663.33	30,663.33	0.00	₹19,336.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,336.67				

विनियोग संख्या - 13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.200.03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारागार से लिए गए ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	300.00	94.80	94.80	0.00	₹205.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)205.20				
2049-01.200.08- आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गए ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	10,000.00	6,188.58	6,188.58	0.00	₹3,811.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,811.42				
2049-01.200.11- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) से लिए गये कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	1,500.00	1,347.55	1,347.55	0.00	₹152.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)152.45				
2049-03.104.02- आखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	400.00	400.00	287.09	(-)112.91	₹112.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-03.108.01- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	19.45	19.45	0.00	₹80.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.55				

विनियोग संख्या - 13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-60.701.03- विविध न्याय निर्णय के अलोक में ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	250.00	312.00	294.60	(-)17.40	अनुमोदित प्रस्ताव के विपत्रों का भुगतान एवं विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज के भुगतान के कारण ₹99.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹187.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹17.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	150.00				
	पुनर्वि.	(-)88.00				
2049-60.701.06- वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	16.00	13.65	(-)2.35	अनुमोदित प्रस्ताव के विपत्रों का भुगतान एवं विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज के भुगतान के लिये निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹99.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹885.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)984.00				

विनियोग संख्या - 13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-60.701.08- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के तहत उपलब्ध शेष धनराशि पर ब्याज (कैम्पा) (स्थापना व्यय)	मूल	21,000.00	21,000.00	16,156.34	(-)4,843.66	₹4,843.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.115.01- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	700.00	700.00	0.00	(-)700.00	₹700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.01- अंतरिम भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या - 13 क्रमांत

(5) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुआ :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-01.305.01- पूराने ऋणों से संबंधित व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	0.01	1,384.13	+1,384.12	₹1,384.12 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.101.03- एकमुश्त ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	5,752.91	5,752.91	9,032.88	+3,279.97	₹3,279.97 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 14 - ऋण की वापसी/अदायगी

(मुख्य शीर्ष - 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग, 6003 -राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,45,00,00	5,45,00,00	5,00,00,00	(-)45,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूँजी:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	67,13,53,03	67,13,53,03	67,29,45,49	+ 15,92,46
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

23,74,88

(मार्च 2023)

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) शीर्ष 2048-00.101.01-निक्षेप निधि में योगदान (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹4,500.00 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹54,500.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम थी।

पूँजी:

- (2) विनियोग से ₹15,92,46,443 का अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है।
- (3) ₹1,592.46 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, ₹2,374.88 लाख की प्रत्याशित बचत के रूप में अभ्यर्पण अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ।

विनियोग संख्या - 14 क्रमशः

(4) अधिक व्यय (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुआ:

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)	अभ्युक्ति
6004-02.101.01- 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (स्थापना व्यय)	मूल	11,000.00	11,000.00	14,969.21	+3,969.21	₹3,969.21 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) निम्नलिखित मामलों में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.52- 9.00 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण 2022 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	50,000.00	+50,000.00	बिना बजट प्रावधान के ₹50,000.00 लाख का व्यय किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.92- 8.64 प्रतिशत झारखण्ड राज्य स्टॉक 2023 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	80,000.00	+80,000.00	बिना बजट प्रावधान के ₹80,000.00 लाख का व्यय किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या - 14 क्रमशः

- (6) शीर्ष 6003-00.105.01- नाबार्ड से प्राप्त ऋण के मूलधन की वापसी (स्थापना व्यय) एवं 6003-00.109.01-हुडको से कर्ज (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹471.26 लाख एवं ₹1,303.46 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,36,500.00 लाख एवं ₹17,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे टिप्पणी (4) एवं (5) में उल्लेखित अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुआ:

शीर्ष		मूल	अनुपूरक	पुनर्वि.	कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.108.01- सहकारिता विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	700.00			607.21	607.21	0.00	₹92.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00						
	पुनर्वि.	(-)92.79						
6003-00.109.08- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी) से लिये गये कर्जे (स्थापना व्यय)	मूल	3,000.00			2,492.64	2,492.64	0.00	₹507.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00						
	पुनर्वि.	(-)507.36						

- (7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :

शीर्ष		मूल	अनुपूरक	पुनर्वि.	कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.88- 9.00 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक 2022 (स्थापना व्यय)	मूल	50,000.00			50,000.00	0.00	(-)50,000.00	₹50,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00						
	पुनर्वि.	0.00						

विनियोग संख्या - 14 क्रमांत

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
6003-00.101.90- 8.64 प्रतिशत झारखण्ड सरकार स्टॉक 2023 (स्थापना व्यय)	मूल	80,000.00	80,000.00	0.00	(-)80,000.00	₹80,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 15 - पेंशन

(मुख्य शीर्ष- 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	80,45,38,03	84,47,88,03	78,03,17,20	(-)6,44,70,83
अनुपूरक	4,02,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

7,00,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹64,470.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹250.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹40,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹40,250.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹70,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹64,470.83 लाख) से ₹5,529.17 लाख अधिक था।
- (3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2071-01.101.06- 15.11.2000 के बाद पेंशन पाने वालों को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	4,81,000.00	5,21,000.00	4,68,136.06	(-)52,863.94	₹52,863.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	40,000.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.102.04- 15.11.2000 के बाद पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय)	मूल	33,000.00	33,000.00	28,613.87	(-) 4,386.13	₹4,386.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 15 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.111.01- विधायकों को पेंशन-राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	40.00	40.00	3.87	(-)36.13	₹36.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.02- विधायकों का 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन-राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	350.00	350.00	0.98	(-)349.02	₹349.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.03- विधायकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन-राज्य विधायक (स्थापना व्यय)	मूल	650.00	650.00	285.79	(-)364.21	₹364.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.115.03- 15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (स्थापना व्यय)	मूल	58,000.00	58,000.00	49,612.71	(-)8,387.29	₹8,387.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.117.03- सामान्य भविष्य निधि-अशंदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,20,000.00	50,000.00	40,085.38	(-)9,914.62	₹79,914.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70,000.00				

अनुदान संख्या - 15 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.104.03- 15.11.2000 के पूर्व का उपादान (स्थापना व्यय)	मूल	4,500.00	4,500.00	0.00	(-)4,500.00	₹4,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) शीर्ष 2071-01.101.10- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये स्थानान्तरण अनुदान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (स्थापना व्यय) एवं 2071-01.104.04- 15.11.2000 के बाद का उपादान (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹111.27 लाख एवं ₹6,929.33 लाख का अधिक व्यय, जो क्रमशः ₹1,500.00 लाख एवं ₹70,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.101.05- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पाने वालों को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	200.00	200.00	885.49	+685.49	₹685.49 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.101.07- पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के पूर्व पेंशन पाने वालों को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1.50	1.50	668.02	+666.52	₹666.52 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 15 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.105.03- 1984 दंगा में पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/ लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	0.01	463.60	+463.59	₹463.59 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.04- 15.11.2000 के पूर्व का पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	1,624.44	+624.44	₹624.44 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.05- 15.11.2000 के बाद का पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	27,000.00	27,000.00	94,715.11	+67,715.11	₹67,715.11 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.106.02- 15.11.2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	1.50	1.50	433.77	+432.27	₹432.27 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.106.03- 15.11.2000 के बाद के पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	75.00	75.00	453.15	+378.15	₹378.15 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 15 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2071-01.115.02-15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अवयवहत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना व्यय)	मूल	200.00	200.00	8,619.10	+8,419.10	₹8,419.10 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 16 - वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,53,48	2,61,71	2,03,54	(-) 58,17
अनुपूरक	8,23			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

58,17

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹58.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹8.23 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2047-00.103.02- जिला प्रभार (अल्प बचत प्रचार सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	196.67	156.04	156.04	0.00
	अनुपूरक	8.23			
	पुनर्वि.	(-)48.86			
₹48.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					

अनुदान संख्या 17 - वाणिज्यकर विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,07,57,46	1,41,18,91	1,21,11,43	(-) 20,07,48
अनुपूरक	33,61,45			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

6,46,23

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹2,007.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹3,125.80 लाख) एवं मार्च 2023 (₹235.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,361.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹646.23 लाख), अंतिम बचत (₹2,007.48 लाख) से ₹1,361.25 लाख कम था।
- (3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2040-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,349.62	1,276.32	1,276.32	0.00	₹400.95 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	327.65				
	पुनर्वि.	(-)400.95				
2040-00.001.19- नये सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	311.02	311.02	0.00	₹188.98 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)188.98				

अनुदान संख्या - 17 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2040-00.101.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	8,232.29	11,262.29	9,913.93	(-)1,348.36	₹1,348.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,030.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.090.07- वाणिज्य कर विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	427.96	382.80	382.80	0.00	₹47.16 लाख की प्रत्याशित बचत के ठोस कारणों को सूचित नहीं किया गया है।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)47.16				

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण 3 एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(मुख्य शीर्ष - 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 4408- खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,90,08,19	27,27,39,76	14,48,05,94	(-) 12,79,33,82
अनुपूरक	2,37,31,57			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

11,00,03,65

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	62,50,00	62,50,00	41,18,27	(-)21,31,73
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

20,06,31

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹1,27,933.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹3,957.61 लाख), दिसम्बर 2022 (₹19,759.95 लाख) एवं मार्च 2023 (₹14.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹23,731.57 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,10,003.65 लाख), अंतिम बचत (₹1,27,933.82 लाख) से ₹17,930.17 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

- (3) शीर्ष 3456-00.796.70- नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹134.78 लाख की बचत, जो कि ₹5,121.00 लाख के प्रवाधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3451-00.090.11- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	554.61	556.61	470.88	(-)85.73	₹85.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3.60				
	पुनर्वि.	(-)1.60				
3456-00.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	2,154.42	2,172.42	1,678.66	(-)493.76	₹493.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.001.53- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (स्थापना व्यय)	मूल	1,658.50	2,304.11	1,840.91	(-)463.20	₹463.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	645.61				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.001.56- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	400.94	398.44	243.28	(-)155.16	₹13.50 लाख की प्रत्याशित बचत बाह्य श्रोत पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹155.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	11.00				
	पुनर्वि.	(-)13.50				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.27- कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,950.00	1,750.00	1,169.42	(-)580.58	₹780.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
3456-00.102.29- धोती-साड़ी वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	21,025.00	11,000.00	10,999.63	(-)0.37	₹10,025.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,025.00				
3456-00.102.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	22,593.00	20,986.61	19,299.25	(-)1,687.36	₹1,606.39 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 998.83 लाख की बचत प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिये निधि केवल अप्रैल से सितम्बर 2022 तक के लिए आवंटित किये जाने के कारण हुई थी। ₹607.57 लाख की शेष बचत तथा ₹1,687.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,606.39				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.57- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	134.10	89.22	(-)44.88	₹115.90 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न स्तरों पर गठित कोषों में राशि बचे होने के कारण हुई थी। ₹44.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)115.90				
3456-00.102.65- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,591.00	4,014.15	3,619.27	(-)394.88	₹576.85 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹418.33 लाख की बचत प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिये निधि केवल अप्रैल से सितम्बर 2022 तक के लिए आवंटित किये जाने के कारण हुई थी। ₹158.52 लाख की शेष बचत तथा ₹394.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)576.85				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.66- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	9,500.00	6,580.14	6,485.66	(-)94.48	₹3,014.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,919.86				
3456-00.102.68- सरकारी भोजन केन्द्र योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,100.00	852.18	615.57	(-)236.61	₹247.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्य मंत्री दाल-भात केन्द्रों के संचालन के लिये निधि का कम आवंटन (₹247.00 लाख) तथा विलम्ब से विपत्रों की प्राप्ति (₹0.82 लाख) के कारण हुई थी। ₹236.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)247.82				
3456-00.102.69- धान अधिप्राप्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	183.13	183.13	0.00	₹3,816.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,816.87				
3456-00.102.73- किरासन तेल वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	101.39	2.27	(-)99.12	₹147.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.61				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.74- सुपात्र लाभुक डकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	166.00	90.90	81.66	(-)9.24	₹84.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.10				
3456-00.102.75- प्रचार-प्रसार, सेमिनार एवं प्रशिक्षण आदि (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	285.00	116.30	(-)168.70	₹183.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
3456-00.102.76- मुख्यमंत्री सपोर्ट (दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय हेतु अनुदान) योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,549.00	1,300.83	224.72	(-)1,076.11	₹2,324.28 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,248.17				
3456-00.102.77- दाल वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	20,030.00	4,600.00	4,600.00	0.00	₹15,430.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,430.00				
3456-00.102.78- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	2,203.58	1,841.40	(-)362.18	₹362.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,203.58				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.789.27- कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	600.00	349.11	(-)250.89	₹350.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3456-00.789.29- धोती-साड़ी वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,350.00	4,000.00	3,999.70	(-)0.30	₹4,350.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,350.00				
3456-00.789.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,220.00	6,686.26	5,317.22	(-)1,369.04	₹533.74 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹285.28 लाख की बचत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिये निधि केवल अप्रैल से सितम्बर 2022 तक के लिये आवंटित किये जाने के कारण हुई थी। ₹248.46 लाख की शेष बचत तथा ₹1,369.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)533.74				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.65- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,133.00	1,879.40	1,292.93	(-)586.47	₹253.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹182.72 लाख की बचत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिये निधि केवल अप्रैल से सितम्बर 2022 तक के लिये आवंटित किये जाने के कारण हुई थी। ₹70.88 लाख की शेष बचत तथा ₹586.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)253.60				
3456-00.789.66- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,100.00	2,777.80	2,733.82	(-)43.98	₹1,366.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,322.20				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.68- सरकारी भोजन केन्द्र योजना (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	328.76	95.57	(-)233.19	₹71.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्य मंत्री दाल-भात योजना के अन्तर्गत दाल-भात केन्द्रों के संचालन के लिये निधि का कम आवंटन (₹71.00 लाख) तथा विलम्ब से विपत्रों की प्राप्ति (₹0.24) के कारण हुई थी। ₹233.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.24				
3456-00.789.69- धान अधिप्राप्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	153.69	153.69	0.00	₹846.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)846.31				
3456-00.789.73- किरासन तेल वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	35.10	0.67	(-)34.43	₹49.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14.90				
3456-00.789.74- सुपात्र लाभुक डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	133.00	69.30	45.36	(-)23.94	₹87.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.70				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.75- प्रचार-प्रसार, सेमिनार एवं प्रशिक्षण आदि (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	23.75	(-)76.25	₹76.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.789.77- दाल वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,406.00	1,600.00	1,600.00	0.00	₹4,806.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,806.00				
3456-00.789.78- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी. के.ए.वाई.) (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	728.00	396.43	(-)331.57	₹331.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	728.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3456-00.796.27- कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,350.00	2,250.00	1,330.00	(-)920.00	₹1,020.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
3456-00.796.29- धोती-साड़ी वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,625.00	15,000.00	15,000.00	0.00	₹30,625.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	15,000.00				
	पुनर्वि.	(-)30,625.00				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3456-00.796.39 पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25,458.00	24,016.93	20,611.96	(-)3,404.97	₹1,441.07 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹915.89 लाख की बचत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिये निधि केवल अप्रैल से सितम्बर 2022 तक के लिये आवंटित किये जाने के कारण हुई थी। ₹525.18 लाख की शेष बचत तथा ₹3,404.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,441.07				
3456-00.796.57- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	85.34	71.04	(-)14.30	₹264.66 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न स्तरों पर गठित कोषों में राशि बचे होने के कारण हुई थी। ₹14.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)264.66				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.65- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,676.00	8,630.68	7,120.39	(-)1,510.29	₹1,045.32 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹798.95 लाख की बचत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिये निधि केवल अप्रैल से सितम्बर 2022 तक के लिये आवंटित किये जाने के कारण हुई थी। ₹246.37 लाख की शेष बचत तथा ₹1,510.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,045.32				
3456-00.796.66- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	14,000.00	9,631.73	9,510.91	(-)120.82	₹4,489.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,368.27				
3456-00.796.67- राईस फोर्टीफिकेशन योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	180.00	18.82	18.82	0.00	₹161.18 लाख की प्रत्याशित बचत योजना पर भारित सम्पूर्ण राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)161.18				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3456-00.796.67- राईस फोर्टीफिकेशन योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	60.00	12.65	12.65	0.00	₹47.35 लाख की प्रत्याशित बचत योजना पर भारत सरकार द्वारा किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.35				
3456-00.796.68- सरकारी भोजन केन्द्र योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,264.31	857.60	(-)406.71	₹235.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्य मंत्री दाल-भात योजना के अन्तर्गत दाल-भात केन्द्रों के संचालन के लिये निधि का कम आवंटन (₹152.00 लाख) तथा विलम्ब से विपत्रों की प्राप्ति (₹83.69 लाख) के कारण हुई थी। ₹406.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)235.69				
3456-00.796.69- धान अधिप्राप्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	719.10	719.10	0.00	₹4,280.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,280.90				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.73- किरासन तेल वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	133.51	10.07	(-)123.44	₹189.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.49				
3456-00.796.74- सुपात्र लाभुक डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	401.00	320.39	256.76	(-)63.63	₹144.24 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.61				
3456-00.796.75- प्रचार-प्रसार, सेमिनार एवं प्रशिक्षण आदि (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	375.00	188.34	(-)186.66	₹211.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
3456-00.796.76- मुख्यमंत्री सपोर्ट (दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय हेतु अनुदान) योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,976.00	1,524.17	381.83	(-)1,142.34	₹2,594.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,451.83				
3456-00.796.77- दाल वितरण योजना (राज्य सकीम)	मूल	22,564.00	6,300.00	6,300.00	0.00	₹16,264.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,264.00				
3456-00.796.78- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी. के.ए.वाई.) (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	2,668.42	2,131.38	(-)537.04	₹537.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,668.42				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3475-00.106.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	383.35	410.70	369.00	(-)41.70	₹41.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	27.35				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3456-00.102.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.99				
3456-00.102.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.99				
3456-00.102.67- राईस फोर्टीफिकेशन योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	योजना पर भारत सम्पूर्ण राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किये जाने के कारण ₹75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 75.00				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.57- झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
3456-00.789.67- राईस फोर्टीफिकेशन योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45.00	0.00	0.00	0.00	योजना पर भारित सम्पूर्ण राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किये जाने के कारण ₹45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.00				
3456-00.789.76- मुख्यमंत्री सपोर्ट (दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय हेतु अनुदान) योजना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	300.00	0.00	(-)300.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
3456-00.796.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	47.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹47.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.99				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3456-00.796.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.99				

पूँजी:

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,006.31 लाख), अंतिम बचत (₹2,131.73 लाख) से ₹125.42 लाख कम था।

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4408-02.101.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,100.00	1,400.00	1,400.00	0.00	₹700.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹400.00 लाख की बचत मरम्मति से संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹300.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)700.00				
4408-02.789.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	600.00	600.00	0.00	₹300.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				

अनुदान संख्या - 18 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4408-02.796.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	1,993.69	1,993.69	0.00	₹1,006.31 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹300.00 लाख की बचत मरम्मति से संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹706.31 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,006.31				
5475-02.102.04- राज्य विधिक माप विज्ञान का सुदृढीकरण (के.से.स्कीम)	मूल	200.00	200.00	124.58	(-)75.42	₹75.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5475-00.796.04 - राज्य विधिक माप विज्ञान का सुदृढीकरण (के.से.स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 19 - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,19,94,77	12,65,37,12	10,24,80,97	(-)2,40,56,15
अनुपूरक	2,45,42,35			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

1,69,47,13

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹24,056.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹1,231.02 लाख), दिसम्बर 2022 (₹12,037.73 लाख) एवं मार्च 2023 (₹11,273.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,542.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹16,947.13 लाख), अंतिम बचत (₹24,056.15 लाख) से ₹7,109.02 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2406-01.101.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम), 2406-01.101.58-अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम), 2406-01.789.58-अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम) एवं 2406-01.796.58-अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹218.53 लाख, ₹116.01 लाख, ₹232.86 लाख एवं ₹253.33 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹3,159.00 लाख, ₹7,476.82 लाख, ₹3,020.00 लाख एवं ₹3,800.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईं:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	6,473.26	6,174.68	5,485.43	(-)689.26	₹1,345.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	357.32				
	पुनर्वि.	(-)655.90				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.003.02- वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	376.77	298.87	292.35	(-)6.52	₹99.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	15.00				
	पुनर्वि.	(-)92.90				
2406-01.004.02- अन्य शोध (स्थापना व्यय)	मूल	547.75	421.80	416.34	(-)5.46	₹132.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.17				
	पुनर्वि.	(-)127.12				
2406-01.005.12- मूल्यांकन- सह-योजना प्रकोष्ठ (स्थापना व्यय)	मूल	623.41	590.33	404.20	(-)186.13	₹223.87 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4.66				
	पुनर्वि.	(-)37.74				
2406-01.070.01- सड़कें एवं पुल (स्थापना व्यय)	मूल	17.00	1,406.80	1,300.62	(-)106.18	₹223.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,506.80				
	पुनर्वि.	(-)117.00				
2406-01.101.01- वनों का विस्तार, विकास एवं सुरक्षा (स्थापना व्यय)	मूल	16,688.87	14,224.45	13,174.96	(-)1,049.49	₹4,602.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,088.53				
	पुनर्वि.	(-)3,552.95				
2406-01.101.02- वर्किंग प्लान प्रमंडल (स्थापना व्यय)	मूल	785.84	512.94	509.93	(-)3.01	₹283.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	7.64				
	पुनर्वि.	(-)280.54				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.101.03- वन कूपों की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	448.63	311.34	273.67	(-)37.67	₹174.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)137.29				
2406-01.101.06- भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना (स्थापना व्यय)	मूल	3,090.25	2,309.04	2,308.87	(-)0.17	₹781.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)781.21				
2406-01.101.39- पौधा रोपण एवं बीज उत्पादन का स्थायीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	170.00	170.00	126.68	(-)43.32	₹43.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.101.60- प्रशिक्षण, प्रचार- प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,144.44	1,084.29	(-)60.15	₹155.56 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹60.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	100.00				
	पुनर्वि.	(-)155.56				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.70- नदी तट वृक्षारोपण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,387.17	1,107.14	(-)280.03	₹112.83 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹280.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)112.83				
2406-01.101.71- शहरी वानिकी योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.00	2,775.32	(-)224.68	₹801.92 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य विवरणी के अनुसार आपूर्ति एवं सामग्री मद में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹224.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	801.92				
	पुनर्वि.	(-)801.92				
2406-01.102.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	360.00	263.41	254.15	(-)9.26	₹96.59 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹9.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.59				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.110.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एवं मनेजमेंट (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	144.00	144.32	2.89	(-)141.43	₹141.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.32				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.110.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एवं मनेजमेंट (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	96.00	96.00	1.93	(-)94.07	₹94.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.789.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,300.00	1,139.56	756.36	(-)383.20	₹160.44 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹383.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)160.44				
2406-01.796.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	159.34	152.67	(-)6.67	₹80.66 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹6.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.66				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.796.15- वन प्रबंधन सुविधा (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,887.00	1,545.43	(-)341.57	₹341.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	287.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-01.796.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,700.00	1,647.36	1,411.68	(-)235.68	₹52.64 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹235.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.64				
2406-02.110.01- अभ्यारण्य (स्थापना व्यय)	मूल	2,195.43	1,868.12	1,851.09	(-)17.03	₹450.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	106.58				
	पुनर्वि.	(-)433.89				
2406-02.110.02- विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	110.00	110.00	72.27	(-)37.73	₹37.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.03- हाथी परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	180.00	45.00	(-)135.00	₹120.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना हेतु निधि की कम संस्वीकृति के कारण हुई थी। ₹135.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				
2406-02.110.03- हाथी परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	120.00	30.00	(-)90.00	₹80.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना हेतु निधि की कम संस्वीकृति के कारण हुई थी। ₹90.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2406-02.110.08- पलामू ब्याघ्र योजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	300.00	173.30	(-)126.70	₹126.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-02.110.08- पलामू ब्याघ्र योजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	200.00	115.53	(-)84.47	₹84.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.21- प्रोजेक्ट टाईगर, पलामू (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	250.00	250.00	107.35	(-)142.65	₹142.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-02.110.21- प्रोजेक्ट टाईगर, पलामू (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	250.00	250.00	107.35	(-)142.65	₹142.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-04.103.02- प्रतिपूरक वनरोपण (राज्य स्कीम)	मूल	10,533.74	7,806.07	7,487.63	(-)318.44	₹3,291.11 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	245.00				
	पुनर्वि.	(-)2,972.67				
2406-04.103.03- जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,515.00	1,415.00	1,415.00	0.00	₹600.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	500.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				
2406-04.103.05- वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (राज्य स्कीम)	मूल	12,201.26	19,757.13	18,561.80	(-)1,195.33	₹2,695.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	9,056.18				
	पुनर्वि.	(-)1,500.31				
2406-04.103.06- ब्याज (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	20.00	19.23	(-)0.77	₹180.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)180.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.48- वन सीमा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजना में निधि की माँग होने के कारण ₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2406-01.101.72- झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड योजना को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2406-01.102.63- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एफ) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	186.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किये जाने के फलस्वरूप इको टूरिज्म में प्रावधान किये जाने के कारण ₹186.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)186.00				
2406-01.102.63- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एफ) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	124.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किये जाने के फलस्वरूप इको टूरिज्म में प्रावधान किये जाने के कारण ₹124.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)124.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.102.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (60:40) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	180.00	0.00	0.00	0.00	इस योजना को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड में हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिए निधि की माँग के कारण ₹180.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)180.00				
2406-01.102.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (60:40) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	इस योजना को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड में हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिए निधि की माँग के कारण ₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				
2406-01.110.41- जलीय परिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एन.पी.सी.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजनाओं के लिये निधि की माँग के कारण ₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.110.41- जलीय परिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एन.पी.सी.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजनाओं के लिये निधि की माँग के कारण ₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2406-01.110.49- ग्रीन इण्डिया मिशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजनाओं के लिये निधि की माँग के कारण ₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2406-01.110.49- ग्रीन इण्डिया मिशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजनाओं के लिये निधि की माँग के कारण ₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2406-01.789.63- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एफ.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार के द्वारा योजना बन्द किये जाने के फलस्वरूप इको टूरिज्म में प्रावधान किये जाने के कारण ₹36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.789.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एवं मनेजमेंट (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	96.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹96.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.00				
2406-01.789.64- फोरेस्ट फायर प्रीवेंशन एवं मनेजमेंट (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	64.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.00				
2406-01.789.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (60:40) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	इस योजना का कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड में हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप अन्य योजनाओं के लिए निधि की मांग के कारण ₹42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2406-01.796.63- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एफ.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार के द्वारा योजना बन्द किये जाने के फलस्वरूप इको टूरिज्म में प्रावधान किये जाने के कारण ₹78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2406-01.796.63- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एफ.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	52.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार के द्वारा योजना बन्द किये जाने के फलस्वरूप इको टूरिज्म में प्रावधान किये जाने के कारण ₹52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.00				
2406-01.796.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (60:40) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2406-01.796.65- राष्ट्रीय बम्बू मिशन (60:40) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	52.00	0.00	0.00	0.00	योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार द्वारा कार्य योजना की स्वीकृति एवं विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण ₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2406-04.103.07- अन्य (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	51,59,65,71	61,32,27,26	46,74,15,11	(-) 14,58,12,15
अनुपूरक	9,72,61,55			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

8,86,72,46

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,59,17,18	7,14,26,82	6,24,56,15	(-) 89,70,67
अनुपूरक	2,55,09,64			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

84,60,65

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹1,45,812.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹38,863.09 लाख), दिसम्बर 2022 (₹25,607.84 लाख) एवं मार्च 2023 (₹32,790.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹97,261.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹88,672.46 लाख), अंतिम बचत (₹1,45,812.15 लाख) से ₹57,139.69 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2210-01.001.49-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम), 2210-01.103.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)-सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश),

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

2210-01.110.05-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (स्थापना व्यय), 2210-01.110.12-एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (स्थापना व्यय), 2210-01.110.14-अवर-प्रमंडलीय अस्पताल (स्थापना व्यय), 2210-01.110.61-हजारीबाग मेडिकल अस्पताल (स्थापना व्यय), 2210-01.110.69-सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिये आउटसोर्सिंग (राज्य स्कीम), 2210-01.796.91-पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (के. प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2210-03.103.01-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (स्थापना व्यय) और 2210-06.101.01-अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम) (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹340.53 लाख, ₹937.20 लाख, ₹295.11 लाख, ₹292.31 लाख, ₹293.01 लाख, ₹105.25 लाख, ₹382.09 लाख, ₹188.00 लाख, ₹1,383.80 लाख एवं ₹100.24 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹7,000.00 लाख, ₹36,394.00 लाख, ₹3,435.73 लाख, ₹3,545.76 लाख, ₹3,027.91 लाख, ₹1,240.46 लाख, ₹16,100.00 लाख, ₹5,894.20 लाख, ₹25,312.54 लाख एवं ₹1,586.02 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.001.02- जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	3,220.49	4,016.22	3,068.41	(-)947.81	₹947.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	795.73				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,127.78	1,163.39	1,023.62	(-)139.77	₹139.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	35.61				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.001.64- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	500.00	498.01	(-)1.99	₹1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2210-01.001.93- सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	988.25	985.69	(-)2.56	₹3,011.75 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में निधि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,011.75				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2210-01.001.94- पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	3,000.00	2,981.70	(-)18.30	₹1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹18.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2210-01.001.95- परामर्श और अन्य सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	500.00	499.99	(-)0.01	₹1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				
2210-01.001.96- किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	₹800.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)800.00				
2210-01.001.97- शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2000.00	1,050.00	1,050.00	0.00	₹950.00 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)950.00				
2210-01.001.98- क्षेत्रीय क्लीनिक-हाट मोहल्ला/स्लम/आदि (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	970.44	(-)529.56	₹529.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.103.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच. एम.)- सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	54,560.00	37,661.00	37,661.00	0.00	₹23,395.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	6,496.00				
	पुनर्वि.	(-)23,395.00				
2210-01.110.13- सदर अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	11,228.68	13,526.56	11,969.86	(-)1,556.70	₹1,556.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,297.88				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.110.15- ईटकी सैनाटोरियम (स्थापना व्यय)	मूल	656.00	657.43	584.79	(-)72.64	₹72.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.43				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.110.34- संचारी रोग (टी. बी.) के कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	228.29	148.02	(-)80.27	₹83.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	230.21				
	पुनर्वि.	(-)2.92				
2210-01.110.60- दुमका मेडिकल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	521.09	682.81	492.10	(-)190.71	₹190.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	161.72				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों/सुविधाओं (राज्य स्कीम)	मूल	7,400.00	687.37	683.33	(-)4.04	₹6,712.63 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹57.12 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य बजट शीर्ष में राशि के उपबंध किये जाने के कारण हुई थी। ₹6,655.51 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,712.63				
2210-01.110.71- जिला स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों, कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन, उपकर, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	3,700.00	3,200.00	3,199.99	(-)0.01	₹500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2210-01.110.89- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	32,886.00	33,326.71	440.71	(-)32,886.00	₹32,886.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	440.71				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.91- पी.एम. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,775.80	14,775.80	14,775.80	0.00	₹2,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत एस.सी.एस.पी. मद में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				
2210-01.110.91- पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,184.00	9,884.00	9,850.53	(-)33.47	₹1,300.00 लाख की प्रत्याशित बचत एस.सी.एस.पी. मद में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹33.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,300.00				
2210-01.789.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच. एम.)- सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,560.00	8,201.00	8,201.00	0.00	₹2,359.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,359.00				
2210-01.796.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच. एम.)- सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	22,880.00	16,378.00	16,378.00	0.00	₹6,502.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,502.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	2,800.00	2,490.16	(-)309.84	₹309.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	300.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.796.68- मेडिकल कॉलेजों एवं सवास्थ्य संबंधी संस्थानों/सुविधाओं (राज्य स्कीम)	मूल	2,600.00	598.39	585.56	(-)12.83	₹2,001.61 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹12.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,001.61				
2210-01.796.85- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	514.97	441.52	(-)73.45	₹73.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	514.97				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.97- शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	700.00	700.00	0.00	₹300.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2210-01.796.A1- इंफ्रास्ट्रक्चर मॉटेनेंस (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,300.00	711.42	(-)588.58	₹588.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,300.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-02.200.02- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय-राजकीय यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	253.75	159.73	(-)94.02	₹94.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	253.75				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,925.00	7,752.57	6,092.48	(-)1,660.09	₹48.17 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,660.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,875.74				
	पुनर्वि.	(-)48.17				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,600.00	5,168.38	4,061.66	(-)1,106.72	₹348.16 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹1,106.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,916.54				
	पुनर्वि.	(-)348.16				
2210-02.789.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,137.24	789.87	(-)347.37	₹347.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,137.24				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-02.789.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	526.58	526.58	0.00	₹231.46 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	758.04				
	पुनर्वि.	(-)231.46				
2210-02.796.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	2,464.02	870.22	(-)1,593.80	₹1,593.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,464.02				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-02.796.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,033.68	580.15	(-)453.53	₹608.74 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹453.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,642.42				
	पुनर्वि.	(-)608.74				
2210-03.101.02- स्वास्थ्य उप-केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	7,056.00	8,081.00	7,134.59	(-)946.41	₹946.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,025.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-03.103.03- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	10,904.69	13,030.31	11,646.52	(-)1,383.79	₹1,383.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,125.62				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-03.110.04- रेफेरल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	6,215.13	6,237.83	4,513.65	(-)1,724.18	₹1,724.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	22.70				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-04.102.01- होमियोपैथी औषधालय (स्थापना व्यय)	मूल	239.22	264.80	217.24	(-)47.56	₹47.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	25.58				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-05.105.02- पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद (स्थापना व्यय)	मूल	3,017.38	3,220.90	2,650.07	(-)570.83	₹570.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	203.52				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर (स्थापना व्यय)	मूल	3,933.58	4,149.20	3,708.48	(-)440.72	₹440.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	215.62				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.23- हजारीबाग मेडिकल कॉलेज (स्थापना व्यय)	मूल	1,223.07	1,594.81	1,391.14	(-)203.67	₹203.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	371.74				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.24- दुमका मेडिकल कॉलेज (स्थापना व्यय)	मूल	759.62	883.62	792.49	(-)91.13	₹91.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	124.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.25- पलामू मेडिकल कॉलेज (स्थापना व्यय)	मूल	891.48	993.29	834.72	(-)158.57	₹158.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	101.81				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.001.02- जन स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	261.04	361.04	259.31	(-)101.73	₹101.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	100.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	412.44	517.54	341.94	(-)175.60	₹175.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	105.10				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.101.02- राष्ट्रीय-फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	690.36	690.76	557.04	(-)133.72	₹133.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.40				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.101.03- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	5,099.22	6,798.10	5,398.02	(-)1,400.08	₹1,435.40 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,734.20				
	पुनर्वि.	(-)35.32				
2210-06.101.05- अन्य औषधालय (कुष्ठ निरोध कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	2,183.48	2,183.73	1,402.82	(-)780.91	₹780.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.25				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.101.06- अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	625.84	625.84	475.29	(-)150.55	₹150.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.101.10- संचारी रोग (मलेरिया) कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2.00	1,158.34	988.04	(-)170.30	₹171.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,158.00				
	पुनर्वि.	(-)1.66				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-06.101.11- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-डी.डी.टी. छिड़काव (मजदूरी) (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	272.25	232.30	(-)39.95	₹87.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	320.00				
	पुनर्वि.	(-)47.75				
2210-06.102.01- खाद्य अपमिश्रण का निवारण (स्थापना व्यय)	मूल	431.14	431.14	203.85	(-)227.29	₹227.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.104.01- औषध नियंत्रण स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	582.26	670.92	599.45	(-)71.47	₹71.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	88.66				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-06.106.01- सरकारी वैक्सीन संस्थान नामकुम (स्थापना व्यय)	मूल	438.05	438.05	321.68	(-)116.37	₹116.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2211-00.103.01- मातृत्व तथा बल स्वास्थ्य (स्थापना व्यय)	मूल	545.89	595.89	507.21	(-)88.68	₹88.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2251.00.090.07- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	525.24	525.95	442.88	(-)83.07	₹83.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.71				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.001.92- बाह्य संपोषित परियोजनाएं (ई.ए.पी.) (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजना में राशि का उपबंध किये जाने के कारण ₹2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹138.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया। ₹1,862.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				
2210-01.103.82- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,364.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹1,364.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,364.00				
2210-01.110.62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	215.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹215.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)215.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	143.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹143.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)143.00				
2210-01.110.90- पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 15वीं वित्त आयोग अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,207.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹12,207.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,207.00				
2210-01.789.82- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	264.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹264.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)264.00				
2210-01.796.64- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.796.89- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान (कें.से.स्कीम)	मूल	11,554.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹11,554.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,554.00				
2210-01.796.90- पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 15वीं वित्त आयोग अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	4,289.00	0.00	0.00	0.00	अन्य योजना के लिये निधि का प्रावधान किये जाने के कारण ₹4,289.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,289.00				
2210-02.101.26- अंतराष्ट्रीय योग दिवस (स्थापना व्यय)	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2210-05.101.17- राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	475.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने कारण ₹475.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)475.00				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्स) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	311.60	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने कारण ₹311.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)311.60				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्स) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	208.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने कारण ₹208.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)208.00				

पूँजी:

- (5) ₹8,970.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹7,712.64 लाख), दिसम्बर 2022 (₹17,797.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹25,509.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,460.65 लाख), अंतिम बचत (₹8,970.67 लाख) से ₹510.02 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

- (7) शीर्ष 4210-01.110.45-मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पतालों (राज्य स्कीम) और 4210-01.110.48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹728.71 लाख और ₹544.40 लाख, की बचत जो क्रमशः ₹29,093.78 लाख और ₹17,538.64 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4210-01.110.26- जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	346.00	346.00	228.63	(-)117.37	₹117.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4210-01.200.47- एम्बुलेंसेज/शव वाहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	500.00	500.00	0.00	₹500.00 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य योजना में राशि का उपबंध किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
4210-01.796.45- मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पतालों (राज्य स्कीम)	मूल	5,605.00	5,032.95	5,027.95	(-)5.00	₹577.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)572.05				
4210-01.796.51- फार्मसी प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	265.54	265.54	0.00	₹234.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)234.46				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4210-01.110.31- सेटिंग अप मेडिको सिटी (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
4210-01.110.42- ट्रॉमा केयर सुविधाएं (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
4210-01.110.42- ट्रॉमा केयर सुविधाएं (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	67.00	0.00	0.00	0.00	₹67.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.00				
4210-01.110.49- फेज-II अंतर्गत जिला/रेफरल अस्पताल से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,353.40	0.00	0.00	0.00	₹3,353.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,353.40				

अनुदान संख्या - 20 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.49- फेज-II अंतर्गत जिला/रेफरल अस्पताल से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,236.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹2,236.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,236.00				

**अनुदान संख्या 21 - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष – 2202 - सामान्य शिक्षा)

राजस्वा:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,96,09,57	17,79,73,94	15,66,17,90	(-) 2,13,56,04
अनुपूरक	83,64,37			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 93,35,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹21,356.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त (₹624.35 लाख), दिसम्बर 2022 (₹4,440.02 लाख) एवं मार्च 2023 (₹3,300.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,364.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹9,335.00 लाख), अंतिम बचत (₹21,356.04 लाख) से ₹12,021.04 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2202-03.102.B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹475.67 लाख की बचत, जो ₹4,850.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.001.BH- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	250.00	136.06	(-)113.94	₹835.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹113.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	85.00				
	पुनर्वि.	(-)835.00				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.79- केन्द्र प्रायोजित अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,712.50	2,325.00	1,024.70	(-)1,300.30	₹387.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹1,300.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)387.50				
2202-03.102.B6- वित्त रहित महाविद्यालयों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,139.00	2,139.00	1,801.20	(-)337.80	₹337.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.102.B9- प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस कार्यालय एवं भ्रमण सॉफ्ट स्कील, कंसल्टेंसी फीस प्लेशमेंट सेल स्टार्ट-अप आदि के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	200.00	33.95	(-)166.05	₹300.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹166.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.BL- विश्वविद्यालयों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	300.00	300.00	0.00	₹400.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)900.00				
2202-03. 103.BK- राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	209.43	214.43	22.43	(-)192.00	₹192.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.789.79- केन्द्र प्रायोजित अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	525.00	450.00	198.33	(-)251.67	₹75.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹251.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.796.79- केन्द्र प्रायोजित अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	262.50	225.00	99.16	(-)125.84	₹37.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹125.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.50				
2202-03.796.B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु स्थापना अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	2,200.00	540.00	(-)1,660.00	₹800.00 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹1,660.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)800.00				
2202-03.796.B9- प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस कार्यालय एवं भ्रमण सॉफ्ट स्कील, कंसल्टेंसी फीस प्लेशमेंट सेल स्टार्ट-अप आदि के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	300.00	49.66	(-)250.34	₹200.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹250.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.796.BA- नये महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	11,350.00	7,228.51	(-)4,121.49	₹500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹4,121.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	850.00				
	पुनर्वि.	500.00				
2202-03.796.BL- विश्वविद्यालय को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	400.00	400.00	0.00	₹400.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)400.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.102.79- केन्द्र प्रयोजित अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,875.00	1,743.75	0.00	(-)1,743.75	₹2,131.25 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹1,743.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,131.25				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-03.102.B1- मुख्य मंत्री फेलोशिप स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	₹300.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2202-03.102.B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु स्थापना अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,500.00				
2202-03.102.B8- छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	150.00	0.00	(-)150.00	₹150.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹150.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				

अनुदान संख्या - 21 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-03.789.79- केन्द्र प्रायोजित अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	750.00	337.50	0.00	(-)337.50	₹412.50 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹337.50 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)412.50				
2202-03.796.79- केन्द्र प्रायोजित अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	375.00	168.75	0.00	(-)168.75	₹206.25 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹168.75 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)206.25				
2202-03.796.B1- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं रहने के कारण ₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

अनुदान संख्या 22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2055-पुलिस, 2056- जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	64,33,84,71	68,77,94,38	63,29,50,56	(-)5,48,43,82
अनुपूरक	4,44,09,67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

9,62,52

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,10,00,00	7,09,44,44	3,79,67,98	(-)3,29,76,46
अनुपूरक	1,99,44,44			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

68,12,69

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹54,843.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹19,078.41 लाख), दिसम्बर 2022 (₹10,043.45 लाख) एवं मार्च 2023 (₹15,287.81 लाख) में प्राप्त किया गया ₹44,409.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹962.52 लाख), अंतिम बचत (₹54,843.82 लाख) से ₹53,881.30 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2055-00.001.12- सुरक्षा पर व्यय (स्थापना व्यय), 2055-00.101.06-विशेष शाखा (स्थापना व्यय), 2055-00.104.02- पैदल सैन्य पुलिस (स्थापना व्यय), 2055-00.104.04- एस.टी.एफ. (झारखण्ड जगुआर) (स्थापना व्यय), 2055-00.104.05- इंडियन रिजर्व बटालियन (स्थापना व्यय), 2055-00.109.01- जिला कार्यकारी दल (स्थापना व्यय), 2055-00.111.02- ऑर्डर पुलिस (स्थापना व्यय), 2055-00.114.01- संकेत (स्थापना व्यय) एवं 2056-00.101.01- केन्द्रीय जेल (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹394.39 लाख, ₹1,083.62 लाख, ₹6,032.09 लाख, ₹1,451.71 लाख, ₹1,611.40 लाख, ₹22,762.70 लाख, ₹461.86 लाख, ₹364.88 लाख एवं ₹1,035.85 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹19,576.20 लाख, ₹17,691.57 लाख, ₹1,10,122.82 लाख, ₹19,708.30 लाख, ₹47,037.60 लाख, ₹3,42,483.27 लाख, ₹8,628.30 लाख, ₹6,568.16 लाख एवं ₹11,903.61 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2052-00.090.03- गृह विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,355.84	1,180.84	1,107.89	(-)72.95	₹297.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)225.00				
2052-00.092.20- झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	134.26	134.26	60.42	(-)73.84	₹73.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.001.01- अभियोजन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	6,876.01	6,886.01	2,133.35	4,752.66	₹4,752.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.001.03- केन्द्रीय स्तर पर सामग्री का निर्माण (स्थापना व्यय)	मूल	400.01	4,100.01	3,365.91	(-)734.10	₹734.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,700.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	2,073.44	6,160.17	4,474.76	(-)1,685.41	₹1,685.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,086.73				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.003.02- जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट (स्थापना व्यय)	मूल	1,420.61	1,483.86	1,319.66	(-)164.20	₹164.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	63.25				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.003.04- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, मुसाबनी (स्थापना व्यय)	मूल	1,711.29	1,965.65	1,635.89	(-)329.76	₹329.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	254.36				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.101.01- आपराधिक जांच विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	4,712.08	4,724.75	4,180.83	(-)543.92	₹543.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	12.67				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.101.07- विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना व्यय)	मूल	837.80	1,510.64	1,212.49	(-)298.15	₹298.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	672.84				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.101.96- विदेशियों के पंजीकरण एवं निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	205.22	205.22	162.69	(-)42.53	₹42.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.104.AO- पैदल सैन्य पुलिस-पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	200.80	106.50	(-)94.30	₹94.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	200.80				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.104.AP- इंडिया रिजर्व बटालियन-पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	146.76	62.53	(-)84.23	₹84.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	146.76				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.109.97- प्रतिबंधित/कुख्यात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार (स्थापना व्यय)	मूल	300.00	300.00	203.00	(-)97.00	₹97.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.109.AN- जिला कार्यपालक बल, पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	5,530.49	4,494.33	(-)1,036.16	₹1,036.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,530.49				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.110.01- चौकीदार-दफादार स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	29,686.90	29,686.90	24,675.34	(-)5,011.56	₹5,011.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2056-00.101.02- जिला जेल (स्थापना व्यय)	मूल	6,904.94	7,546.06	6,764.35	(-)781.71	₹781.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	641.12				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2056-00.101.03- उप जेल (स्थापना व्यय)	मूल	2,221.03	2,552.91	2,181.37	(-)371.54	₹371.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	331.88				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.105.14- राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	62.01	35.61	1.50	(-)34.11	₹60.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.50				
2070-00.106.04- अग्नि सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	735.29	628.41	628.41	0.00	₹106.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)106.88				
2070-00.106.05- मुख्यालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	64.51	14.54	14.54	0.00	₹62.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	12.80				
	पुनर्वि.	(-)62.77				
2070-00.107.01- ग्रामीण (स्थापना व्यय)	मूल	9,211.69	9,610.00	8,588.15	(-)1,021.85	₹1,207.75 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	584.21				
	पुनर्वि.	(-)185.90				
2070-00.107.02- शहरी (स्थापना व्यय)	मूल	160.68	155.49	112.63	(-)42.86	₹49.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.29				
	पुनर्वि.	(-)6.48				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.108.01- अग्नि रक्षा सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	2,502.06	2,269.26	2,269.26	0.00	₹301.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	68.65				
	पुनर्वि.	(-)301.45				
2070-00.800.09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिस कर्मी/ग्रामीण पुलिस/ होम गार्ड/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	500.00	500.00	75.26	(-)424.74	₹424.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.800.10- उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन (स्थापना व्यय)	मूल	70.00	70.00	11.10	(-)58.90	₹58.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.106.02- परिवीक्षा सेवाएं (स्थापना व्यय)	मूल	512.97	520.80	434.52	(-)86.28	₹86.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	7.83				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-60.200.01- स्थल, जल और वायु सैनिकों का जिला कल्याण पर्वद (स्थापना व्यय)	मूल	325.50	343.70	279.88	(-)63.82	₹63.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	18.20				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-60.200.03- स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	100.00	56.34	(-)43.66	₹43.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-60.200.05- दंगा में प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना व्यय)	मूल	200.00	200.00	117.08	(-)82.92	₹82.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-60.200.14 जय प्रकाश आन्दोलन के आन्दोलनकारियों/ आश्रितों को सम्मान पेंशन/ सुविधाएँ (स्थापना व्यय)	मूल	170.00	170.00	91.05	(-)78.95	₹78.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (4) ₹32,976.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹6,000.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹12,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹1,944.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹19,944.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,812.69 लाख), अंतिम बचत (₹32,976.46 लाख) से ₹26,163.77 लाख कम था।
- (6) शीर्ष 4055-00.207.86- शस्त्र की खरीदारी (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹307.33 लाख की बचत, जो कि ₹4,400.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.27- बाधिग प्लेटफार्म, युरिनल एवं शौचालय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	151.21	(-)48.79	₹48.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.28- कार मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/ सौर्य घेराबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	1,000.00	526.04	(-)473.96	₹473.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	500.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.67- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,330.90	8,330.90	7,041.88	(-)1,289.02	₹1,289.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	6,000.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.77- अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष सहायता (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,858.13	5,858.13	1,359.00	(-)4,499.13	₹4,499.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.78- राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/ सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	3,160.70	2,176.59	(-)984.11	₹984.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,760.70				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.796.19- एम्बुलेंस की व्यवस्था (जेल अस्पताल का सुदृढीकरण) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	29.57	(-)70.43	₹70.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.796.77- अतिवामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	17,574.37	17,574.37	4,064.00	(-)13,510.37	₹13,510.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.796.78- राज्य काराओं का आधुनिकीकरण/ सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	3,961.30	1,685.86	(-)2,275.44	₹2,275.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,561.30				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.796.84- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,429.10	416.41	16.41	(-)400.00	₹2,412.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,012.69				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055.00.207.16- नए उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055.00.207.19- एम्बुलेंस की व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055.00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,165.00	1,165.00	0.00	(-)1,165.00	₹1,165.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055.00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	662.00	662.00	0.00	(-)662.00	₹662.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055.00.207.74- अभियोजन निदेशालय/ कार्यालय का निर्माण/ सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055.00.207.83- राज्य पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055.00.207.85- आई.टी. परियोजना का क्रियान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	0.00	0.00	0.00	₹700.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)700.00				
4055.00.796.16- नए उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055.00.796.76- राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय/ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सह सैनिक आरामगृह का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4055.00.796.83- राज्य पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	0.00	0.00	0.00	₹2,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,200.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055.00.796.85- आई.टी. परियोजना का क्रियान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	0.00	0.00	0.00	₹900.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)900.00				
4055.00.796.87- पुलिस आधुनिकीकरण (मादक पदार्थों के नियंत्रण हेतु राज्य/ संघ शासित प्रदेश को सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	37.69	0.00	(-)37.69	₹37.69 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	37.69				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 23 – उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,27,15,36	3,34,17,09	2,74,96,77	(-) 59,20,32
अनुपूरक	7,01,73			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

32,91,69

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,10,00	1,30,04,00	1,10,99,00	(-) 19,05,00
अनुपूरक	1,17,94,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

10,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹5,920.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹294.75 लाख) एवं मार्च 2023 (₹406.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹701.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,291.69 लाख), अंतिम बचत (₹5,920.32 लाख) से ₹2,628.63 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2852-80.796.91- झारखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹157.15 लाख की बचत, जो कि ₹12,787.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2851-00.102.58- रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (स्थापना व्यय)	मूल	130.00	130.00	99.56	(-)30.44	₹30.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2851-00.104.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	105.00	105.00	74.57	(-)30.43	₹30.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2851-00.796.04- हस्तशिल्प के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	95.00	95.00	65.26	(-)29.74	₹29.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2851-00.796.42- हस्तशिल्प का विकास-हस्तशिल्प संस्थान सह विकास केन्द्र का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	3.00	2.30	(-)0.70	₹47.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न लघु शीर्षों 107/796 (रेशम उत्पादन उद्योग) के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 47.00				
2852-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	309.26	386.01	329.14	(-)56.87	₹56.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	76.75				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.42- प्रोजेक्ट एवं फिजिब्लिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	3.42	(-)96.58	₹96.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.89- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,000.00	1,000.00	173.94	(-)826.06	₹826.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.89- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	250.00	250.00	169.73	(-)80.27	₹80.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2852-80.102.92- अध्ययन, भ्रमण, प्रशिक्षण एवं विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	625.00	625.00	474.47	(-)150.53	₹150.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3451-00.090.01- उद्योग विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	414.44	416.54	373.59	(-)42.95	₹44.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4.10				
	पुनर्वि.	(-)2.00				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.61- लघु उद्योग के लिए कलस्टर विकास योजना (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)100.00			
2851-00.103.21- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	8.14	0.00	₹16.86 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न लघु शीर्षों 107/796 (रेशम उत्पादन उद्योग) की विभिन्न इकाइयों में राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹8.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)16.86			
2851-00.104.42- हस्तशिल्प का विकास-हस्तशिल्प संस्थान सह विकास केन्द्र का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	लघु शीर्ष 107/796 (रेशम उत्पादन उद्योग) की विभिन्न इकाइयों में राशि उपबंधित किये जाने के कारण ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)50.00			

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.796.21- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	8.15	0.00	(-)8.15	लघु शीर्ष 107/796 (रेशम उत्पादन उद्योग) की विभिन्न इकाइयों में राशि उपबंधित किये जाने के कारण ₹16.85 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹8.15 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16.85				
2852-80.102.07- एसाईड योजना-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	लघु शीर्ष 107/796 (रेशम उत्पादन उद्योग) की विभिन्न इकाइयों में राशि उपबंधित किये जाने के कारण ₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2852-80.102.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	600.00	0.00	(-)600.00	₹800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.19- उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु भू-अर्जन सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.93- झारखण्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति - 2022 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2852-80.102.94- झारखण्ड फार्मास्यूटिकल निति - 2022 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.95- झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन निति - 2022 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.796.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2852-80.796.19- उद्योग विहिन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.796.89- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2852-80.796.89- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	639.00	139.00	0.00	(-)139.00	₹639.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2852-80.796.93- झारखण्ड इनेथॉल प्रोडक्शन निति- 2022 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				
2852-80.796.94- झारखण्ड फर्मास्यूटिकल नीति- 2022 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.796.95- झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2022 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

पूँजी:

- (5) ₹1,905.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹11,794.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹1,905.00 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध मात्र ₹10.00 लाख प्रत्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या - 23 क्रमांत

(7) बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4885-60.190.01- जिडको का हिस्सापूँजी (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	300.00	(-)900.00	₹900.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(8) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6851-00.101.02- औद्योगिक क्षेत्र तक सम्पर्क हेतु जिडको को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	995.00	0.00	(-)995.00	₹995.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	995.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 24 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2220- सूचना एवं प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,55,95,05	2,26,01,08	2,11,73,19	(-) 14,27,89
अनुपूरक	70,06,03			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

3,80,00

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00	12,00	4,74	(-) 7,26
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹1,427.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹8.00 लाख) , दिसम्बर 2022 (₹4,239.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹2,759.03 लाख) में प्राप्त किया गया ₹7,006.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹380.00 लाख) , अंतिम बचत (₹1,427.89 लाख) से ₹1,047.89 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 24 क्रमशः

(3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-01.001.01- निदेशन तथा प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	1,089.44	1,155.44	929.52	(-)185.92	₹185.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	26.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2220-60.106.02- जिला भ्रमणशील इकाईयाँ (राज्य स्कीम)	मूल	861.06	919.09	786.61	(-)132.48	₹132.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	58.03				
	पुनर्वि.	0.00				
2220-60.106.03- क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	4.07	(-)35.93	₹35.93 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2220-60.106.04- क्षेत्रीय प्रचार योजना (दूरदर्श सेट, माईक, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय) (राज्य स्कीम)	मूल	78.00	58.00	44.00	(-)14.00	₹34.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2220-60.796.04- क्षेत्रीय प्रचार योजना-दूरदर्शन सेट, माईक, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	68.00	58.00	43.73	(-)14.27	₹24.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

अनुदान संख्या - 24 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2220-60.796.21- क्षेत्रीय प्रचार योजना-फिल्म निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	800.00	646.06	(-)153.94	₹153.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	200.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(2) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2220-01.796.03- झारखण्ड फिल्म विकास निगम की संविधान एवं फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2220-60.106.13- क्षेत्रीय प्रचार योजना-प्रेस क्लब की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2220-60.796.03- क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 24 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2220-60.796.14- क्षेत्रीय प्रचार योजना-सामूदायिक रेडीयो कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2220-60.796.25- मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र का संचालन एवं क्रियान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	99.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2220-60.796.11- पत्रकार के लिए स्वास्थ्य योजना (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	55.00	0.00	(-)55.00	₹195.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)195.00				

अनुदान संख्या - 24 क्रमांत

पूँजी:

- (3) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
 (4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4220-60.796.02- सरकारी कार्यकर्मों हेतु एल.ई.डी. वैन (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	₹10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

अनुदान संख्या 25 - वित्त विभाग
(सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 4416- कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	66,25	66,25	58,55	(-)7,70
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

7,70

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	0,00	68,10	68,10	0,00
अनुपूरक	68,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

अनुदान संख्या 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,26,70,41	7,75,86,91	5,32,32,36	(-)2,43,54,55
अनुपूरक	2,49,16,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

2,16,17,49

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	64,00,02	65,38,02	38,53,63	(-)26,84,39
अनुपूरक	1,38,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

24,72,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹24,354.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹8,824.85 लाख), दिसम्बर 2022 (₹16,053.04 लाख) एवं मार्च 2023 (₹38.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹24,916.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹21,617.49 लाख), अंतिम बचत (₹24,354.55 लाख) से ₹2,737.06 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2230-01.001.40- झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम) और 2230-01-796-40-झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹108.02 लाख तथा ₹126.64 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,335.00 लाख तथा ₹1,583.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2210-01.102.21- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,684.30	1,349.02	1,349.02	0.00	₹335.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (₹330.86 लाख), (ii) पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने (₹2.35 लाख) और (iii) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता विपत्र उपलब्ध नहीं होने (₹1.95 लाख) के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)335.28				
2230-01.001.01- श्रमायुक्त (स्थापना व्यय)	मूल	427.86	435.70	378.13	(-)57.57	₹65.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	15.84				
	पुनर्वि.	(-)8.00				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.001.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्युपिंग तथा सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	126.35	110.43	(-)15.92	₹39.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.65				
2230-01.101.05- औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मंडल (स्थापना व्यय)	मूल	406.36	458.64	399.46	(-)59.18	₹59.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	52.28				
	पुनर्वि.	0.00				
2230-01.101.06- श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	593.41	630.51	559.62	(-)70.89	₹28.26 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य मदों में निधि की आवश्यकता के कारण हुई थी। ₹70.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	65.36				
	पुनर्वि.	(-)28.26				
2230-01.102.02- कारखानों के निरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	549.22	609.17	526.62	(-)82.55	₹91.10 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	68.50				
	पुनर्वि.	(-)8.55				
2230-01.111.43- मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	15.00	(-)35.00	₹35.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-01.796.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्युपिंग तथा सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	228.79	199.25	(-)29.54	₹50.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.21				
2230-01.796.43- मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	5.00	(-)45.00	₹45.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2230-02.101.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	219.23	204.93	(-)14.30	₹30.77 लाख की प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹14.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.77				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.101.04- रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,238.32	974.91	937.69	(-)37.22	₹263.41 लाख की प्रत्याशित बचत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹37.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)263.41				
2230-02.101.35- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	196.30	233.54	168.00	(-)65.54	₹70.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4.76				
2230-02.101.36- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (के.से.स्कीम)	मूल	0.03	162.49	44.83	(-)117.66	₹117.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	162.46				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.789.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	58.85	47.58	(-)11.27	₹141.15 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹11.15 लाख की बचत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹130.00 लाख की शेष बचत एवं ₹11.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)141.15				
2230-02.796.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	682.00	579.90	459.56	(-)120.34	₹102.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने (₹97.99 लाख) के कारण हुई थी। ₹120.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)102.10				
2230-02.796.35- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	261.30	278.80	246.81	(-)31.99	₹44.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	30.00				
	पुनर्वि.	(-)12.50				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.796.36- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (के.से. स्कीम)	मूल	0.04	192.35	57.61	(-)134.74	₹134.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	192.31				
	पुनर्वि.	0.00				
2230-03.003.38- व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	2,850.00	1,699.40	1,402.64	(-)296.76	₹1,150.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹700.00 लाख की बचत संविदा/ बाह्य स्रोत से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹450.60 लाख की शेष बचत एवं ₹296.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,150.60				
2230-03.101.02- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन-राज्य परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	2,799.94	2,771.34	2,044.48	(-)726.86	₹28.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यालय स्थापना के अन्तर्गत प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹726.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.60				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.796.26- मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	20.00	14.78	(-)5.22	₹35.22 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2230-03.796.32- शिल्प प्रशिक्षण/शिशु प्रशिक्षण के सुदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	47.68	43.08	(-)4.60	₹41.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.32				
2230-03.796.38- व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	3,450.00	2,430.97	2,090.78	(-)340.19	₹1,019.03 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹800.00 लाख की बचत संविदा/बाह्य स्रोत से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई थी। ₹219.03 लाख की शेष बचत एवं ₹340.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,019.03				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2230-01.789.47- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान (संकल्प) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	496.80	0.00	0.00	0.00	₹496.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)496.80				
2230-01.789.47- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान (संकल्प) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	331.20	0.00	0.00	0.00	₹331.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)331.20				
2230-01.796.38- झारखण्ड विधान सभा और सचिवालय भवनों में नया कैटीन की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2230-01.796.45- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	598.81	0.00	0.00	0.00	₹598.81 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)598.81				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.101.42- मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	अन्य शीर्षों के अन्तर्गत इस योजना का क्रियान्वयन किये जाने के कारण ₹3,574.09 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	3,574.09				
	पुनर्वि.	(-)3,574.09				
2230-02.789.38- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना हेतु प्रावधान किये जाने के कारण ₹5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,000.00				
2230-02.789.39- मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	520.00	0.00	0.00	0.00	मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना हेतु प्रावधान किये जाने के कारण ₹520.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)520.00				
2230-02.789.40- मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,085.59	0.00	0.00	0.00	मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना हेतु प्रावधान किये जाने के कारण ₹1,085.59 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,085.59				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-02.789.41- मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,717.00	0.00	0.00	0.00	मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना हेतु प्रावधान किये जाने के कारण ₹1,717.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,717.00				
2230-02.789.42- मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	इस योजना का क्रियान्वयन दूसरे शीर्ष के अंतर्गत किये जाने के कारण ₹290.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	290.00				
	पुनर्वि.	(-)290.00				
2230-02.796.42- मुख्यमंत्री सारथी (रोजगार) योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	इस योजना का क्रियान्वयन दूसरे शीर्ष के अंतर्गत किये जाने के कारण ₹4,437.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	4,437.00				
	पुनर्वि.	(-)4,437.00				
2230-03.003.26- मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2230-03.796.54- राष्ट्रीय प्रशिक्षता संवर्धन योजना (एन.ए.पी.एस.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹159.44 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	119.44				
	पुनर्वि.	(-)159.44				

पूँजी:

- (5) ₹2,684.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 में प्राप्त किया गया ₹138.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,472.00 लाख), अंतिम बचत (₹2,684.39 लाख) से ₹212.39 लाख कम था।
- (7) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.001.55- श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	425.00	425.00	316.05	(-)108.95	₹108.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4250-00.203.06- भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	130.00	75.12	(-)54.88	₹124.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.796.11- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (के.से.स्कीम)	मूल	0.01	78.01	43.00	(-)35.01	₹35.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	78.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	900.00	0.00	0.00	0.00	₹900.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)900.00				

अनुदान संख्या - 26 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
4250-00.796.09- कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	280.00	0.00	0.00	0.00	₹280.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)280.00				
4250-00.796.09- कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				

अनुदान संख्या 27 - विधि विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2014- न्याय प्रशासन, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,65,23,79	5,82,25,03	4,68,44,20	(-) 1,13,80,83
अनुपूरक	17,01,24			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 20,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹11,380.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹808.24 लाख), दिसम्बर 2022 (₹286.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹607.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,701.24 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹11,380.83 लाख) से ₹9,380.83 लाख कम था।
- (3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.105.01- सिविल और सत्र न्यायलय (स्थापना व्यय)	मूल	51,521.01	50,412.01	42,420.06	(-)7,991.95	₹9,991.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	891.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				

अनुदान संख्या - 27 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.105.03- ग्राम न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	240.86	240.86	26.95	(-)213.91	₹213.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2014-00.114.01- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना व्यय)	मूल	698.05	761.05	542.18	(-)218.87	₹218.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	63.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2014-00.114.02- निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	945.22	1,386.22	1,217.80	(-)168.42	₹168.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	441.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2014-00.114.03- सरकारी मुकदमें (स्थापना व्यय)	मूल	1,579.00	1,579.00	1,051.02	(-)527.98	₹527.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2014-00.114.04- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडीशिल एकेडेमी) (स्थापना व्यय)	मूल	541.71	611.71	478.50	(-)133.21	₹133.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	70.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 27 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.116.01- विधि आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	61.60	67.60	13.14	(-)54.46	₹54.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	6.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.090.18- विधि विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	480.42	494.42	434.56	(-)59.86	₹59.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	14.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 28 - झारखण्ड उच्च न्यायालय

(मुख्य शीर्ष- 2014- न्याय प्रशासन)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,36,07,30	1,68,40,89	1,42,86,87	(-)25,54,02
अनुपूरक	32,33,59			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹2,554.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹1,267.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,840.09 लाख) एवं मार्च 2023 (₹126.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,233.59 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.102.01- उच्च न्यायालय, राँची (स्थापना व्यय)	मूल	12,807.30	16,040.88	13,592.82	(-)2,448.06	₹2,448.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,233.58				
	पुनर्वि.	0.00				
2014-00.102.03- झारखण्ड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (स्थापना व्यय)	मूल	800.00	800.01	694.53	(-)105.48	₹105.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.01				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 29 - खान एवं भूतत्व विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	70,78,56	71,00,86	42,01,47	(-) 28,99,39
अनुपूरक	22,30			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

5,17,40

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	60,00	60,00	0,00	(-)60,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

60,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹2,899.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹22.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹517.40 लाख), अंतिम बचत (₹2,899.39 लाख) से ₹2,381.99 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 29 क्रमशः

(3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2853-02.001.01- खनन स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,233.91	1,733.91	1,284.67	(-)449.24	₹949.24 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2853-02.001.07- खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,480.00	1,480.00	555.17	(-)924.83	₹924.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2853-02.102.01- भूतात्विक स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,568.53	1,568.53	1,343.51	(-)225.02	₹225.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2853-02.102.20- भूतात्विक स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,450.00	1,450.00	677.11	(-)772.89	₹772.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 29 क्रमांत

पूँजी:

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4853-02.004.01- खनन स्थापना-मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति के अभाव में ₹10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				
4853-02.004.03- भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी स्वीकृति के अभाव में ₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या 30 - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,19,30	1,73,32	1,21,25	(-) 52,07
अनुपूरक	54,02			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,52,00,00	3,67,93,62	2,82,19,91	(-) 85,73,71
अनुपूरक	1,15,93,62			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹52.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2022 (₹29.50 लाख), दिसम्बर 2022 (₹12.80 लाख) एवं मार्च 2023 (₹11.72 लाख) में प्राप्त किया गया ₹54.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 30 क्रमशः

(3) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2250-00.102.01- झारखण्ड वक्फ न्यायाधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	18.95	58.56	47.26	(-)11.30	₹11.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	39.61				
	पुनर्वि.	0.00				
2251-00.090.13- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	29.95	29.95	7.12	(-)22.83	₹22.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-04.796.01- गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	12.80	0.00	(-)12.80	₹12.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	12.80				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

(5) ₹8,573.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹5,587.97 लाख) एवं मार्च 2023 (₹6,005.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹11,593.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 30 क्रमशः

- (6) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (7) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेरबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	7,434.07	6,561.59	(-)872.48	₹872.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,434.07				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.04- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	28.41	46.59	₹46.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.05- कियोस्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	28.64	(-)121.36	₹121.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,000.00	1,000.00	423.79	(-)576.21	₹576.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	600.00	1,470.90	415.39	(-)1,055.51	₹1,055.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	870.90				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.05- अल्पसंख्यकों हेतु कियोस्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	10.11	(-)139.89	₹139.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.10- छात्रावासों के लिये सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	17.43	(-)82.57	₹82.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,000.00	2,000.00	1,017.40	(-)982.60	₹982.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,400.00	3,158.70	1,005.51	(-)2,153.19	₹2,153.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,758.70				
	पुनर्वि.	0.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.10- छात्रावासों के लिये सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.277.23- अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00	₹800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-80.796.21- अल्पसंख्यक जाति के लिये मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (कें.से.स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 30 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.23- अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	0.00	(-)1,200.00	₹1,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 31 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,35,62	1,47,62	1,19,74	(-) 27,88
अनुपूरक	12,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹27.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2022 (₹2.00 लाख) और मार्च 2023 (₹10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹12.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (3) बचत निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.22 संसदीय कार्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	135.62	147.62	119.74	(-)27.88
	अनुपूरक	12.00			
	पुनर्वि.	0.00			
₹27.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					

अनुदान संख्या 32 - विधान सभा

(मुख्य शीर्ष-2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,26,29,08	1,33,02,42	1,24,64,05	(-) 8,38,37
अनुपूरक	6,73,34			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 7,62,30

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	71,80	71,80	54,53	(-) 17,27
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 17,27

टीका और टिप्पणियाँ:

दत्तमत:

- ₹838.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2022 (₹8.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹403.00 लाख) और मार्च 2023 (₹262.34 लाख) में प्राप्त किया गया ₹673.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹762.30 लाख), अंतिम बचत (₹838.37 लाख) से ₹76.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 32 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2011-02.101.05-सदस्यगण (स्थापना व्यय) एवं 2011-02.103.01-विधान सभा सचिवालय (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹65.85 लाख एवं ₹386.63 लाख की कुल बचत, जो क्रमशः ₹1,826.46 लाख एवं ₹9,250.32 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2011-02.101.04- सचेतकगण का कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	195.70	227.85	225.62	(-)2.23	₹25.08 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	55.00				
	पुनर्वि.	(-)22.85				
2011-02.101.07- सदस्यगण-निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन (स्थापना व्यय)	मूल	1,318.00	996.74	996.74	0.00	₹2.30 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी और ₹318.96 लाख की प्रत्याशित बचत क्रमशः विपत्रों के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने और विपत्रों के लंबित नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)321.26				

अनुदान संख्या - 32 क्रमांत

प्रभारित :

(1) बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2011-02.101.01- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन (प्रभृत) और भत्ते (अन्य व्यय, प्रभारी भत्ता, आतिथ्य भत्ता, चिकित्सा भत्ता सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	71.80	54.53	54.53	0.00	₹17.27 लाख की प्रत्याशित बचत विपत्रों के लंबित नहीं रहने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17.27				

**अनुदान संख्या 33 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2220-सूचना एवं प्रचार, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	35,90,41	47,49,25	41,06,68	(-) 6,42,57
अनुपूरक	11,58,84			

वर्ष के दौरान अभ्यार्पित राशि (मार्च 2023) 2,56,80

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,67,02	20,67,02	16,82,51	(-) 3,84,51
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यार्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹642.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹385.97 लाख), दिसंबर 2022 (₹763.87 लाख) और मार्च 2023 (₹9.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,158.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 33 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹256.80 लाख), अंतिम बचत (₹642.57 लाख) से ₹385.77 लाख कम था।
- (3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.04- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,293.89	1,656.16	1,487.49	(-)168.67	₹168.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	362.27				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.003.05- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	911.96	743.37	679.48	(-)63.89	₹241.48 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	9.00				
	पुनर्वि.	(-)177.59				
2070-00.104.01- लोकायुक्त का कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	406.91	406.91	301.96	(-)104.95	₹104.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2220-60.001.02- राज्य सूचना आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	268.87	224.71	224.71	0.00	₹79.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	35.05				
	पुनर्वि.	(-)79.21				

अनुदान संख्या - 33 क्रमांत

पूँजी:

- (4) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
 (5) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.796.63- झारखण्ड लोक सेवा आयोग के नये भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,767.02	1,767.02	1,382.51	(-)384.51	₹384.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या 34 - झारखण्ड लोक सेवा आयोग

(मुख्य शीर्ष - 2051 लोक सेवा आयोग)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,15,33	31,75,53	15,20,27	(-)16,55,26
अनुपूरक	1,60,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (1) ₹1,655.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹125.36 लाख) और दिसंबर 2022 (₹34.84 लाख) में प्राप्त किया गया ₹160.20 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।
- (3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2051-00.102.01- लोक सेवा आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	3,015.33	3,175.53	1,520.27	(-)1,655.26	₹1,655.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	160.20				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 35- योजना एवं विकास विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,41,63,51	2,67,41,62	2,12,18,80	(-) 55,22,82
अनुपूरक	25,78,11			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2023)

31,58,53

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50,00	50,00	0,00	(-) 50,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

30,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹5,522.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹52.50 लाख), दिसम्बर 2022 (₹57.61 लाख) एवं मार्च 2023 (₹2,468.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,578.11 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,158.53 लाख), अंतिम बचत (₹5,522.82 लाख) से ₹2,364.29 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 35 क्रमशः

(3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2052-00.090.09 - योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	629.32	669.48	602.34	(-)67.14	₹67.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	40.16				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.092.45-20 सूत्री कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	116.02	119.02	57.82	(-)61.20	₹61.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.796.44-पी.एम.यू. की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	300.00	300.00	14.76	(-)285.24	₹285.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.094.03-योजना तंत्र का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,024.04	909.15	583.84	(-)325.31	₹475.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	35.11				
	पुनर्वि.	(-)150.00				
2053-00.094.17-संविदा भत्ता एवं परामर्शी शुल्क (नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय) (स्थापना व्यय)	मूल	71.15	71.15	6.99	(-)64.16	₹64.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.796.17-संविदा भत्ता एवं परामर्शी शुल्क (नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय) (स्थापना व्यय)	मूल	110.82	129.32	41.04	(-)88.28	₹88.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	18.50				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 35 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.796.40- 20 सूत्री कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	125.00	125.00	57.60	(-)67.40	₹67.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.796.42- झारखण्ड राज्य राजकोषीय अध्ययन तथा सुधार संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	74.67	(-)125.33	₹125.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.796.46- जिला योजना कार्यालय का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	229.07	32.50	24.91	(-)7.59	₹204.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)196.57				
3454-02.204.02- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	2,302.88	2,320.88	1,646.14	(-)674.74	₹674.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3454-02.204.05- प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (स्थापना)	मूल	141.25	141.25	57.35	(-)83.90	₹83.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 35 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2053-00.094.34- कैपेसिटी बिल्डिंग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/ इनोभेसन- पी.पी.पी. वर्कशॉप/ स्टार्टअप/इन्क्यूबेशन सेंटर इनोवेटिव झारखण्ड डिजीटल कार्यक्रम सहित (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2053-00.094.36- नई मोटरगाड़ी का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2053-00.796.33- डी.एच.डी.आर./ एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास एवं सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.99				

अनुदान संख्या - 35 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.796.34- कैपेसिटी बिल्डिंग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग/ इनोभेसन- पी.पी.पी. वर्कशॉप/ स्टार्टअप/इन्व्यूबेशन सेंटर इनोवेटिव झारखण्ड डिजिटल कार्यक्रम सहित (राज्य स्कीम)	मूल	1,450.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹1,450.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,449.99				
2053-00.796.36- नई मोटरगाड़ी का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				
2053-00.796.41- राज्य विकास परिषद् को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	(-)300.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3454-02.204.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 35 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3454-02.796.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	138.78	138.78	0.00	(-)138.78	₹138.78 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹30.00 लाख), अंतिम बचत (₹50.00 लाख) से ₹20.00 लाख कम था।
(6) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-60.796.02- योजना भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	20.00	0.00	(-)20.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,82,36,61	5,84,67,69	3,00,29,92	(-)2,84,37,77
अनुपूरक	2,31,08			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

2,34,00,00

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,72,03,53	35,03,04,30	18,40,08,14	(-) 16,62,96,16
अनुपूरक	31,00,77			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

16,35,50,01

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹28,437.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹174.79 लाख) एवं मार्च 2023 (₹56.29 लाख) में प्राप्त किया गया ₹231.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 36 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹23,400.00 लाख), अंतिम बचत (₹28,437.77 लाख) से ₹5,037.77 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2215-01.101.04- नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना (स्थपना) एवं 2215-01.102.02-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (स्थपना व्यय) के अंतर्गत ₹163.14 लाख एवं ₹119.63 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,944.75 लाख एवं ₹3,844.02 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2215-01.101.02- हटिया जलापूर्ति योजना (स्थापना व्यय)	मूल	382.75	383.25	341.39	(-)41.86	₹41.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-01.102.03- हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुंए- उच्च दाब नलकूप (स्थापना व्यय)	मूल	11,353.59	11,362.12	10,196.07	(-)1,166.05	₹1,166.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	8.53				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-01.102.14- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) की मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	1,525.52	(-)474.48	₹474.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-01.107.11- ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18,000.00	4,300.00	3,161.89	(-)1,138.11	₹14,838.11 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,700.00				
2215-01.107.11- ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनिटेशन) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,000.00	3,000.00	2,107.93	(-)892.07	₹892.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 36 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनितेशन) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,100.00	1,300.00	882.39	(-)471.61	₹4,271.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,800.00				
2215.01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनितेशन) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	850.00	850.00	588.26	(-)261.74	₹261.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सैनितेशन) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	₹5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,000.00				
2215.01.796.14- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) की मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,200.00	856.63	(-)343.37	₹1,143.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)800.00				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215.02.107.16- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रोत्साहन राशि (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या - 36 क्रमशः

पूँजी:

- (5) ₹1,66,296.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹3,100.77 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,63,550.01 लाख), अंतिम बचत (₹1,66,296.16 लाख) से ₹2,746.15 लाख कम था।
- (7) शीर्ष - 4215-01.102.06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम), 4215-01.102.10-विशेष एकीकृत योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) एवं 4215-01.796.03-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹297.98 लाख, ₹3,192.97 लाख एवं ₹279.03 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,000.00 लाख, ₹77,606.68 लाख एवं ₹2,907.97 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	10,252.50	8,402.50	7,354.06	(-)1,048.44	₹2,898.44 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,850.00				
4215-01.102.03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	1,850.00	1,539.67	(-)310.33	₹660.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)350.00				
4215-01.789.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	1,601.00	1,601.00	1,274.84	(-)326.16	₹326.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4215-01.789.03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	200.00	196.42	(-)3.58	₹103.58 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				

अनुदान संख्या - 36 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	6,390.00	3,090.00	2,704.28	(-)385.72	₹3,685.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,300.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4215-01.102.10- जल जीवन मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	80,112.24	0.00	0.00	0.00	कोषागार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹80,112.24 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80,112.24				
4215-01.789.10- जल जीवन मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	27,435.92	0.00	0.00	0.00	कोषागार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹27,435.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,435.92				
4215-01.796.10- जल जीवन मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50,401.85	0.00	0.00	0.00	कोषागार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण ₹50,401.85 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,401.85				

**अनुदान संख्या 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
(राजभाषा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	25,43,87	25,52,17	23,12,34	(-)2,39,83
अनुपूरक	8,30			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹239.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹0.30 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹8.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (3) शीर्ष 2053-00.094.08-राजभाषा की स्थापना (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹238.79 लाख की बचत, जो कि ₹2,417.65 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,26,94	34,59,94	20,30,70	(-) 14,29,24
अनुपूरक	4,33,00			

वर्ष के दौरान अथ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹1,429.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹343.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹90.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹433.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यार्पित नहीं किया गया।
- (3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2030-02.101.01- केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	250.00	250.00	74.32	(-)175.68	₹175.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2030-02.101.05- क्रेताओं को ई-स्टाम्प की मूल्य वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	350.00	350.00	32.13	(-)317.87	₹317.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 38 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2030-03.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	1,899.36	2,022.36	1,386.64	(-)635.72	₹635.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	123.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2030-03.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	306.82	316.82	154.28	(-)162.54	₹162.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2030-02.101.02- प्रतिभूति प्रेस हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,08,82,53	17,70,43,66	8,54,86,99	(-) 9,15,56,67
अनुपूरक	2,61,61,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹91,556.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹1.96 लाख), दिसम्बर 2022 (₹20,007.47 लाख) एवं मार्च 2023 (₹6,151.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹26,161.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (3) शीर्ष 2245-01.101.03- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹2,651.99 लाख की अंतिम बचत, जो कि ₹47,300.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-01.001.01- प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित स्थापना व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	254.90	262.37	227.52	(-)34.85
	अनुपूरक	7.47			
	पुनर्वि.	0.00			
₹34.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-01.001.02- राज्य आपदा-मोचन बल (स्थापना व्यय)	मूल	943.44	943.44	200.76	(-)742.68	₹742.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-01.101.07- कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक) (स्थापना व्यय)	मूल	10,000.00	10,000.00	7,899.95	(-)2,100.05	₹2,100.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	2,000.00	2,000.00	69.69	(-)1,930.31	₹1,930.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-02.101.03- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	600.00	141.20	(-)458.80	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिये निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹400.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी। ₹458.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)400.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.101.04- प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण (स्थापना व्यय)	मूल	300.00	100.00	31.47	(-)68.53	सूखा प्रभावित किसानों/ परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹200.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी। ₹68.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2245-02.113.02- बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,000.00	1,000.00	331.65	(-) 668.35	सूखा प्रभावित किसानों/ परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹1,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी। ₹668.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2245-02.114.01- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (स्थापना व्यय)	मूल	5,000.00	5,000.00	81.51	(-)4,918.49	₹4,918.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2245-80.101.16- 14वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन (स्थापना व्यय)	मूल	3,021.86	3,669.56	261.65	(-)3,407.91	₹3,407.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	647.70				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (स्थापना व्यय)	मूल	41,000.00	9,000.00	7,535.45	(-)1,464.55	सूखा प्रभावित किसानों/ परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹32,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी। ₹1,464.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 32,000.00				
2245-80.102.02- संचार उपकरणों सहित आवश्यक रबीज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	2,000.00	2,685.00	2,685.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹2,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	2,685.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-80.102.11- वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1,500.00	1,500.00	1,280.48	(-) 219.52	₹219.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.02- खाद्यान्न की अपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹300.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2245-01.101.06- अन्य कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2245-01.102.02- पीने के पानी की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹1,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2245-01.102.03- ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति हेतु चापाकलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मत (स्थापना व्यय)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹2,000.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				
2245-01.102.04- शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं अन्य जलापूर्ति संरचनाओं की मरम्मत/उन्नयन/जीर्णोद्धार (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.104.01- चारे की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2245-02.102.02- पीने के पानी की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2245-02.104.01- चारे की पूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.106.01- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पूलों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)200.00			
2245-02.107.01- सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)100.00			
2245-02.109.02- क्षतिग्रस्त नलकूपों, पम्पसेटों आदि की मरम्मति (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)100.00			

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-02.112.01- जनसंख्या का निष्क्रमण (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सूखा प्रभावित किसानों/परिवारों को आनुग्रहिक राहत के भुगतान के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2245-02.282.01- मानव दवाओं की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-05.101.07- राज्य आपदा मोचन निधि (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	56,800.00	56,800.00	0.00	(-)56,800.00	₹56,800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-05.101.07- राज्य आपदा मोचन निधि (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,021.00	15,840.00	0.00	(-)15,840.00	₹15,840.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,819.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2245-80.001.22- आपदा प्रभावित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का सुदृढीकरण (के.से.स्कीम)	मूल	159.60	159.60	0.00	(-)159.60	₹159.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) राज्य आपदा मोचन निधि:

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) एक कोष है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1)(ए) के अधीन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डीआर.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 के अधीन किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित परिस्थितियों अथवा आपदा से निपटने के लिए किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा मोचन के लिए निधि का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-33-5 - 2015- एन.डी.एम. - 1 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन एवं गठन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाले वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए:-

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए कोषागार विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ब्याज
- (घ) सहकारी बैंको में ब्याज वाले जमा

अनुदान संख्या - 39 क्रमांत

राज्य आपदा मोचन निधि के लिये केन्द्र एवं राज्य से निधि का वर्षवार आवंटन नीचे दर्शाया गया है:

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	जोड़
(₹ करोड़ में)							
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	568.00	568.00	596.00	625.00	658.00	690.00	3,705.00
राज्यांश (25 प्रतिशत)	189.00	189.00	198.00	209.00	219.00	230.00	1,234.00
जोड़	757.00	757.00	794.00	834.00	877.00	920.00	4,939.00

वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार ने कोई भी राशि राज्य आपदा मोचन निधि के लिए विमुक्त नहीं किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि से ₹850.41 करोड़ के वास्तविक व्यय को समायोजित किया गया। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष “2245 प्रकृतिक आपदाओं के कारण राहत” में प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹850.41 करोड़ नामे किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई राशि विमुक्त नहीं किया गया है। फिर भी, वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने लोक लेखा के लिए ₹200.00 करोड़ की रकम हस्तांतरित किया है, जिसे वर्ष 2021-22 में प्राप्त किया गया था।

अतः 31 मार्च 2023 को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹1,511.26 करोड़ हुआ।

(6) राज्य आपदा शमन निधि:

राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1) (सी) के अधीन किया गया। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि के तहत राज्य आपदा शमन निधि का सृजन नहीं किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹113.60 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹37.80 करोड़ है। राज्य सरकार ने निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं किया है।

राज्य आपदा शमन निधि के लिए निधि का वर्षवार प्रवाह नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:-

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	जोड़
(₹ करोड़ में)						
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	113.60	119.20	125.20	131.60	138.00	627.60
राज्यांश (25 प्रतिशत)	37.80	39.60	41.60	43.80	46.00	208.80
कुल	151.40	158.80	166.80	175.40	184.00	836.40

**अनुदान संख्या 40 – राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,78,49,05	9,12,48,20	7,00,70,72	(-) 2,11,77,48
अनुपूरक	1,33,99,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 59,21

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	29,00,04	29,00,04	14,36,08	(-) 14,63,96
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2023) 10,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹21,177.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹2,231.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹8,692.15 लाख) एवं मार्च 2023 (₹2,476.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹13,399.15 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹59.21 लाख), अंतिम बचत (₹21,177.48 लाख) से ₹21,118.27 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2029-00.101.01- मानकी/ मुण्डा/ डाकुआ/ प्रधान/ ठेकेदार के लिए सम्मान (स्थापना व्यय), 2029-00.102.19- बाह्य स्रोत/ अनुबन्ध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता (राज्य स्कीम), 2029-00.104.18-कोषागार में जमा राशि की वापसी (राज्य स्कीम) एवं 2029-00.796.19- बाह्य स्रोत/ अनुबन्ध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹486.40 लाख, ₹129.16 लाख, ₹250.69 लाख एवं ₹151.24 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,000.00 लाख, ₹2,950.00 लाख, ₹9,660.00 लाख एवं ₹3,600.00 लाख के प्रावधान से 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.102.15- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,800.82	3,818.82	2,083.98	(-)1,734.84	₹1,734.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2029-00.102.20- मशीन, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	123.46	(-)126.54	₹126.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2029-00.104.01- राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	36,003.84	36,405.84	27,421.83	(-)8,984.01	₹8,984.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	402.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.090.17- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	909.30	930.80	737.12	(-)193.68	₹193.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	21.50				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.04- भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	1,838.64	1,850.64	1,275.65	(-)574.99	₹574.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	12.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2052-00.099.01- सामान्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	404.28	350.31	350.30	(-)0.01	₹55.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.60				
	पुनर्वि.	(-)55.57				
2052-00.099.04- भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	161.91	163.41	113.46	(-)49.95	₹49.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.093.01- जिला प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	13,094.42	14,991.42	10,435.59	(-)4,555.83	₹4,555.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,897.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.094.01- अवर प्रमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,418.57	6,673.57	5,074.90	(-)1,598.67	₹1,598.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	255.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.094.04- प्रमाण-पत्र स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	462.83	462.83	227.74	(-)235.09	₹235.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2053-00.094.05- प्रक्रियापालक स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	788.31	788.31	577.71	(-)210.60	₹210.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2053-00.101.01- मुख्य कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,031.63	1,031.63	811.88	(-)219.75	₹219.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.115.03- सर्किट भवन (स्थापना व्यय)	मूल	492.67	527.67	329.19	(-)198.48	₹198.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	35.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3475-00.201.01- अधिकतम सीमा का निर्धारण और अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण (स्थापना व्यय)	मूल	53.13	53.13	18.82	(-)34.31	₹34.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.104.03- राजस्व प्रशासन पर व्यय-नई गाड़ियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2029-00.796.03- राजस्व प्रशासन पर व्यय-नई गाड़ियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2029-00.796.21- टाना भगत विकास प्राधिकार को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3454-01.001.01- कृषि गणना (के.से. स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3454-01.101.05- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (के.से. स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,463.96 लाख) से ₹463.96 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 40 क्रमांत

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.61- राजस्व प्रशासन अन्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,450.00	700.00	676.73	(-)23.27	तृतीय अनुपूरक अनुदान के द्वारा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने के कारण ₹750.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹23.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)750.00				
4059-01.796.61- राजस्व प्रशासन अन्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,450.00	1,200.00	759.35	(-)440.65	तृतीय अनुपूरक अनुदान के द्वारा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किये जाने के कारण ₹250.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹440.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)250.00				

अनुदान संख्या 41 - पथ निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष-2075-विविध सामान्य सेवाएँ, 3054-सड़क तथा सेतु, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,53,34,02	5,54,71,75	3,85,00,95	(-) 1,69,70,80
अनुपूरक	1,37,73			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	33,00,00,00	37,65,00,00	33,52,84,84	(-)4,12,15,16
अनुपूरक	4,65,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

3,71,09,72

(मार्च 2023)

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) ₹16,970.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹123.85 लाख), दिसम्बर 2022 (₹0.67 लाख) एवं मार्च 2023 (₹13.21 लाख) में प्राप्त किया गया ₹137.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

- (3) शीर्ष 3054-03.337.01 सड़क निर्माण कार्य (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹210.06 लाख की बचत, जो कि ₹15,123.85 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2075-00.791.01- ए.डी.बी. ऋण के लिए वैदेशिक मुद्रा मूल्य में वृद्धि/हास के लिए सरकार को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	542.59	(-)457.41	₹457.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-01.337.01- राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना व्यय)	मूल	3,000.00	3,000.00	855.80	(-)2,144.20	₹2,144.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-03.337.02- कार्यभारित स्थापना पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	75.00	75.00	29.87	(-) 45.13	₹45.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,735.86	1,739.32	1,331.27	(-)408.05	₹408.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3.46				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.001.02- कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय)	मूल	10,097.24	10,103.93	7,869.10	(-)2,234.83	₹2,234.83 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	6.69				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054-80.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,368.22	1,368.22	1,152.06	(-)216.16	₹216.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.001.05- निरूपण (स्थापना व्यय)	मूल	940.37	941.31	674.12	(-)267.19	₹267.19 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.94				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.001.06- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	206.65	206.65	114.23	(-)92.42	₹92.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.001.07- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	381.64	381.88	299.61	(-)82.27	₹82.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.24				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.001.08- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय)	मूल	2,331.76	2,333.84	1,730.20	(-)603.64	₹603.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2.08				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3054-80.001.09- अग्रिम योजना स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	872.11	872.58	572.82	(-)299.76	₹299.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.47				
	पुनर्वि.	0.00				
3054-80.797.01- केन्द्रीय पथ निधि (स्थापना व्यय)	मूल	18,000.00	18,000.00	8,156.00	(-)9,844.00	₹9,844.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3451-00-090-12- पथ निर्माण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	325.16	325.16	259.50	(-) 65.66	₹65.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (4) ₹41,215.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹10,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹36,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹46,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹37,109.72 लाख), अंतिम बचत (₹41,215.16 लाख) से ₹4,105.44 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

- (6) शीर्ष 5054-03.101.03- पुल (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹723.02 लाख की बचत, जो कि ₹7,300.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5054-03.337.01- वृहद सड़कें (राज्य स्कीम)	मूल	1,35,000.00	1,15,000.00	1,14,173.76	(-) 826.24	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹20,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹826.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,000.00				
5054-03.337.02- केन्द्रीय पथ निधि (के.से.स्कीम)	मूल	11,000.00	6,936.00	4,536.08	(-)2,399.92	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹4,064.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹2,399.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,064.00				
5054-03.377.08- वृहद सड़कें- राज्यमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिये एशियन विकास बैंक से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	800.00	800.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹700.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)700.00				

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5054-03.796.02- केन्द्रीय पथ निधि (के.से.स्कीम)	मूल	7,000.00	516.00	512.51	(-) 3.49	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹6,484.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹3.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,484.00				
5054-03.796.03- पुल (राज्य स्कीम)	मूल	14,860.00	10,860.00	10,832.88	(-) 27.12	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹4,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹27.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,000.00				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5054-03.052.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	175.00	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹175.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)175.00				

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054-03.796.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	186.72	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹186.72 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)186.72				
5054-03.796.08- वृहद सड़कें- राज्यमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिये एशियन विकास बैंक से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	0.00	0.00	0.00	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				

(8) उचंत लेन-देन :-

(क) इस अनुदान के अंतर्गत किए गए व्यय में से कोई भी राशि “उचंत” के अंतर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, जो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं :

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 को अन्तशेष
(₹ लाख में)					
(i) 3054-सड़क तथा सेतु					
विधि निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्य अग्रिम					
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय					
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्य अग्रिम					
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(9) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास निधि के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष “3054 - सड़क तथा सेतु” में प्रतिस्पर्शी नामें द्वारा शीर्ष “8224-केन्द्रीय सड़क निधि” में जमा के जाती है।

इस राशि में 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

राज्य सरकार की अंतरित राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष ‘3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान’ में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष ‘1601-केन्द्रीय सरकार को सहायक अनुदान’ में जमा किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष “3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण” में प्रतिस्पर्शी नामे द्वारा शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि” से अनुदान में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारम्भ में शीर्ष ‘3054/5054’ में पुस्तांकित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष “8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष “3054/5054, लघु शीर्ष 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि” में प्रतिस्पर्शी

अनुदान संख्या - 41 क्रमांत

ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा" में नामे करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया तथा वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से ₹8,156.00 लाख प्राप्त किया।

(10)पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा- लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायो आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में विपारित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
			(₹ लाख में)		
2020-21	2,62,047.69	13,067.86	4.99	9.90	0.003
2021-22	3,20,218.68	11,889.64	3.71	0.00	0.00
2022-23	3,46,868.23	12,898.88	3.72	0.00	0.00

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	74,68,72,05	77,61,38,63	43,60,55,40	(-) 34,00,83,23
अनुपूरक	2,92,66,58			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

28,50,91,13

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,82,95,30	6,69,87,26	6,08,40,07	(-) 61,47,19
अनुपूरक	86,91,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

49,63,65

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹3,40,083.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2022 (₹2,559.15 लाख), दिसम्बर 2022 (₹13,098.20 लाख) एवं मार्च 2023 (₹13,609.23 लाख) में प्राप्त किया गया ₹29,266.58 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,85,091.13 लाख), अंतिम बचत (₹3,40,083.23 लाख) से ₹54,992.10 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2515-00.102.10- उत्तर प्रक्रम- 2 खण्ड (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹1,410.86 लाख की बचत, जो कि ₹27,470.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,470.00	29,440.00	1,870.00	(-)1,070.00	₹1,070.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,470.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	980.00	1,960.00	1,246.66	(-)713.34	₹713.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	980.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	450.00	900.00	800.00	(-)100.00	₹100.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	450.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	300.00	600.00	533.33	(-)66.67	₹66.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	300.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-02.796.03- सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम-जलछाजन विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	111.40	96.90	(-)14.50	₹53.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.50				
	पुनर्वि.	(-)39.10				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,080.00	2,160.00	900.00	(-)1,260.00	₹1,260.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,080.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	720.00	1,440.00	600.00	(-)840.00	₹840.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	720.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-06.101.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	19,504.11	15,499.00	11,624.07	(-)3,874.93	₹7,880.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,005.11				
2501-06.101.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,002.75	10,607.00	8,100.60	(-)2,506.40	₹4,902.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,395.75				
2501-06.101.13- प्रखण्ड प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	243.42	213.42	165.38	(-)48.04	₹78.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2501-06.102.22- स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	720.00	357.00	284.48	(-)72.52	₹435.52 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)363.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.102.22- स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	480.00	238.00	189.65	(-)48.35	₹290.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)242.00				
2501-06.102.23- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-आजीविका कौशल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,450.00	822.00	821.87	(-)0.13	₹2,628.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,628.00				
2501-06.102.23- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-आजीविका कौशल (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,300.00	548.00	547.91	(-)0.09	₹1,752.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,752.00				
2501-06.102.25- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,050.00	525.00	264.32	(-)260.68	₹785.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)525.00				
2501-06.102.25- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	700.00	350.00	176.21	(-)173.79	₹523.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)350.00				
2501-06.102.26- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,031.77	4,111.00	4,110.85	(-)0.15	₹920.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)920.77				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.102.26- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,354.51	2,741.00	2,740.55	(-)0.45	₹613.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)613.51				
2501-06.789.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	11,312.39	16,774.00	12,792.84	(-)3,981.16	₹3,981.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,461.61				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-06.789.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,541.59	11,183.00	8,528.75	(-)2,654.25	₹2,654.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,641.41				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-06.789.23- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-आजीविका कौशल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,001.00	476.81	476.69	(-)0.12	₹1,524.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,524.19				
2501-06.789.23- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-आजीविका कौशल (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,334.00	317.80	317.79	(-)0.01	₹1,016.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,016.20				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2501-06.789.25- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	609.00	304.50	213.00	(-)91.50	₹396.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)304.50				
2501-06.789.25- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	406.00	203.00	142.00	(-)61.00	₹264.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)203.00				
2501-06.796.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,191.73	7,689.00	5,868.03	(-)1,820.97	₹2,232.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)502.73				
2501-06.796.05- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,461.15	5,126.00	3,912.16	(-)1,213.84	₹1,548.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)335.15				
2501-06.796.13- प्रखण्ड प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	453.40	363.40	329.41	(-)33.99	₹123.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2501-06.796.19- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	192.00	192.00	100.58	(-)91.42	₹91.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.21- विभाग का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	110.00	110.00	70.25	(-)39.75	₹39.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2501-06.796.23- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-आजीविका कौशल (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,449.00	345.19	345.19	0.00	₹1,103.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,103.81				
2501-06.796.23- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-आजीविका कौशल (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	966.00	230.20	230.13	(-)0.07	₹735.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)735.80				
2501-06.796.25- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	441.00	220.50	117.69	(-)102.81	₹323.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)220.50				
2501-06.796.25- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	294.00	147.00	78.46	(-)68.54	₹215.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)147.00				
2505-01.702.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20,836.94	44,970.16	44,970.16	0.00	₹75,866.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75,866.78				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.702.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	86,547.72	49,673.00	49,673.00	0.00	₹36,874.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36,874.72				
2505-01.789.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36,990.90	22,575.43	22,575.43	0.00	₹14,415.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,415.47				
2505-01.789.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	26,494.20	15,050.29	15,050.29	0.00	₹11,443.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,443.91				
2505-01.796.01- नरेगा-मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	175.00	113.01	75.32	(-)37.69	₹104.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 66.99				
2505-01.796.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	88,778.16	31,403.05	31,403.05	0.00	₹57,375.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 57,375.11				
2505-01.796.02- इंदिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	63,586.08	20,935.37	20,935.37	0.00	₹42,650.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42,650.71				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	47,775.00	42,875.00	36,920.11	(-)5,954.89	₹10,854.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,900.00				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	15,925.00	11,760.00	7,313.74	(-)4,446.26	₹8,611.26 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,165.00				
2505-02.101.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	9.80	0.26	(-)9.54	₹48.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.20				
2505-02.101.09- सामाजिक अंकेक्षण इकाई, झारखण्ड (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,610.00	427.12	(-)1,182.88	₹1,508.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,936.00				
	पुनर्वि.	(-)326.00				
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,625.00	13,125.00	8,915.46	(-)4,209.54	₹5,709.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2505-02.789.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,875.00	3,600.00	2,238.90	(-)1,361.10	₹2,636.10 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,275.00				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	35,100.00	31,500.00	21,397.12	(-)10,102.88	₹13,702.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,600.00				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,700.00	8,640.00	5,373.36	(-)3,266.64	₹6,326.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,060.00				
2505-02.796.05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	36.00	7.20	4.29	(-)2.91	₹31.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.80				
2515-00.102.72- निदेशक, डी.आर. डी.ए. स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	210.90	210.90	139.56	(-)71.34	₹71.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.102.78- बाह्य स्रोत/ अनुबन्ध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,425.00	1,116.69	(-)308.31	₹883.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)575.00				
2515-00.102.79- मशीन, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,995.50	1,497.16	(-)498.34	₹502.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4.50				
2515-00.796.09- कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	305.00	223.09	(-)81.91	₹91.91 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	15.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	980.00	0.00	0.00	0.00	₹980.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)980.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.789.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	270.00	0.00	(-)270.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2501-02.796.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	720.00	0.00	0.00	0.00	₹720.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)720.00				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,064.00	0.00	0.00	0.00	₹2,064.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,064.00				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,376.00	0.00	0.00	0.00	₹1,376.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,376.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.08- मनरेगा कर्मियों हेतु सामाजिक सुरक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	29.00	0.00	(-)29.00	₹49.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2501-02.796.08- मनरेगा कर्मियों हेतु सामाजिक सुरक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	36.00	21.00	0.00	(-)21.00	₹36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2515-00.789.48- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,000.00	375.20	0.00	(-)375.20	₹2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,624.80				

पूँजी :

- (5) ₹6,147.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹1.81 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹8,690.15 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,691.96 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,963.65 लाख), अंतिम बचत (₹6,147.19 लाख) से ₹1,183.54 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

(7) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4515-00.102.39- प्रखण्ड भवन-मुख्य कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	9,809.85	9,238.23	(-)571.62	₹2,690.15 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹571.62 लाख की बचत प्लाश मार्ट के निर्माण के लिए जे.सी.एफ. से निधि प्राप्त होने के कारण हुई थी। ₹2,250.00 लाख की शेष बचत एवं ₹571.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,690.15				
4515-00.796.38- प्रखण्ड भवन नवीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	100.00	46.78	(-)53.22	₹53.22 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4515-00.796.39- प्रखण्ड भवन नवीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	10,250.00	10,183.02	(-)66.98	₹2,316.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,250.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

(8) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4815-00.796.47- प्लाश मार्ट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	436.65	0.00	(-)436.65	₹440.15 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	440.15				
	पुनर्वि.	(-)3.50				

(9) उचंत लेन-देन:

(a) इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि 'उचंत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अंतर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम:- इस उप-शीर्ष में उधार बेचे गए भण्डार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियां और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 42 क्रमांत

(b) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 का आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 का अन्तशेष
			(₹ लाख में)		
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
कार्य अग्रिम					
कुल	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्य					
विविध निर्माण	169.16	0.00	0.00	0.00	169.16
कार्य अग्रिम					
कुल	169.16	0.00	0.00	0.00	169.16

**अनुदान संख्या 43 - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(तकनीकी शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4202-खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,88,44,15	2,85,37,65	2,40,80,26	(-)44,57,39
अनुपूरक	96,93,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

26,13,46

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,41,60,00	1,41,60,00	37,31,69	(-)1,04,28,31
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

52,68,31

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹4,457.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2022 (₹3,702.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹485.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹5,506.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,693.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 43 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,613.46 लाख), अंतिम बचत (₹4,457.39 लाख) से ₹1,843.93 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2203-00.105.01-डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्निदिष्ट (सैंडविच) पाठ्यक्रम सहित (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹437.80 लाख की बचत, जो कि ₹4,623.30 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत, से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2203-00.001.01- तकनीकी शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	168.29	198.05	198.05	0.00	₹43.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	73.00				
	पुनर्वि.	(-)43.24				
2203-00.001.A6- निदेशालय का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	38.70	(-)36.30	₹36.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.003.A7- प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेट्वर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	370.00	296.00	173.39	(-)122.61	₹196.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.00				
2203-00.105.44- राजकीय पोलिटैक्निकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	2,145.00	2,237.31	1,625.08	(-)612.23	₹1,112.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	592.31				
	पुनर्वि.	(-)500.00				

अनुदान संख्या - 43 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.112.02- स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,706.03	1,302.72	(-)403.31	₹601.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	404.69				
	पुनर्वि.	(-)198.66				
2203-00.796.44- राजकीय पोलिटैक्निकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	355.00	261.00	158.95	(-)102.05	₹196.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.00				
3451-00.090.03- विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	378.77	315.67	315.67	0.00	₹69.60 लाख की प्रत्याशित बचत में से, कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण ₹28.66 लाख की बचत हुई थी। ₹40.94 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	6.50				
	पुनर्वि.	(-)69.60				

अनुदान संख्या - 43 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2203-00.004.AE- तकनीकी शिक्षा के लिए छात्राओं को आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	740.00	0.00	0.00	0.00	₹740.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)740.00				
2203-00.004.AG- झारखण्ड राज्य में स्थापित केन्द्रीय तकनीकी संस्थान को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	370.00	1.00	0.00	(-)1.00	पूर्व में विमुक्त निधि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने के कारण ₹369.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)369.00				
2203-00.796.A7- प्रशिक्षण एवं विकास इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	130.00	0.00	0.00	0.00	₹130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)130.00				
2203.00.796.AE- तकनीकी शिक्षा के लिए छात्राओं को आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	260.00	0.00	0.00	0.00	₹260.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)260.00				

अनुदान संख्या - 43 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.AG- झारखण्ड राज्य में स्थापित केन्द्रीय तकनीकी संस्थान को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	130.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)130.00			

पूर्व में विमुक्त निधि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने के कारण ₹130.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूँजी:

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5,268.31 लाख), अंतिम बचत (₹10,428.31 लाख) से ₹5,160.00 लाख कम था।
- (6) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण इंजीनियरिंग कॉलेज/ पोलिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	6,660.00	3,501.88	3,501.88	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)3,158.12			
4202-02.796.06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण इंजीनियरिंग कॉलेज/ पोलिटेक्निक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,340.00	229.82	229.82	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)2,110.18			

₹3,158.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

₹2,110.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या - 43 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.76- तकनीकी शिक्षण संस्थानों को निर्माण इंजीनियरिंग कॉलेज/ पोलिटैक्निक/ खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (कें.से. स्कीम)	मूल	5,160.00	5,160.00	0.00	(-)5,160.00	₹5,160.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 44 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,37,75	6,72,34	6,12,35	(-) 59,99
अनुपूरक	34,59			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

14,78

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) ₹59.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹34.59 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹14.78 लाख), अंतिम बचत (₹59.99 लाख) से ₹45.21 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2251-00.090.01-शिक्षा विभाग (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹41.61 लाख की बचत, जो कि ₹632.10 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावा बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2251-00.090.03- झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	37.80	25.46	21.86	(-)3.60	₹14.78 लाख की प्रत्याशित बचत अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹3.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2.44				
	पुनर्वि.	(-)14.78				

अनुदान संख्या 45 - सूचना प्रौवधिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,32,91,72	3,36,65,02	1,60,29,43	(-) 1,76,35,59
अनुपूरक	3,73,30			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

1,59,69,63

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,35,00	1,04,35,00	86,61,20	(-)17,73,80
अनुपूरक	84,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

17,73,80

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹17,635.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹373.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹15,969.63 लाख), अंतिम बचत (₹17,635.59 लाख) से ₹1,665.96 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 45 क्रमशः

(3) बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.85- स्कील डेवेलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	5.90	5.90	0.00	₹94.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.10				
2203-00.001.92- डाटा सेंटर, लेन, पोर्टल एवं स्वान (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	1,500.00	1,493.59	(-)6.41	₹1,000.00 लाख की प्रत्याशि बचत जैप-आईटी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में झारनेट के ग्राम पंचायतों तक विस्तार संबंधी परियोजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹6.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या - 45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.A8- स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स (राज्य स्कीम)	मूल	7,000.00	4,069.89	4,069.89	0.00	₹2,930.11 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹2,500.00 लाख की बचत भारत सरकार के स्कीम पूँजी निवेश के लिये राज्य को विशेष सहायता 2022-23 के पार्ट V के तहत OFC संबंधी परियोजना 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' के क्रियान्वयन के लिये निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹430.11 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,930.11				
2203-00.001.AH- वर्कशाप/सेमीनार/ कॉन्फ्रेंस आदि (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	1.26	(-)48.74	₹48.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.001.AK- नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	64.20	64.20	0.00	₹835.80 लाख की प्रत्याशित बचत समयाभाव के कारण योजना के केवल प्रथम किस्त ही व्यय किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)835.80				

अनुदान संख्या - 45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.21- ई-गवर्नेंस सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	1,668.83	(-)331.17	₹331.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2203-00.796.92- डाटा सेंटर, लेन, पोर्टल एवं स्वान (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	2,000.00	1,800.00	(-)200.00	₹1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत जैप-आईटी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में झारनेट के ग्राम पंचायतों तक विस्तार संबंधी परियोजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी। ₹200.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2203-00.796.99- जी.आई.एस. रिमोट सेन्सिंग (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	335.27	335.27	0.00	₹64.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.73				

अनुदान संख्या - 45 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.A8- स्टेट ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स (राज्य स्कीम)	मूल	7,000.00	3,948.10	3,948.10	0.00	₹3,051.90 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹2,500.00 लाख की बचत विभाग के निर्णय के अनुसार राज्य के गैर-वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर के अधिष्ठापन से संबंधित परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹551.90 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,051.90				
3451-00.090.02- सूचना प्रावैधिकी विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	326.72	269.62	252.03	(-)17.59	₹74.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.10				

अनुदान संख्या - 45 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203.00.001.89- ई-ऑफिस (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	वित्तीय वर्ष 2022-23 में परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2203-00.001.AI- सूचना तकनीकी/ सूचना तकनीकी पर आधारित उद्योगों का प्रोत्साहन एवं संबंधित नीतियां (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,000.00				
2203-00.001.AJ- सूचना प्राद्योगिकी में नवीन तकनीकी का प्रयोग (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2203.00.796.89- ई-ऑफिस (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	वित्तीय वर्ष 2022-23 में परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण ₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

अनुदान संख्या - 45 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.796.AI- सूचना तकनीकी/ सूचना तकनीकी पर आधारित उद्योगों का प्रोत्साहन एवं संबंधित नीतियां (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)1,000.00			
2203-00.796.AJ- सूचना प्राद्यौगिकी में नवीन तकनीकी का प्रयोग (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	0.00			

पूँजी :

- (5) ₹1,773.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹8,400.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.70- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	261.20	261.20	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)738.80			

अनुदान संख्या - 45 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.79- इनोवेशन/ इन्व्यूबेशन केन्द्रों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-1,000.00)				
4202-02.796.77- जे.एस.ए.सी. भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

**अनुदान संख्या 46 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(पर्यटन प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	74,32,99	82,47,33	66,62,44	(-)15,84,89
अनुपूरक	8,14,34			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

14,03,86

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	80,00,00	80,00,00	78,13,46	(-)1,86,54
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹1,584.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹14.34 लाख) एवं मार्च 2023 (₹800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹814.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 46 क्रमशः

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,403.86 लाख), अंतिम बचत (₹1,584.89 लाख) से ₹181.03 लाख कम था।

(3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3451-00.090.15- पर्यटन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	262.70	269.20	209.56	(-)59.64	₹59.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	6.50				
	पुनर्वि.	0.00				
3452-80.104.11- आई.एच.एम., एफ. सी.आई. साहसिक गतिविधियों के लिए जे.ए.टी.आई. इत्यादि पर्यटक संस्थान एवं विभिन्न पर्यटक विकास प्राधिकार बाबा वैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ सराईन एरिया विकास प्राधिकार, आदि के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,532.96	1,527.39	(-)5.57	₹267.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) रजरप्पा तथा पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार के पूर्णतः कार्यकारी नहीं होने (₹163.50 लाख) (ii) होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि का भी उपयोग किये जाने (₹103.27 लाख) के कारण हुई थी। ₹5.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	600.00				
	पुनर्वि.	(-) 267.04				
3452-80.104.16- पर्यटन स्थल के रख रखाव, प्रबंधन एवं साफ-सफाई आदि (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	266.24	(-)33.76	₹33.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 46 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3452-80.796.11- आई.एच.एम., एफ. सी.आई. साहसिक गतिविधियों के लिए जे.ए.टी.आई. इत्यादि पर्यटक संस्थान एवं विभिन्न पर्यटक विकास प्राधिकार बाबा वैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ सराईन एरिया विकास प्राधिकार, आदि के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	200.00	200.00	0.00	₹100.00 लाख की प्रत्याशित बचत होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे को शुल्क से प्राप्त आय के कारण कम राशि की आवश्यकता के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 100.00				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3452-80.104.17- कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
3452-80.104.18- वन तथा वन्य प्राणी क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म विकास हेतु वन विभाग प्राधिकार को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	63.18	0.00	(-)63.18	₹400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 336.82				

अनुदान संख्या - 46 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3452-80.796.17- कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
3452-80.796.18- वन तथा वन्य प्राणी क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म विकास हेतु वन विभाग प्राधिकार को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				

पूँजी:

- (4) शीर्ष 5452-80.104.75- पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास (राज्य स्कीम) और 5452-80.796.75- पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹152.77 लाख एवं ₹33.78 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,000.00 लाख एवं ₹3,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 47 - परिवहन विभाग

(मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर, 3055-सड़क परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएँ, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,89,62,83	2,05,62,83	1,87,71,62	(-)17,91,21
अनुपूरक	16,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	71,99,00	71,99,00	31,85,64	(-)40,13,36
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹1,791.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹1,550.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,600.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या - 47 क्रमशः

(3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2041-00.001.01- राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	318.37	368.37	266.91	(-)101.46	₹101.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2041-00.101.01- प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	232.28	332.28	212.08	(-)120.20	₹120.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	100.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2041-00.101.02- मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना व्यय)	मूल	1,008.99	2,408.99	1,354.08	(-)1,054.91	₹1,054.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,400.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2041-00.102.01- मोटर वाहन का निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	168.74	168.74	133.35	(-)35.39	₹35.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3451-00.090.14- परिवहन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	425.33	425.33	305.20	(-)120.13	₹120.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 47 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3055-00.001.03- सरकारी वाहनों से घटित सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जान माल क्षति के एवज में मुआवजा	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3055-00.796.02- झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

(5) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5055-00.190.21- प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (ट्रांसपोर्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	240.00	173.23	(-)66.77	₹66.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 47 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	402.11	(-)197.89	₹197.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.04- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-उड़नदस्ता के लिए वाहनों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	65.00	2.05	(-)62.95	₹62.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण-भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.190.23- इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन केन्द्र के स्थापना हेतु राज्यांश (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	₹400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 47 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.27- स्वचलित चालक प्रशिक्षण ट्रैक का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	373.00	373.00	0.00	(-)373.00	₹373.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण-भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.12- प्रिंटिंग/मुद्रण/चालान एवं टोकन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.19- मोटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 47 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.796.23- इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन केंद्र की स्थापना हेतु राज्यांश (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.25- ट्रैफिक पार्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
5055-00.796.27- स्वचालित चालक प्रशिक्षण ट्रैक का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2251-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,76,11,49	29,60,63,18	19,69,21,96	(-)9,91,41,22
अनुपूरक	8,84,51,69			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

8,40,72,75

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,67,42,30	9,67,42,30	7,23,79,64	(-)2,43,62,66
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

2,43,37,32

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (1) ₹99,141.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹12,707.87 लाख), दिसम्बर 2022 (₹25,169.56 लाख) एवं मार्च 2023 (₹50,574.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹88,451.69 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹84,072.75 लाख), अंतिम बचत (₹99,141.22 लाख) से ₹15,068.47 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2217-80.191.33- शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम), 2217-80.191.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन-अमृत (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2217-80.796.76- शहरी पुनरुत्थान मिशन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2217-80.796.89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) हेतु अनुदान (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश) के अंतर्गत ₹171.42 लाख, ₹300.00 लाख, ₹200.00 लाख एवं ₹426.30 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹4,800.00 लाख, ₹6,571.00 लाख, ₹4,380.66 लाख एवं ₹6,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.001.03- नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	108.99	108.99	58.57	(-)50.42	₹50.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2217-80.001.04- शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव का आयोजन (स्थापना व्यय)	मूल	100.00	356.52	277.63	(-)78.89	₹4,825.09 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,002.72				
	पुनर्वि.	(-)4,746.20				
2217-80.191.27- नगर निगमों के उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,104.27	63.11	63.11	0.00	₹1,041.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,041.16				
2217-80.191.36- नगर सुधार हेतु सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	443.95	394.77	(-)49.18	₹205.23 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)156.05				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	1,382.21	1,234.11	1,126.92	(-)107.19	₹255.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)148.10				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	600.00	276.04	276.04	0.00	₹1,223.96 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹40.30 लाख की बचत भारत सरकार से कम केन्द्रांश की प्राप्ति की संभावना के कारण हुई थी। ₹1,183.66 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	900.00				
	पुनर्वि.	(-)1,223.96				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	450.00	184.03	184.03	0.00	₹865.97 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹76.86 लाख की बचत भारत सरकार से कम केन्द्रांश की प्राप्ति की संभावना के कारण हुई थी। ₹789.11 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	600.00				
	पुनर्वि.	(-)865.97				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.191.73- स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,632.00	2,259.00	2,259.00	0.00	₹2,373.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,364.00 लाख की बचत केन्द्रांश में अधिक प्रावधान के कारण हुई थी। ₹1,009.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,373.00				
2217-80.191.73- स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,172.00	2,606.65	2,606.65	0.00	₹1,565.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,565.35				
2217-80.191.89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए. वाई.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,000.00	16,540.68	16,540.68	0.00	₹22,559.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	31,100.00				
	पुनर्वि.	(-)22,559.32				
2217-80.191.89- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए. वाई.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,000.00	6,671.73	6,671.73	0.00	₹11,228.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	11,900.00				
	पुनर्वि.	(-)11,228.27				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2217-80.191.99- वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	40,700.00	33,666.17	19,606.17	(-)14,060.00	₹7,032.83 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹6,600.00 लाख की बचत भारत सरकार से कम राशि के प्राप्त होने की संभावना के कारण हुई थी। ₹433.83 लाख की शेष बचत एवं ₹14,060.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,033.83				
2217-80.191.A1- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (कामगारों के लिये शहरी रोजगार मंजूरी) हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	19.37	17.65	(-)1.72	₹232.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)230.63				
2217-80.191.A2- भूमि अधिग्रहण आधारभूत संरचनाओं के विकास तथा क्षमता संवर्धन हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	630.59	630.59	0.00	₹119.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)119.41				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.192.07- नगर पर्षद/ नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतानदि के भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना)	मूल	417.35	45.22	45.22	0.00	₹372.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)372.13				
2217-80.192.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	698.91	613.43	494.09	(-)119.34	₹204.82 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.48				
2217-80.193.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	437.61	362.00	347.31	(-) 14.69	₹90.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.61				
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	400.00	40.30	40.30	0.00	₹359.70 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा कम केन्द्रांश प्राप्त होने की संभावना के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)359.70				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	26.87	26.87	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-173.13)			
2217-80.789.99- वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	14,500.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-9,600.00)			
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत मिशन (टोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,000.00	3,073.00	3,073.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-2,927.00)			

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,000.00	3,942.72	3,942.72	0.00	₹1,057.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,057.28				
2217-80.796.99- वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	26,100.00	13,027.83	13,027.83	0.00	₹13,072.17 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹4,200.00 लाख की बचत भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने की संभावना के कारण हुई थी। ₹8,872.17 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,072.17				
2251-00-090-05- नगर विकास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	692.67	725.17	400.39	(-)324.78	₹324.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	32.50				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2217-80.191-80-पी.पी.पी. परियोजनाओं का कार्यान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2217-80.796-60-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	800.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से कम केन्द्रांश की प्राप्ति की संभावना के कारण ₹800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)800.00				
2217-80.796-60 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	550.00	0.00	0.00	0.00	भारत सरकार से कम केन्द्रांश की प्राप्ति की संभावना के कारण ₹550.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)550.00				
2217-80.796-61 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-सह-एन.एल.पी.सी. एवं एन.जी.आर.बी.ए. सह नमामी गंगे हेतु अनुदान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2217-80.796-80 पी.पी.पी. परियोजनाओं का कार्यान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				
2217-80.796-A1- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (कामगारों के लिए शहरी रोजगार मंजूरी) हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	0.00	0.00	0.00	₹250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)250.00				

पूँजी:

(5) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यत निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6217-60.191.03- नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	1,444.05	94.67	94.67	0.00	₹1,349.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,349.38				
6217-60.192.03- नगर परिषद्/ नगरपालिकाओं को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	545.77	67.83	67.83	0.00	₹477.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)477.94				

अनुदान संख्या - 48 क्रमांत

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4217-60.796-50- सरकारी कर्मियों के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)20,000.00			
4217-60.796-54- ग्रेटर राँची डेवलोपमेंट एजेंसी लि. हेतु आधारभूत संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)2,500.00			

अनुदान संख्या 49 - जल संसाधन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2700- मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,94,70,98	3,96,21,93	3,14,57,92	(-)81,64,01
अनुपूरक	1,50,95			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

63,19,89

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,93,80,00	14,01,87,00	11,20,93,42	(-)2,80,93,58
अनुपूरक	3,08,07,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

2,80,47,54

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹8,164.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹117.62 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹33.33 लाख) में प्राप्त किया गया ₹150.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,319.89 लाख), अंतिम बचत (₹8,164.01 लाख) से ₹1,844.12 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

(3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2700-01.001.02- स्वर्णरेखा बांध परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	18,950.75	15,297.20	15,119.06	(-)178.14	₹3,871.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	40.01				
	पुनर्वि.	(-)3,693.56				
2701-03.001.03- सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण (स्थापना व्यय)	मूल	251.85	182.53	182.37	(-)0.16	₹69.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.32				
2701-03.001.06- छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	7,585.13	6,111.76	5,403.43	(-)708.33	₹2,208.87 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	27.17				
	पुनर्वि.	(-)1,500.54				
2701-03.001.07- मध्यम सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	10,637.73	9,943.37	8,989.64	(-)953.73	₹1,688.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	40.21				
	पुनर्वि.	(-) 734.57				
2701-80.001.01- मुख्यालय सचिवालय की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	340.92	237.05	237.02	(-)0.03	₹107.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)107.87				
3451-00.090.09- जल संसाधन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,050.71	945.13	945.06	(-)0.07	₹145.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	39.56				
	पुनर्वि.	(-)145.14				

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2711-01.001.01- गंगा नदी के दायां तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)25.00			
प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण ₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।					

पूँजी:

- (5) ₹28,093.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹14,550.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹16,257.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹30,807.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, हो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.789.77- नई एवं चालू वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	6,243.73	6,242.87	(-)0.86
	अनुपूरक	800.00			
	पुनर्वि.	(-)4,556.27			
₹4,556.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					
4701-80.789.79- नये भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों का सम्पोषण एवं मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	104.95	104.94	(-)0.01
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)95.05			
₹95.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					
4701-80.796.70- ई-गवर्नेंस (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	86.88	86.88	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)63.12			
₹63.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.75- सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	19.95	19.75	(-)0.20	₹130.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)130.05				
4701-80.796.78- पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तार एवं जिर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	11,478.00	6,391.16	6,391.10	(-)0.06	₹5,086.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,086.84				
4701-80.796.79- नये भवनों का निर्माण तथा पुराने भवनों का सम्पोषण एवं मरम्मति (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	82.06	82.04	(-)0.02	₹317.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)317.94				
4711-01.789.61- नई एवं चालू बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	410.00	202.95	202.95	0.00	₹207.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)207.05				

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.789.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,500.00	0.00	0.00	0.00	₹5,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,500.00				
4700-80.789.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,106.00	0.00	0.00	0.00	₹3,106.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,106.00				
4700-80.796.11- स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,500.00	0.00	0.00	0.00	₹5,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,500.00				

अनुदान संख्या - 49 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,106.00	0.00	0.00	0.00	₹3,106.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,106.00				

(8) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹20,000.00 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई :-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम: इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दर्शाये गए हैं:

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 का आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 का अन्तशेष
				(₹ लाख में)	
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	23,088.06	20,000.00	0.00	20,000.00	43,088.06
कुल	23,088.06	20,000.00	0.00	20,000.00	43,088.06

अनुदान संख्या 50 - जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,01,77,21	1,02,16,26	72,85,77	(-)29,30,49
अनुपूरक	39,05			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

19,83,85

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,04,20,00	3,35,05,00	2,57,77,81	(-)77,27,19
अनुपूरक	30,85,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

71,53,40

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹2,930.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹28.36 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹10.69 लाख) में प्राप्त किया गया ₹39.05 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,983.85 लाख), अंतिम बचत (₹2,930.49 लाख) से ₹946.64 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 50 क्रमशः

(3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2702-02.005.01- सर्वेक्षण और जाँच (स्थापना व्यय)	मूल	9,966.21	8,021.31	7,085.77	(-)935.54	₹2,919.39 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	39.05				
	पुनर्वि.	(-)1,983.85				

पूँजी :

(4) ₹7,727.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹3,085.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,153.40 लाख), अंतिम बचत (₹7,727.19 लाख) से ₹573.79 लाख कम था।

(6) शीर्ष 4702-00.101.39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹108.57 लाख की बचत, जो कि ₹ 4,925.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4702-00.101.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	9,500.00	5,815.10	5,813.31	(-)1.79	₹3,684.90 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹306.00 लाख की बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अद्यतन आकलन के कारण हुई थी। ₹3,378.90 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,684.90				

अनुदान संख्या - 50 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पूनर्भरण एवं जल संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	14.10	(-)35.90	₹35.90 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.101.25- भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	52.25	52.25	0.00	₹47.75 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹35.00 लाख की बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अद्यतन आकलन के कारण हुई थी। ₹12.75 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.75				
4702-00.101.37- सिंचाई गणना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	239.00	239.00	0.00	₹61.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.00				

अनुदान संख्या - 50 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4702-00.796.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	9,500.00	6,429.98	6,205.59	(-)224.39	₹3,070.02 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹555.00 लाख की बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अद्यतन आकलन के कारण हुई थी। ₹2,515.02 लाख की शेष बचत एवं ₹224.39 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,070.02				
4702-00.796.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	21.22	(-)28.78	₹28.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4702-00.796.25- भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	56.98	56.98	0.00	₹43.02 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹35.00 लाख की बचत क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अद्यतन आकलन के कारण हुई थी। ₹8.02 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.02				

अनुदान संख्या - 50 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4702-00.796.37- सिंचाई गणना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	O	200.00	191.71	11.71	(-)180.00	₹188.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	S	0.00				
	R	(-)8.29				

(7) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से कोई भी राशि को शीर्ष "उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम: इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिये गए हैं :

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 का आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 का अन्तशेष
	(₹ लाख में)				
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	602.30	0.00	0.00	0.00	602.30
कुल	602.30	0.00	0.00	0.00	602.30

अनुदान संख्या 51 – अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2225- अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,27,74,64	32,81,85,14	24,60,38,89	(-)8,21,46,25
अनुपूरक	16,54,10,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

2,50,92,72

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,36,46,00	6,36,69,64	5,66,14,11	(-)70,55,53
अनुपूरक	3,00,23,64			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

8,60,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹82,146.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹42,616.70 लाख), दिसंबर 2022 (₹85,815.72 लाख) और मार्च 2023 (₹36,978.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,65,410.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹25,092.72 लाख), अंतिम बचत (₹82,146.25 लाख) से ₹57,053.53 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2225-01.789.97- प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (वर्ग I से VIII) (राज्य स्कीम), 2225-03.277.12- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम), 2225-03.277.89- प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (वर्ग I से VIII) (राज्य स्कीम) एवं 2225-03.796.12- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 352.56 लाख, ₹ 1,534.76 लाख, ₹ 696.28 लाख एवं ₹ 481.68 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹ 8,940.72 लाख, ₹ 20,000.00 लाख, ₹ 20,144.41 लाख एवं ₹ 15,000.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	3,541.20	3,541.20	2,200.65	(-)1,340.55	₹1,340.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.277.02- छात्रावास संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	264.72	264.72	56.52	(-)208.20	₹208.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.277.03- आवासीय विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,244.88	3,326.74	2,700.01	(-)626.73	₹626.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	81.86				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.09- नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यन्वयन के प्रशासनिक तंत्र का सुदृढीकरण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	100.00	100.00	3.23	(-)96.77	₹96.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.09- नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यन्वयन के प्रशासनिक तंत्र का सुदृढीकरण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	100.00	100.00	3.23	(-)96.77	₹96.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.10- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	400.00	400.00	97.13	(-)302.87	₹302.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.10- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	400.00	400.00	97.13	(-)302.87	₹302.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.16- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	65.13	(-)34.87	₹34.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.42- शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	18.59	(-)31.41	₹31.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.86- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग 9 एवं 10) (के.से.स्कीम)	मूल	1,000.00	1,400.78	943.23	(-)457.55	₹1,157.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,100.78				
	पुनर्वि.	(-)700.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.94- निदेशन एवं प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	332.75	285.30	(-)47.45	₹47.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	32.75				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.95- प्रवेशिकोत्तर प्रवैद्यिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	2,600.00	600.00	242.04	(-)357.96	₹2,357.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				
2225-01.789.98- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	109.92	(-)90.08	₹90.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.A0- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (के.से. स्कीम)	मूल	4,000.00	9,380.00	6,880.00	(-)2,500.00	₹2,500.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,380.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.A1- प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (वर्ग IX एवं X) (राज्य स्कीम)	मूल	1,800.00	3,084.46	1,850.14	(-)1,234.32	₹1,234.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,284.46				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.03- लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास (स्थापना व्यय)	मूल	842.03	842.03	441.02	(-)401.01	₹401.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.04- आवासीय विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	11,909.36	12,134.10	9,029.11	(-)3,104.99	₹3,104.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	224.74				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.11- प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	2,300.00	3,300.00	2,300.00	(-)1,000.00	₹2,606.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,606.85				
	पुनर्वि.	(-)1,606.85				
2225-02.277-69- पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	203.16	365.39	318.94	(-)46.45	₹46.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	162.23				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.92- छात्रावासों का जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	203.14	(-)96.86	₹96.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.A0- आवासीय विद्यालयों में ई-लार्निंग प्रोग्राम/ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	15.00	(-)85.00	₹85.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.A3- संविधान का अनुच्छेद 275 (1) (के.से.स्कीम)	मूल	1,000.00	2,000.00	1,185.94	(-)814.06	₹814.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.A4- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	1,500.00	2,778.08	1,799.03	(-)979.05	₹2,179.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,478.08				
	पुनर्वि.	(-)1,200.00				
2225-02.277.A7- आदिम जनजातियों का संरक्षण सह विकास (सी.सी.डी.) (के.से.स्कीम)	मूल	200.00	1,000.00	293.49	(-)706.51	₹706.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	800.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.A9- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग I से VIII) (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	4,770.86	4,075.41	(-)695.45	₹695.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,270.86				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.AA- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग IX से X) (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	2,055.32	709.75	(-)1,345.57	₹1,345.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	555.32				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.AB- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	81.92	(-)118.08	₹118.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.AD- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	994.00	994.00	883.99	(-)110.01	₹110.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2225-02.282.01- आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	222.32	222.32	175.02	(-)47.30	₹47.30 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.11- प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	7,400.00	6,870.10	4,070.10	(-)2,800.00	₹8,330.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,000.66				
	पुनर्वि.	(-)5,530.56				
2225-02.796.78- समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए.) (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	658.26	(-)241.74	₹241.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.A0- आवासीय विद्यालयों में ई-लर्निंग प्रोग्राम/ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	80.00	(-)120.00	₹120.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.A2- डॉ. राम दयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (के.से.स्कीम)	मूल	200.00	507.23	288.90	(-)218.33	₹218.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	307.23				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.A3- संविधान का अनुच्छेद 275(1) (के.से.स्कीम)	मूल	14,000.00	28,395.00	18,420.79	(-)9,974.21	₹9,974.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	14,395.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.796.A4- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	2,000.00	3,682.51	2,100.00	(-)1,582.51	₹2,982.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,082.51				
	पुनर्वि.	(-)1,400.00				
2225-02.796.A7- आदिम जनजातियों का संरक्षण सह विकास (सी.सी.डी.) (के.से.स्कीम)	मूल	2,500.00	5,000.00	1,403.44	(-)3,596.56	₹3,596.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,500.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.A9- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग I से VIII) (राज्य स्कीम)	मूल	2,700.00	15,744.77	14,118.15	(-)1,626.62	₹1,626.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	13,044.77				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.AA- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग IX से X) (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	4,760.14	3,304.32	(-)1,455.82	₹1,455.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,760.14				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.AB- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	236.05	(-)63.95	₹63.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.03- प्रवेशिकोत्तर प्रवैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	3,000.00	4,635.92	2,835.92	(-)1,800.00	₹4,865.45 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,701.37				
	पुनर्वि.	(-)3,065.45				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.06- पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	2,630.00	1,200.00	(-)1,430.00	₹4,950.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,850.00				
	पुनर्वि.	(-)3,520.00				
2225-03.277.06- पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	300.00	1,895.00	1,200.00	(-)695.00	₹695.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,595.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.07- आवासीय विद्यालयों का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	170.00	170.00	139.11	(-)30.89	₹30.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.18- पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालय का संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	489.81	489.81	411.61	(-)78.20	₹78.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.66- परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	125.00	125.00	51.96	(-)73.04	₹73.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.84- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों का जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	30.79	(-)69.21	₹69.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.277.90- प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (वर्ग IX से X) (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	7,611.08	4,759.61	(-)2,851.47	₹2,851.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,011.08				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.277.91- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	181.69	(-)68.31	₹68.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.03- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	2,500.00	3,000.00	2,000.00	(-)1,000.00	₹4,069.86 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,569.86				
	पुनर्वि.	(-)3,069.86				
2225-03.796.06- पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	300.00	1,950.00	800.00	(-)1,150.00	₹4,150.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,650.00				
	पुनर्वि.	(-)3,000.00				
2225-03.796.06- पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	300.00	1,300.00	800.00	(-)500.00	₹500.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.07- आदिम जनजातियों का संरक्षण सह विकास (सी.सी.डी.) (के.से.स्कीम)	मूल	230.00	230.00	188.79	(-)41.21	₹41.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.66- परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य सकीम)	मूल	75.00	75.00	31.56	(-)43.44	₹43.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.89- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (I से VIII) (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	12,346.62	10,890.82	(-)1,455.80	₹1,455.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	9,346.62				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-03.796.90- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (IX से X) (राज्य स्कीम)	मूल	2,800.00	5,106.03	3,581.08	(-)1,524.95	₹1,524.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,306.03				
	पुनर्वि.	0.00				
2251-00.090.06- कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	658.11	668.26	575.71	(-)92.55	₹92.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	10.15				
	पुनर्वि.	0.00				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.001.93- झारखण्ड अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग को अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	37.36	37.36	0.00	(-)37.36	₹37.36 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.19- गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	₹75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.21- प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-01.789.99- मरंग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.277.01- विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से.स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.98- शहीद ग्राम विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2225-02.796.89- लाह एवं लघु वनोपज विपणन एवं विकास कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

- (4) ₹7,055.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2022 (₹20,000.00 लाख) और मार्च 2023 (₹10,023.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 30,023.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 860.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,055.53 लाख) से ₹ 6,195.53 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

- (6) शीर्ष 4225-02.796.33-आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र/मांझी परगना, पड़हा, मानकी मुण्डा/धुमकुड़िया हाँउस एवं मांझी थान शेड का निर्माण (राज्य स्कीम) एवं 4225-02.796.37- सरना/जहिरस्थान/हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹144.46 लाख एवं ₹1,838.19 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹19,000.00 लाख एवं ₹25,500.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-02.277.05- आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	166.42	(-)33.58	₹33.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/ मांझी परगना, पड़हा, धुमकुड़िया हाउस एवं मांझी थान शेड का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,550.00	4,550.00	2,841.88	(-)1,708.12	₹1,708.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4225-02.277.37- सरना/जाहेरस्थान/ हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	7,000.00	4,871.80	(-)2,128.20	₹2,128.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-02.283.06- बिरसा आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	550.00	457.35	(-)92.65	₹150.00 लाख की प्रत्याशित बचत जनजातीय जिलों हेतु राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹92.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				
4225-02.796.43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	264.24	(-)135.76	₹135.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-01.789.02- लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	200.00	5.00	0.00	(-)5.00	₹195.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2012- 13 के बाद अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने एवं छात्रावास निर्माण घटक को नयी योजना PM- AJAY के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी। ₹5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)195.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-01.789.02- लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	200.00	5.00	0.00	(-)5.00	₹195.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2012- 13 के बाद अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने एवं छात्रावास निर्माण घटक को नयी योजना PM- AJAY के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी। ₹5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)195.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-03.277.02- लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	70.00	5.00	0.00	(-)5.00	₹65.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने एवं छात्रावास निर्माण घटक को नयी योजना PM- AJAY के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी। ₹5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-03.277.02- लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	70.00	5.00	0.00	(-)5.00	₹65.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2012- 13 के बाद अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने एवं छात्रावास निर्माण घटक को नयी योजना PM- AJAY के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी। ₹5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-03.796.02- लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	100.00	5.00	0.00	(-)5.00	₹95.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2012- 13 के बाद अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने एवं छात्रावास निर्माण घटक को नयी योजना PM- AJAY के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी। ₹5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.00				

अनुदान संख्या - 51 क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4225-03.796.02- लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	100.00	5.00	0.00	(-)5.00	₹95.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2012- 13 के बाद अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की कोई योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं होने एवं छात्रावास निर्माण घटक को नयी योजना PM- AJAY के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी। ₹5.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.00				

**अनुदान संख्या 52 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष - 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ, 2205- कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,32,95,82	1,33,89,77	92,60,52	(-)41,29,25
अनुपूरक	93,95			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

23,07,76

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	62,10,00	62,10,00	35,66,92	(-)26,43,08
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

25,75,49

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹4,129.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹77.00 लाख), दिसंबर 2022 (₹6.50 लाख) और मार्च 2023 (₹10.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹93.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,307.76 लाख), अंतिम बचत (₹4,129.25 लाख) से ₹1,821.49 लाख कम था।

(3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.001.39- क्रीड़ा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	74.03	63.12	53.54	(-)9.58	₹27.86 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्व निदेशक के स्थानांतरण के कारण हुई थी। ₹9.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	16.95				
	पुनर्वि.	(-)27.86				
2204-00.102.01- राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	1,517.75	1,560.75	1,175.31	(-)385.44	₹385.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	43.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.104.13 युवा गतिविधियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	17.98	(-)42.02	₹42.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.104.48- खेल एवं युवा प्रोत्साहन गतिविधियों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	129.44	(-)70.56	₹70.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.104.50- अंतर्राष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक का खेल प्रतियोगिता/ आयोजन/भागीदारी एवं साहसिक खेल (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,405.08	1,070.83	(-)334.25	₹429.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)94.92				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.104.56- राज्य, जिला एवं अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम एवं खेल संरचना की मरम्मत, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	151.50	151.50	0.00	₹248.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)248.50				
2204-00.796.13- युवा गतिविधियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	16.57	(-)43.43	₹43.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.796.36- क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ प्रतिभा खोज/ खेल कीट/ खेल सामग्री (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	425.82	(-)74.18	₹74.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.796.50- अंतर्राष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक का खेल प्रतियोगिता/ आयोजन/ भागीदारी एवं साहसिक खेल (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,977.09	1,708.79	(-)268.30	₹291.21 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.91				
2204-00.796.54- खेलो इण्डिया एवं प्रतिभा खोज (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	70.00	36.93	(-)33.07	₹33.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.796.55- फिट इंडिया (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	43.00	42.89	(-)0.11	₹27.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.00				
2204-00.796.56- राज्य, जिला अनुमंडल स्तरीय स्टेडियम एवं खेल संरचना का मरम्मत, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	86.04	86.04	0.00	₹513.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)513.96				
2205-00.103.01- पुरातत्व निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	65.68	65.68	40.03	(-)25.65	₹25.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2205-00.796.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	6.30	(-)23.70	₹23.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2205-00.796.40- सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	195.00	(-)55.00	₹55.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2205-00.796.42- संग्रहालय गतिविधियों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	35.00	49.05	+14.05	₹20.95 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.104.52- परामर्शी, सुरक्षा ए.आई.एफ.एफ तथा अन्य सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.104.54- खेलो इण्डिया एवं प्रतिभा खोज (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.104.55- फिट इंडिया (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2204-00.104.57- आदिवासी एवं ग्रामीण स्तरीय खेल का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.104.58- सिद्धू-कान्हू युवा क्लब को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	0.00	0.00	0.00	₹400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)400.00				
2204-00.796.52- परामर्शी, सुरक्षा तथा अन्य सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00	₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2204-00.796.57- आदिवासी एवं ग्रामीण स्तरीय खेल का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
2204-00.796.58- सिद्धू-कान्हू युवा क्लब को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	₹600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)600.00				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.101.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2205-00.101.40- सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2205-00.102.28- जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2205-00.796.28- जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.796.32 - पुरातत्व गतिविधियां और योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	0.00	0.00	₹35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)35.00			

पूँजी :

- (5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,575.49 लाख), अंतिम बचत (₹2,643.08 लाख) से ₹67.59 लाख कम था।
- (6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-03.102.22- राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तरीय स्टेडियम/ एस्ट्रोटेर्फ/ स्वामी विवेकानन्द स्मारक/ एन.सी.सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,043.55	975.97	₹956.45 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि की विवरणी एवं तकनीकी प्राक्कलन की स्वीकृति के अभाव के कारण हुई थी। ₹67.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)956.45			
4202-03.796.21- खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण तथा उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	59.24	59.24	₹80.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)80.76			

अनुदान संख्या - 52 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-03.796.22- राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तरीय स्टेडियम/ एस्ट्रोड्रफ/ स्वामी विवेकानान्द स्मारक/ एन.सी. सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	1,482.35	1,482.35	0.00	₹1,517.65 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि की विवरणी एवं तकनीकी प्राक्कलन की स्वीकृति के अभाव के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,517.65				

अनुदान संख्या 53 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन, 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,43,77,54	1,43,82,94	1,13,68,97	(-)30,13,97
अनुपूरक	5,40			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

15,75,51

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	29,90,00	29,90,00	16,72,02	(-)13,17,98
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

12,49,67

टीका टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,575.51 लाख), अंतिम बचत (₹3,013.97 लाख) से ₹1,438.46 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

(2) बचत (₹20.00 लाख प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.001.01- मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,917.54	1,917.54	1,670.53	(-)247.01	₹247.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2405-00.101.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,430.00	1,430.00	1,241.46	(-)188.54	₹188.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2405-00.101.20- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	319.60	313.20	238.06	(-)75.14	₹81.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6.40				
2405-00.101.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	336.00	336.00	276.26	(-)59.74	₹59.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2405-00.101.77- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,731.20	1,712.00	1,485.19	(-)226.81	₹246.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19.20				

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.77- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,170.00	996.83	996.83	0.00	₹173.17 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹149.88 लाख की प्रत्याशित बचत नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से बरमसिया मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, धनबाद के सौन्दर्यीकरण कार्य की स्वीकृति के कारण विभागीय स्तर पर इस योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य को स्थगित किये जाने के कारण हुई थी। ₹23.29 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-173.17				
2405-00.789.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	247.76	(-)52.24	₹52.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2405-00.789.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	80.40	63.84	42.99	(-)20.85	₹37.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-16.56				

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.789.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	32.83	(-)47.17	₹47.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2405-00.789.77- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	376.00	159.22	159.22	0.00	₹216.78 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)216.78				
2405-00.789.77- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	257.00	108.15	108.15	0.00	₹148.85 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)148.85				
2405-00.796.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,590.00	1,401.26	(-)188.74	₹198.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10.00				
2405-00.796.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	550.00	478.96	316.75	(-)162.21	₹233.25 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.04				
2405-00.796.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	384.00	384.00	246.59	(-)137.41	₹137.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2405-00.796.79- मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	115.00	35.00	35.00	0.00	₹80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2405-00.101.78- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	0.00	0.00	0.00	₹350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹120.00 लाख के प्रावधान का उपयोग योजना की स्वीकृति विचाराधीन होने के कारण नहीं किया गया। ₹230.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)350.00				
2405-00.101.79- मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	115.00	0.00	0.00	0.00	₹115.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)115.00				

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2405-00.789.78- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹25.00 लाख के प्रावधान का उपयोग योजना की स्वीकृति विचाराधीन होने के कारण नहीं किया गया। ₹50.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				
2405-00.796.78- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप (राज्य स्कीम)	मूल	220.00	0.00	0.00	0.00	₹220.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹100.00 लाख के प्रावधान का उपयोग योजना की स्वीकृति विचाराधीन होने के कारण नहीं किया गया। ₹120.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)220.00				

पूँजी:

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,249.67 लाख), अंतिम बचत (₹1,317.98 लाख) से ₹68.31 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.64- रियारिंग तालाब का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	144.00	144.00	118.00	(-)26.00	₹26.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4405-00.101.72- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	182.80	162.83	(-)19.97	₹37.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17.20				
4405-00.796.71- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	49.67	49.67	0.00	₹150.33 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹50.33 लाख की बचत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थित छात्रावास के लंबित भुगतान का मांग प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल-2 राँची से अप्राप्त होने के कारण हुई थी। ₹100.00 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.33				
4405-00.796.72- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जिर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	470.00	211.95	211.95	0.00	₹258.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)258.05				

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.796.73- मत्स्य बिज हैचरी की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	227.41	227.41	0.00	₹172.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)172.59				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई.) स्कीम 1, 2 एवं एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	240.00	0.00	0.00	0.00	₹240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹30.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से बरमसिया मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, धनबाद के सौन्दर्यीकरण कार्य की स्वीकृति के कारण विभागीय स्तर पर इस योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य को स्थगित किये जाने के कारण नहीं हुआ। ₹210.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)240.00				

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई.) स्कीम 1, 2 एवं एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	160.00	0.00	0.00	0.00	₹160.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान में से, ₹20.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से बरमसिया मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, धनबाद के सौन्दर्यीकरण कार्य की स्वीकृति के कारण विभागीय स्तर पर इस योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य को स्थगित किये जाने के कारण नहीं हुआ। ₹140.00 लाख के शेष प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)160.00				
4405-00.101.65- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	उपायुक्त, हजारीबाग के स्तर पर प्रतिवेदन की समीक्षा की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या - 53 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई.) स्कीम 1, 2 एवं एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाई.) स्कीम 1, 2 एवं एन.एम.पी.एस. (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
4405-00.796.65- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या 54 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2404- डेयरी विकास, 4404- डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,24,72,68	1,26,90,71	92,12,31	(-)34,78,40
अनुपूरक	2,18,03			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

21,69,39

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00,00	1,00,00	63,22	(-)36,78
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

36,78

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹3,478.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹40.77 लाख) एवं मार्च 2023 (₹177.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹218.03 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,169.39 लाख), अंतिम बचत (₹3,478.40 लाख) से ₹1,309.01 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

(3) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	4,00.00	265.35	(-)134.65	₹134.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2404-00.102.80- लाभुकोंमुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2,331.00	2,233.34	1,811.62	(-)421.72	₹519.38 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 97.66				
2404-00.102.87- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	408.39	408.39	0.00	₹91.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.61				
2404-00.789.80- लाभुकोंमुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	538.00	522.52	352.53	(-)169.99	₹185.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.48				
2404-00.796.66- प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	195.05	(-)54.95	₹54.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2404-00.796.80- लाभुकोंमुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,895.00	1,815.36	1,374.04	(-)441.32	₹520.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.64				

अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.77- आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल-पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	63.22	63.22	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)36.78			
₹36.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					

(4) निम्नलिखित मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.67- परामर्शी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-) 50.00			
₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	360.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)360.00			
₹360.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।					
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	360.00	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)360.00			
₹360.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2023)।					

अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.102.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	132.00	0.00	0.00	0.00	₹132.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)132.00				
2404-00.102.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	132.00	0.00	0.00	0.00	₹132.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)132.00				
2404-00.102.76- नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				
2404-00.102.76- नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एन.पी.डी.डी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	120.00	0.00	0.00	0.00	₹120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)120.00				

अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	₹78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	₹78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2404-00.789.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2404-00.789.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				

अनुदान संख्या - 54 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	162.00	0.00	0.00	0.00	₹162.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)162.00				
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	162.00	0.00	0.00	0.00	₹162.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,62.00				

अनुदान संख्या 55 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष - 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,14,43,03	3,14,88,28	1,29,36,65	(-)1,85,51,63
अनुपूरक	1,00,45,25			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

75,00,00

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	24,49,90,00	27,72,70,00	16,11,18,29	(-)11,61,51,71
अनुपूरक	3,22,80,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

7,83,73,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹18,551.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹13.25 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹10,032.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹10,045.25 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,500.00 लाख), अंतिम बचत (₹18,551.63 लाख) से ₹11,051.63 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

(3) बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2505-01.702.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	950.00	950.00	431.34	(-)518.66	₹518.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2505-01.796.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,050.00	1,050.00	449.96	(-)600.04	₹600.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00-001-27- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	7,065.34	7,107.34	6,326.93	(-)780.41	₹780.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	42.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00-001-28- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) गैर पी.एम. जी.एस.वाई. सड़क हेतु (स्थापना व्यय)	मूल	8,000.00	8,000.00	3,433.15	(-)4,566.85	₹4,566.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00-001-80- बाह्य स्रोत/अनुबंध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर/चालक/ गृह रक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	81.04	(-) 118.96	₹118.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00-001-82- ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्यालयों में मशीन उपकरण, उपस्कर एवं अन्य सामग्रियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	110.21	(-)139.79	₹139.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00-102-08- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ख)-ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	791.14	791.14	473.17	(-)317.97	₹317.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00-796-80- बाह्य स्रोत/अनुबंध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर/चालक/ गृह रक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	174.03	(-)75.97	₹75.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00-796-82- ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्यालयों में मशीन उपकरण, उपस्कर एवं अन्य सामग्रियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	119.72	(-)130.28	₹130.28 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्रधिकरण का उन्नयन एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.83- सतह नवीकरण-सह- विशेष मरम्मति (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	1,300.00	0.00	(-)1,300.00	₹4,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,000.00				
	पुनर्वि.	(-)2,700.00				
2515-00.102.65- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथों की मरम्मति हेतु जे.एस. आर.आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.102.81- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत पुलों की मरम्मति (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.789.81- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत पुलों की मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.789.83- सतह नवीकरण-सह- विशेष मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
2515-00.796.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.आई. यू. का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.796.65- प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पथों की मरम्मत हेतु जे.एस.आर.आर. डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.81- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत पुलों की मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.796.83- सतह नवीकरण-सह- विशेष मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	1,200.00	0.00	(-)1,200.00	₹5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,000.00				
	पुनर्वि.	(-)3,800.00				

पूँजी:

- (5) ₹1,16,151.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹25,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹7,280.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹32,280.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹78,373.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,16,151.71 लाख) से ₹37,778.71 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

- (7) शीर्ष 4515-00.103.04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम) एवं 4515-00.796.04- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹2,500.79 लाख एवं ₹3,084.84 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹33,200.00 लाख एवं ₹32,600.00 लाख के प्रावधान से 10 प्रतिशत कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.102.45- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30,000.00	10,457.50	6,875.50	(-)3,582.00	₹1,042.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी, ₹18,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹3,582.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,542.50				
4515-00.102.45- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	15,000.00	8,886.00	4,784.00	(-)4,102.00	₹1,614.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी, ₹4,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹4,102.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,114.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.102.46- पी.एम.जी.एस. वाई. अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ संपर्कता प्रदान हेतु (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,000.00	7,387.50	7,387.50	0.00	₹1,042.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹7,655.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,612.50				
4515-00.102.46- पी.एम.जी.एस. वाई. अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ संपर्कता प्रदान हेतु (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,523.00	5,819.00	5,819.00	0.00	₹1,614.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि एवं ₹2,318.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)704.00				
4515-00.103.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्राम विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	3,180.69	3,180.69	2,025.65	(-)1,155.04	₹1,155.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4515-00.103.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,200.00	19,700.00	17,268.53	(-)2,431.47	₹2,431.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	4,500.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4515-00.103.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम - परामर्शी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	420.00	349.23	(-)70.77	₹70.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	280.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.789.04- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,900.00	4,900.00	3,958.58	(-)941.42	₹1,941.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
4515-00.789.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	3,600.00	1,544.46	(-)2,055.54	₹3,055.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				
4515-00.796.07- मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्राम विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	4,682.31	4,682.31	3,201.49	(-)1,480.82	₹1,480.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4515-00.796.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	17,200.00	19,600.00	14,874.64	(-)4,725.36	₹5,825.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,500.00				
	पुनर्वि.	(-)1,100.00				
4515-00.796.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम - परामर्शी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	160.00	460.00	397.31	(-)62.69	₹62.69 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	300.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.796.45- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	40,000.00	17,900.00	9,900.00	(-)8,000.00	₹1,600.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी, ₹20,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹8,000.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,100.00				
4515-00.796.45- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	20,000.00	9,700.00	6,400.00	(-)3,300.00	₹1,100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी, ₹9,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹3,300.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,300.00				
4515-00.796.46- पी.जी.एस.वाई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ संपर्कता प्रदान हेतु परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,000.00	9,100.00	9,100.00	0.00	₹1,600.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी वृद्धि तथा ₹8,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,900.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4515-00.796.46- पी.जी.एस.वाई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अंतर्गत पथों एवं पुलों का निर्माण-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ संपर्कता प्रदान हेतु परियोजना (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	₹1,100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी वृद्धि तथा ₹4,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,000.00				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4515-00.103.15- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.एम. जी.एस.वाई./ राज्य सम्पोषित योजना एम.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत संपर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4515-00.103.44- ग्रामीण पथ हेतु परामर्शी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 55 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.796.15- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.एम. जी.एस.वाई./ राज्य सम्पोषित योजना एम.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत संपर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4515-00.796.44- ग्रामीण पथ हेतु परामर्शी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 56 - पंचायती राज विभाग

(मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,09,46,54	27,36,96,67	17,64,89,54	(-)9,72,07,13
अनुपूरक	7,27,50,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

1,84,00,00

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,00,00	6,00,00	2,74,83	(-)3,25,17
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹97,207.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹62,466.60 लाख), दिसम्बर 2022 (₹10,247.05 लाख) एवं मार्च 2023 (₹36.48 लाख) में प्राप्त किया गया ₹72,750.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹18,400.00 लाख), अंतिम बचत (₹97,207.13 लाख) से ₹78,807.13 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

(3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2015-00.109.01- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना व्यय)	मूल	377.28	406.28	363.27	(-)43.01	₹43.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	29.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.03- जिला पंचायत स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	21,612.17	21,640.57	13,659.33	(-)7,981.24	₹7,981.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	28.40				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.05- पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	15,500.00	25,627.00	22,443.36	(-)3,183.64	₹3,183.64 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	10,127.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.06- जिला पंचायत स्थापना-दलपतियों से संबंधित व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	85.20	85.20	27.58	(-)57.62	₹57.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.14- मुख्यालय पंचायत स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	144.15	153.80	107.78	(-)46.02	₹46.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	9.65				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.55- पंचायती राज स्वशासन परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	596.00	596.00	465.12	(-)130.88	₹130.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.59- कार्यालयों/संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	700.00	500.00	(-)200.00	₹200.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.003.01- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (ए) पंचायत (स्थापना व्यय)	मूल	393.05	401.53	324.50	(-)77.03	₹77.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	8.48				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.101.04- पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय/ दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1,502.00	1,502.00	789.86	(-)712.14	₹712.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.196.05- जिला परिषद् के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन, भत्ते तथा अन्यान्य सुविधाओं हेतु सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	450.00	450.00	103.00	(-)347.00	₹347.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.196.06- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	5,172.00	7,670.00	5,084.00	(-)2,586.00	₹2,586.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	2,498.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.196.66- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (आबद्ध अनुदान) (के.से.स्कीम)	मूल	7,758.00	11,505.00	7,626.00	(-)3,879.00	₹3,879.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,747.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.197.06- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	7,758.00	11,505.00	7,626.00	(-)3,879.00	₹3,879.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,747.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.197.67- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (आबद्ध अनुदान) (के.से.स्कीम)	मूल	11,637.00	17,257.50	11,439.00	(-)5,818.50	₹5,818.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,620.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.198.64- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	39,000.00	57,735.00	38,130.00	(-)19,605.00	₹19,605.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	18,735.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.198.68- 15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में अनुदान (आबद्ध अनुदान) (के.से.स्कीम)	मूल	58,675.00	86,777.50	57,195.00	(-)29,582.50	₹29,582.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	28,102.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.789.59- कार्यालयों/ संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	200.00	(-)100.00	₹100.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.59- कार्यालयों/ संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	686.33	(-)313.67	₹313.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
3451-00.090.17- पंचायती राज एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) (स्थापना व्यय)	मूल	215.69	223.29	165.28	(-)58.01	₹58.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	7.60				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.109.04- पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	10.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	90.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)300.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.54- पंचायत सचिवालय/ राज्य पंचायत स्वशासन परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.001.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	₹2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				
2515-00.001.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,500.00	0.00	0.00	0.00	₹1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				
2515-00.001.73- सी.एस.सी.- सामुदायिक सेवा केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	0.00	0.00	0.00	₹1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.001.75- आदर्श पंचायत निर्माण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	0.00	0.00	0.00	₹5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,000.00				
2515-00.001.76- नगर निगम परिधीय पंचायतों में विकास हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)150.00				
2515-00.789.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2515-00.789.73- सी.एस.सी.- सामुदायिक सेवा केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2515-00.789.75- आदर्श पंचायत निर्माण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2515-00.789.76- नगर निगम परिधीय पंचायतों में विकास हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	0.00	0.00	₹500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2515-00.796.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कें.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,000.00	0.00	0.00	0.00	₹3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,000.00				
2515-00.796.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कें.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	₹2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,000.00				
2515-00.796.73- सी.एस.सी.- सामुदायिक सेवा केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	0.00	0.00	0.00	₹2,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,500.00				

अनुदान संख्या - 56 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.75- आदर्श पंचायत निर्माण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	0.00	0.00	0.00	₹1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,500.00				
2515-00.796.76- नगर निगम परिधीय पंचायतों में विकास हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.00	0.00	0.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)200.00				

पूँजी:

- (5) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (6) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6515-00.197.01- जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार (स्थापना व्यय)	मूल	600.00	600.00	274.83	(-)325.17	₹325.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 57 - नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष-2216- आवास, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,50,53	11,50,53	10,70,26	(-)80,27
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

- (1) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया।
- (2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2251-00.090.04- आवास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	150.53	150.53	70.26	(-) 80.27
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	0.00			
					₹80.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 2205- कला तथा संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	22,99,25,31	23,71,28,94	20,59,52,25	(-)3,11,76,69
अनुपूरक	72,03,63			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

8,31,86

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,15,00,00	8,15,00,00	7,63,90,44	(-)51,09,56
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

50,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹31,176.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹226.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹3,477.63 लाख) एवं मार्च 2023 (₹3,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹7,203.63 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावयक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹831.86 लाख), अंतिम बचत (₹31,176.69 लाख) से ₹30,344.83 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

- (3) शीर्ष 2202-02.109.56-नेतरहाट विद्यालय समिति के कर्मियों की वेतन हेतु अनुदान (स्थापना व्यय), 2202-02.109.66- उत्कर्मित उच्च विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम), 2202-02.109.67- 280 उत्कर्मित +2 विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम), 2202-02.110.03-माध्यमिक, बहुउद्देशीय तथा अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना व्यय), 2202-02.789.66- उत्कर्मित उच्च विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम), 2202-02.789.67- 280 उत्कर्मित +2 विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम) एवं 2202-02.796.66- उत्कर्मित उच्च विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹150.00 लाख, ₹160.29 लाख, ₹245.36 लाख, ₹337.47 लाख, ₹102.57 लाख, ₹161.20 लाख एवं ₹302.39 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹1,533.72 लाख, ₹30,610.00 लाख, ₹5,500.00 लाख, ₹17,231.02 लाख, ₹9,788.00 लाख, ₹1,870.00 लाख एवं ₹20,668.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.001.01- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	301.58	304.58	238.01	(-)66.57	₹66.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.001.03- क्षेत्रीय उप-निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	384.85	390.35	327.56	(-)62.79	₹62.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5.50				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.01- माध्यमिक विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	71,812.04	72,002.04	59,501.72	(-)12,500.32	₹12,500.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	190.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.03- इंदिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग (स्थापना व्यय)	मूल	684.19	684.19	500.83	(-)183.36	₹183.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.109.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	601.96	(-)398.04	₹398.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.64- मॉडल विद्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	333.14	333.14	0.00	₹166.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)166.86				
2202-02.109.68- गैर-सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,500.00	4,500.00	3,370.60	(-)1,129.40	₹1,129.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.79- मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	390.41	(-)109.59	₹109.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.109.81- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	415.00	227.83	(-)187.17	₹187.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	165.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.110.04- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	392.95	(-)107.05	₹107.05 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमीनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	350.00	263.55	(-)86.45	₹86.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	660.00	660.00	541.05	(-)118.95	₹118.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.68- गैर-सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,970.00	2,970.00	1,744.80	(-)1,225.20	₹1,225.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमीनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित) (राज्य सहित)	मूल	650.00	650.00	491.05	(-)158.95	₹158.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.103.01- इंटरमीडिएट शिक्षा +2 व्यावसायिक शिक्षा सहित (स्थापना व्यय)	मूल	22,844.35	22,869.35	17,268.89	(-)5,600.46	₹5,600.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05-103.05- गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	282.48	282.48	193.91	(-)88.57	₹88.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.200.04- गैर सरकारी मदरसा (स्थापना व्यय)	मूल	6,818.88	6,818.88	3,486.07	(-)3,332.81	₹3,332.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-02.109.86- सामान्य वर्ग के छात्रों (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	₹300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	340.00	340.00	0.00	(-)340.00	₹340.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.64- मॉडल विद्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	170.00	0.00	0.00	0.00	₹170.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)170.00				
2202-02.789.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,530.00	1,530.00	0.00	(-)1,530.00	₹1,530.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.81- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00	₹85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.789.86- सामान्य वर्ग के छात्रों (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-02.796.64- मॉडल विद्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	330.00	0.00	0.00	0.00	₹330.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)330.00				
2202-02.796.81- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	165.00	0.00	0.00	0.00	ओ.ए.पी. अनुभाग हेतु प्रावधान किये जाने के कारण ₹165.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)165.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.796.86- सामान्य वर्ग के छात्रों (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	₹200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.200.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	210.00	210.00	0.00	(-)210.00	₹210.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.200.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	140.00	140.00	0.00	(-)140.00	₹140.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.789.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00	₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-05.789.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.796.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	140.00	140.00	0.00	(-)140.00	₹140.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-05.796.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	90.00	90.00	0.00	(-)90.00	₹90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

पूँजी:

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹5,109.56 लाख) से ₹109.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 58 क्रमांत

(6) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-01.202.51- मॉडल विद्यालय छात्रवास (राज्य स्कीम)	मूल	5,750.00	3,250.00	3,197.82	(-)52.18	₹2,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत 84 मॉडल विद्यालयों के स्थान पर केवल 20 छात्रावास का निर्माण किए जाने के कारण हुई थी। ₹52.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,500.00				
4202-01.789.51- मॉडल विद्यालय छात्रवास (राज्य स्कीम)	मूल	1,950.00	1,150.00	1,150.00	0.00	₹800.00 लाख की प्रत्याशित बचत 84 मॉडल विद्यालयों के स्थान पर केवल 20 छात्रावास का निर्माण किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)800.00				
4202-01.796.51- मॉडल विद्यालय छात्रवास (राज्य स्कीम)	मूल	3,800.00	2,100.00	2,100.00	0.00	₹1,700.00 लाख की प्रत्याशित बचत 84 मॉडल विद्यालयों के स्थान पर केवल 20 छात्रावास का निर्माण किए जाने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,700.00				

**अनुदान संख्या 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)**

(मुख्य शीर्ष- 2202- सामान्य शिक्षा, 4202 शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	84,50,05,37	88,37,41,23	75,92,79,10	(-)12,44,62,13
अनुपूरक	3,87,35,86			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

5,48,23,34

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	90,00,00	90,00,00	88,28,46	(-)1,71,54
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹1,24,462.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹1,600.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹5.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹37,130.86 लाख) में प्राप्त किया गया ₹38,735.86 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹54,823.34 लाख), अंतिम बचत (₹1,24,462.13 लाख) से ₹69,638.79 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2202-01.101.46- उर्दू शिक्षकों को वेतन (राज्य स्कीम), 2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2202-01.111.25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) के अंतर्गत ₹266.40 लाख,

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

₹2,410.50 लाख, ₹1,604.16 लाख, ₹3,701.99 लाख एवं ₹2,466.60 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,027.95 लाख, ₹76,902.62 लाख, ₹51,265.57 लाख, ₹38,115.55 लाख एवं ₹25,408.97 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.01- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	4,23,980.91	4,05,635.72	3,60,863.81	(-)44,771.91	निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण ₹20,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत हुई थी। ₹44,771.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,654.81				
	पुनर्वि.	(-)20,000.00				
2202-01.101.68- समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय (राज्य स्कीम)	मूल	34,199.51	20,049.75	20,049.75	0.00	₹14,149.76 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,149.76				
2202-01.102.02- गैर-सरकारी प्रथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	38,035.03	38,035.03	31,693.22	(-)6,341.81	₹6,341.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.104.01- निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	8,835.57	8,935.57	6,605.25	(-)2,330.32	₹2,330.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	100.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.105.61- राज्य सारक्षता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	342.00	342.00	186.04	(-)155.96	₹155.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.105.61- राज्य सारक्षता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	228.00	228.00	124.03	(-)103.97	₹103.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.107.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,978.68	1,978.68	1,080.45	(-)898.23	₹898.23 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	23,442.30	24,439.60	21,886.47	(-)2,553.13	₹2,553.13 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	997.30				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,955.87	13,955.87.88	12,433.36	(-)1,522.51	₹1,522.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,063.80	6,404.77	5,679.12	(-)725.65	₹725.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	340.97				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,600.73	3,600.73	3,226.21	(-)374.52	₹374.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	17,400.00	18,215.33	16,323.96	(-)1,891.37	₹2,791.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,715.33				
	पुनर्वि.	(-)900.00				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,595.00	12,142.81	10,882.64	(-)1,260.17	₹1,860.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,147.81				
	पुनर्वि.	(-)600.00				
2202-01.789.61- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	90.00	90.00	53.69	(-)36.31	₹36.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.68- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापकों के लिए वेतन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,999.37	5,276.25	5,276.25	0.00	₹3,723.12 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,723.12				
2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	11,548.72	12,014.93	10,050.13	(-)1,964.80	₹1,964.80 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	466.21				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,871.67	6,871.67	5,629.61	(-)1,242.06	₹1,242.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.46- उर्दू शिक्षकों का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	355.95	355.95	318.22	(-)37.73	₹37.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.61- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	168.00	168.00	28.73	(-)139.27	₹139.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.61- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस.एल.एम.ए.) को सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	112.00	112.00	19.15	(-)92.85	₹92.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.68- समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय (राज्य स्कीम)	मूल	16,799.46	9,849.00	9,849.00	0.00	₹6,950.46 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई थी।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,950.46				

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.101.63- राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति (राज्य स्कीम)	मूल	570.00	570.00	0.00	(-)570.00	₹570.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.789.63- राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	₹150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-01.796.63- राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति (राज्य स्कीम)	मूल	280.00	280.00	0.00	(-)280.00	₹280.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 59 क्रमांत

पूँजी:

(5) बचत का कोई भी भाग प्रत्यार्शित नहीं किया गया।

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-01.789.58- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	237.37	(-)62.63	₹62.63 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	56,63,62,58	75,10,67,87	58,41,17,77	(-)16,69,50,10
अनुपूरक	18,47,05,29			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

8,37,95,34

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	78,68,97	1,18,36,47	42,60,00	(-)75,76,47
अनुपूरक	39,67,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(मार्च 2023)

72,68,96

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

- (1) ₹1,66,950.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2022 (₹68,874.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,11,985.68 लाख) एवं मार्च 2023 (₹3,845.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,84,705.29 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹83,795.34 लाख), अंतिम बचत (₹1,66,950.10 लाख) से ₹83,154.76 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2235-03.101.11- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश), 2235-03.101.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम), 2235-03.101.20- राज्य

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम), 2235-03.796.11- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2235-03.796.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम) एवं 2235-03.796.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹1,191.00 लाख, ₹3,663.52 लाख, ₹1,047.69 लाख, ₹1,059.00 लाख, ₹4,394.42 लाख एवं ₹1,352.70 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹40,885.56 लाख, ₹72,662.00 लाख, ₹15,960.00 लाख, ₹37,940.84 लाख, ₹70,575.00 लाख एवं ₹23,040.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.101.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	251.87	251.87	205.41	(-)46.46	₹46.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,757.02	11,184.62	9,089.65	(-)2,094.97	₹2,978.61 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹1,211.98 लाख की बचत भारत सरकार के एस.एन. ए. मापदंडों के तहत नवसृजित उपशीर्ष B-6, में बजटीय उपबंध किये जाने के कारण हुई थी। ₹1,766.63 लाख की शेष बचत तथा ₹2,094.97 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,406.21				
	पुनर्वि.	(-)2,978.61				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,265.98	10,289.71	8,959.76	(-)1,329.95	₹4,813.73 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹3,635.98 लाख की बचत भारत सरकार के एस.एन. ए. मापदंडों के तहत नवसृजित उपशीर्ष B-6, में बजटीय उपबंध किये जाने के कारण हुई थी। ₹1,177.75 लाख की शेष बचत तथा ₹1,329.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,837.46				
	पुनर्वि.	(-)4,813.73				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	103.00	103.00	38.00	(-)65.00	₹65.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.102.A8- आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,652.96	1,463.20	1,049.57	(-)413.63	₹2,263.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	660.24				
	पुनर्वि.	(-)1,850.00				
2235-02.102.AR- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्ग 3 एवं 4 की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,761.12	1,332.38	1,146.39	(-)185.99	₹614.73 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)428.74				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,132.02	1,977.58	339.06	(-)1,638.52	₹3,098.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	305.05				
	पुनर्वि.	(-)1,459.49				
2235-02.102.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	791.38	1,119.90	10.33	(-)1,109.57	₹1,364.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	583.26				
	पुनर्वि.	(-)254.74				
2235-02.102.B1- आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को पोषाक की आपूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,356.64	2,367.62	1,978.50	(-)389.12	₹389.12 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	10.98				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.102.B3- आई.सी.डी.एस. कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	3,277.00	2,834.51	(-)442.49	₹442.49 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,277.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.102.B6- आई.सी.डी.एस. कर्मियों के स्थापना (वेतन एवं संविदा भत्ता) की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	2,951.25	891.57	(-)2,059.68	₹2,659.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,551.25				
	पुनर्वि.	(-)600.00				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	864.00	864.00	618.05	(-)245.95	₹245.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	576.00	576.00	394.28	(-)181.72	₹181.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,793.94	2,508.65	2,508.65	0.00	₹2,258.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	973.40				
	पुनर्वि.	(-)2,258.69				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,529.29	1,672.42	1,672.42	0.00	₹1,505.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	648.92				
	पुनर्वि.	(-)1,505.79				
2235-02.103.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	275.40	407.40	198.88	(-)208.52	₹208.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	132.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,811.76	364.76	132.54	(-)232.22	₹1,767.22 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	88.00				
	पुनर्वि.	(-)1,535.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.AO- कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं की प्रोत्साहन हेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	91.44	91.44	57.72	(-)33.72	₹33.72 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,072.56	933.07	931.95	(-)1.12	₹4,139.49 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹4,100.50 लाख की बचत पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पर स्वीकृत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संचालन के कारण हुई थी। ₹38.99 लाख की शेष बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,139.49				
2235-02.103.B4- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	21,202.32	15,961.67	(-)5,240.65	₹5,261.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	21,223.32				
	पुनर्वि.	(-)21.00				
2235-02.103.B5- पी.एम.एम.वी.वाई. अंतर्गत आर्थिक सहायता भुगतान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	1,135.00	934.74	(-)200.26	₹600.26 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,535.00				
	पुनर्वि.	(-)400.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235.-02.106.39- प्रतिप्रेक्षण गृह (स्थापना)	मूल	100.12	38.88	34.74	(-)4.14	₹65.38 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)61.24				
2235-02.106.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	240.00	48.43	(-)191.57	₹191.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.106.AV- नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	76.00	76.00	75.75	(-)0.25	₹65.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	65.99				
	पुनर्वि.	(-)65.99				
2235-02.789.18- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,864.00	3,864.00	2,802.05	(-)1,061.95	₹1,061.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.789.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य स्कीम)	मूल	993.00	172.85	124.65	(-)48.20	₹820.15 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पर स्वीकृत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संचालन के कारण हुई थी। ₹48.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)820.15				
2235-02.789.B4- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	5,681.70	3,382.62	(-)2,299.08	₹2,304.08 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	5,686.70				
	पुनर्वि.	(-)5.00				
2235-02.789.B5- पी.एम.एम.वी.वाई. अंतर्गत आर्थिक सहायता भुगतान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	216.32	134.33	(-)81.99	₹181.99 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	316.32				
	पुनर्वि.	(-)100.00				
2235-02.796.32- आयुक्त निःशक्तता के लिये कार्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	280.00	280.00	15.93	264.07	₹264.07 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना सहित) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,755.33	12,717.25	10,220.58	(-)2,496.67	₹2,815.71 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹885.77 लाख की बचत भारत सरकार के एस.एन. ए. मापदंडों के तहत सृजित नवीन उपशीर्ष B-6 में बजटीय उपबंध किये जाने के कारण हुई थी। ₹1,929.94 लाख की शेष बचत एवं of ₹2,496.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	777.63				
	पुनर्वि.	(-)2,815.71				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना सहित) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,130.23	9,903.36	8,305.58	(-)1,597.78	₹4,645.31 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹3,358.68 लाख की बचत भारत सरकार के एस.एन. ए. मापदंडों के तहत सृजित नवीन उपशीर्ष B-6 में बजटीय उपबंध किये जाने के कारण हुई थी। ₹1,286.63 लाख की शेष बचत एवं of ₹1,597.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,418.44				
	पुनर्वि.	(-)4,645.31				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	936.00	936.00	794.54	(-)141.46	₹141.46 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	624.00	624.00	512.64	(-)111.36	₹111.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)0.00				
2235-02.796.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कार की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	260.00	360.00	317.01	(-)42.99	₹42.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	100.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य स्कीम)	मूल	289.04	289.04	208.62	(-)80.42	₹80.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	360.00	280.75	(-)79.25	₹79.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	100.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.A8- आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,874.05	1,597.57	1,492.49	(-)105.08	₹2,155.08 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	773.52				
	पुनर्वि.	(-)2,050.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण/रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,112.08	2,815.25	2,815.25	0.00	₹2,351.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,054.52				
	पुनर्वि.	(-)2,351.35				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण/रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,741.39	1,876.85	1,876.85	0.00	₹1,567.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	703.02				
	पुनर्वि.	(-)1,567.56				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	399.60	589.17	314.03	(-)275.14	₹275.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	189.57				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,099.76	471.14	209.32	(-)261.82	₹2,016.82 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	126.38				
	पुनर्वि.	(-)1,755.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.AO- कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं की प्रोत्साहन हेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	108.56	108.56	78.27	(-)30.29	₹30.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AP- विभिन्न आयोग, बोर्ड की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	190.00	190.00	50.80	(-)139.20	₹139.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AR- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्ग 3 एवं 4 की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,938.90	1,709.28	1,576.10	(-)133.18	₹534.45 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	171.65				
	पुनर्वि.	(-)401.27				
2235-02.796.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,917.98	2,172.21	387.18	(-)1,785.03	₹3,847.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	317.18				
	पुनर्वि.	(-)2,062.95				
2235-02.796.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	992.62	1,236.69	17.50	(-)1,219.19	₹1,714.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	739.04				
	पुनर्वि.	(-)494.97				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,413.44	1,546.17	1,370.85	(-)175.32	₹3,867.27 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के स्थान पर स्वीकृत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संचालन के कारण हुई थी। ₹175.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,867.27				
2235-02.796.AV- नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना एन.ए.पी. डी.डी.आर. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	94.00	94.00	93.75	(-)0.25	₹83.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	83.99				
	पुनर्वि.	(-)83.99				
2235-02.796.B1- आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों को पोशाक की आपूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,175.36	2,499.28	2,110.25	(-)389.03	₹389.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	323.92				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.B4- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	24,815.48	15,884.06	(-)8,931.42	₹8,955.42 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	24,839.48				
	पुनर्वि.	(-)24.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.B5- पी.एम.एम.वी.वाई. अंतर्गत आर्थिक सहायता भुगतान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,255.00	1,041.83	(-)213.17	₹713.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,755.00				
	पुनर्वि.	(-)500.00				
2235-03.796.16- आदिम जनजाति पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,544.00	7,172.00	6,353.47	(-)818.53	₹818.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,628.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-60.102.10- वृद्धावस्था पेंशन (राज्य स्कीम)	मूल	683.57	683.57	504.98	(-)178.59	₹178.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,439.00	11,324.00	7,754.64	3,569.36	₹8,684.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,115.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	20,998.94	11,354.94	7,754.63	3,600.31	₹9,644.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹3,000.00 लाख की बचत, इस योजना के अंतर्गत अंडों की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹3,644.00 लाख की शेष बचत एवं ₹3,600.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,644.00				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,980.00	2,755.00	1,552.68	(-)1,202.32	₹2,427.32 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,225.00				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,050.49	2,758.87	1,552.68	(-)1,206.19	₹3,497.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,291.62				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18,818.00	13,358.00	8,576.00	(-)4,782.00	₹10,242.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,460.00				
2236-02.796.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	23,793.36	13,433.36	8,576.00	(-)4,857.36	₹15,217.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,360.00				
2251-00.090.09- समाज कल्याण (स्थापना व्यय)	मूल	432.95	1,922.34	434.50	(-)1,487.84	₹1,492.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,494.52				
	पुनर्वि.	(-)5.13				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.101.32- आयुक्त निःशक्तता के लिये कार्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.101.AY- हॉफवे होम का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	36.66	18.33	0.00	(-)18.33	₹36.66 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.33				
2235-02.102.47- मैडीसीन किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	161.28	0.00	0.00	0.00	₹161.28 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)161.28				
2235-02.102.47- मैडीसीन किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	107.52	0.00	0.00	0.00	₹107.52 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)107.52				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	553.06	332.16	0.00	(-)332.16	₹577.07 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	24.01				
	पुनर्वि.	(-)244.91				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.102.48- कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	368.71	221.41	0.00	(-)221.41	₹163.31 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹15.99 लाख की बचत भारत सरकार के पुनरीक्षित दर पर शिक्षा किट्स की आपूर्ति के कारण हुई थी। ₹147.32 लाख की शेष बचत एवं ₹221.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	16.01				
	पुनर्वि.	(-)163.31				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	154.00	154.00	0.00	(-)154.00	₹154.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.64- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	₹42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.103.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोशाक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	174.00	215.89	0.00	(-)215.89	₹215.89 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	41.89				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोशाक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	116.00	143.93	0.00	(-)143.93	₹143.93 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	27.93				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.103.AB- उज्ज्वल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	₹42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				
2235-02.103.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	0.02	0.00	(-)0.02	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29.98				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.104.AX- वृद्धजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	46.00	0.00	0.00	(-)46.00	₹46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.789.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	330.48	14.16	0.00	(-)14.16	₹330.48 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)316.32				
2235-02.796.47- मैडीसीन किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	174.72	0.00	0.00	0.00	₹174.72 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)174.72				
2235-02.796.47- मैडीसीन किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	116.48	0.00	0.00	0.00	₹116.48 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)116.48				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	598.94	359.63	0.00	(-)359.63	₹265.11 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹25.77 लाख की बचत भारत सरकार के पुनरीक्षित दर पर पूर्व शिक्षा किट्स की आपूर्ति किये जाने के कारण हुई थी। शेष बचत (₹239.34 लाख) एवं अंतिम बचत (₹359.63 लाख) के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	25.80				
	पुनर्वि.	(-)265.11				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	399.29	239.79	0.00	(-)239.79	₹176.70 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹17.10 लाख की बचत भारत सरकार के पुनरीक्षित दर पर पूर्व शिक्षा किट्स की आपूर्ति के कारण हुई थी। ₹159.60 लाख की शेष बचत एवं ₹239.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	17.20				
	पुनर्वि.	(-)176.70				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	168.00	168.00	0.00	(-)168.00	₹168.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	112.00	112.00	0.00	(-)112.00	₹112.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.64- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2235-02.796.64- स्वाधार गृह योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2235-02.796.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोशाक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	201.00	230.00	0.00	(-)230.00	₹230.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	29.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोशाक (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	134.00	153.33	0.00	(-)153.33	₹153.33 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	19.33				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	(-)153.33	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2235-02.796.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	0.02	0.00	(-)0.02	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29.98				
2235-02.796.AX- वृद्धजनों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	54.00	0.00	0.00	(-)54.00	₹54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2235-02.796.AY- हॉफवे होम का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	73.34	36.67	0.00	(-)36.67	₹73.34 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.67				
2235-02.796.AZ- डिवाईन (राज्य स्कीम)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.796.B6- आई.सी.डी.एस. कर्मियों के स्थापना (वेतन एवं संविदा भत्ता) की योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	934.50	0.00	(-)934.50	₹1,234.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	1,234.50				
	पुनर्वि.	(-)300.00				
2235-02.796.B6- आई.सी.डी.एस. कर्मियों के स्थापना (वेतन एवं संविदा भत्ता) की योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	2,803.50	0.00	(-)2,803.50	₹3,703.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	3,703.50				
	पुनर्वि.	(-)900.00				

पूँजी:

- (5) ₹7,576.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹3,900.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹67.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,967.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,268.96 लाख), अंतिम बचत (₹7,576.47 लाख) से ₹307.51 लाख कम था।
- (7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.101.78- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (के.से.स्कीम)	मूल	3,268.87	0.00	0.00	0.00	₹3,268.87 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,268.87				

अनुदान संख्या - 60 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.106.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	240.00	0.00	(-)240.00	₹240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4235-02.796.78- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (के.से.स्कीम)	मूल	4,000.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹4,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,999.99				
4235-02.796.86- मिशन वात्सल्य अधीन भवन का निर्माण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	40.50	0.00	(-)40.50	₹40.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	40.50				
	पुनर्वि.	0.00				
4235-02.796.86- मिशन वात्सल्य अधीन भवन का निर्माण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	27.00	0.00	(-)27.00	₹27.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनुपूरक	27.00				
	पुनर्वि.	0.00				

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या XVIII पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक(+)/कमी (-)
1	2	3	4
		(₹ हजार में)	
01. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	0,00	21,98,45 +21,98,45
02. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	0,00	63,24 +63,24
03. भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	50,00	0,00 (-)50,00
07. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	0,00	33,49 +33,49
08. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	0,00	3,00,00 +3,00,00
	पूँजी दत्तमत	0,00	2,00,00 +2,00,00
09. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	0,00	16 +16
12. वित्त विभाग	राजस्व दत्तमत	0,00	28,41 +28,41
	पूँजी दत्तमत	70,00,00	0,00 (-)70,00,00

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक(+)/कमी (-)
1		2	3	4
			(₹ हजार में)	
13. ब्याज संदाय	राजस्व			
	प्रभारित	0,00	2,62	+2,62
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	1,74,08	+1,74,08
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	3,20,14,95	+3,20,14,95
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	22,70,78	+22,70,78
	पूँजी			
	दत्तमत	0,00	6,60	+6,60
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	8,10	+8,10
	पूँजी			
	दत्तमत	0,00	2,74	+2,74
23. उद्योग विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	30,21	+30,21
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	1,98	+1,98
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	6,38	+6,38

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक(+)/कमी (-)
1		2	3	4
			(₹ हजार में)	
27. विधि विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	1,08	+1,08
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	राजस्व			
	प्रभारित	0,00	48	+48
30. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	8,45,44	+8,45,44
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व			
	दत्तमत	6,98,21,00	8,52,06,00	+1,53,85,00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	31	+31
41. पथ निर्माण विभाग	राजस्व			
	दत्तमत	1,80,00,00	33,94	(-)1,79,66,06
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व			
	दत्तमत	0,00	2,21,38	+2,21,38

परिशिष्ट - क्रमशः

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक(+)/कमी (-)
1	2	3	4
		(₹ हजार में)	
49. जल संसाधन विभाग	पूँजी		
	दत्तमत	0,00	5,00,00
			+5,00,00
51. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व		
(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	दत्तमत	0,00	6,99,66
			+6,99,66
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	राजस्व		
	दत्तमत	0,00	71,72
			+71,72
	पूँजी		
	दत्तमत	0,00	11
			+11
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	राजस्व		
	दत्तमत	0,00	12,34,68
			+12,34,68
56. पंचायती राज विभाग	राजस्व		
	दत्तमत	0,00	2,69,14
			+2,69,14
	पूँजी		
	दत्तमत	1,50,00	0,00
			(-)1,50,00

परिशिष्ट - क्रमांत

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक(+)/कमी (-)
1		2	3	4
			(₹ हजार में)	
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	0,00	51,33,58	+51,33,58
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राजस्व दत्तमत	0,00	30,12,60	+30,12,60
	कुल राजस्व दत्तमत	8,78,71,00	13,38,59,76	+4,59,88,76
	राजस्व प्रभारित	0,00	3,10	+3,10
	पूँजी दत्तमत	71,50,00	7,09,45	(-)64,40,55
	कुल जोड़ : राजस्व पूँजी	8,78,71,00 71,50,00	13,38,62,86 7,09,45	4,59,91,86 64,40,55

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2023

www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/jharkhand/en>